तृतीय माला, खण्ड १८--अंक ५३

शनिवार, २७ अप्रैल, १९६३

७ वैशाख, १८८५ (शक)

लोक-सभा

वाद-विवाद

(चौथा सत्र)

3rd Lok Sabha

(खण्ड १८ में अंक ५१ से अंक ६१ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

एक रुपया (देश में)

चार शिलिंग (विदेश में)

विषय सूची

	पृष्ठ
राज्य सभा से सन्देश	५३५६
सदस्य द्वारा वक्तव्य	५३५६—६२
विवियन बोस आयोग के प्रतिवेदन के बारे में	५३६२—६३
राज भाषायें विधेयक	५३६४—५४१७
खंड ४ से ६	५३६४
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	५३६४—६६
श्री ही० ना० मुकर्जी	५३६६
श्री रंगा	५३६६—५४००
श्री फ्रेंक एन्थनी	५४००
डा० गोविन्द दास	५४००—०१
श्री अ० न० विद्यालंकार	५४०१
श्री भक्त दर्शन	५४०१—०२
श्री बड़े	५४०२—०३
श्री श्याम लाल सर्राफ	५४०३
श्री शिवाजी राव शं० देशमुख	५४०३—०४
श्री हरि विष्णु कामत	५४०४
श्री शिव नारायण	५४०४—०५
श्री गौरी शंकर कक्कड़	५४०५—०६
श्री बागड़ी	५४०६—०७
श्रीमती यशोदा रेड्डी	५४०७
श्री यशपाल सिंह	५४०७—०८
श्री जोकीम आल्वा	५४०८
डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी	५४०८
श्री कमल नयन बजाज	५४०८—१०
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	५४१०—११
श्री लाल बहादुर शास्त्री	५४११—१७
अनिवार्य जमा योजना विधेयक	५४१७—१६
खंड ४	
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	
बीसवां प्रतिवेदन	५४१६
बैंकों का राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प	५४१६—२१
भारत प्रतिरक्षा अधिनियम के बारे में संकल्प	
श्री अ० क० गोपालन	५४२१
दैनिक संक्षेपिका	५४२२

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

शनिवार २७ अप्रैल, १९६३
७ बैशाख, १८८५ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

राज्य सभा से सन्देश

सचिव : मुझे राज्य सभा से प्राप्त इस सन्देश की सूचना देनी है कि राज्य सभा को वित्त विधेयक, १९६३ के बारे में, जो लोक-सभा द्वारा २० अप्रैल, १९६३, को पास किया गया था, लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

सदस्य द्वारा वक्तव्य

श्री बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, २३-३-६३ को मैंने अपने वक्तव्य के दौरान में सदन के सामने यह रक्खा था कि मेरे पास एक डाकुमेंट है जिस पर आडिटर का आब्जेक्शन नोट है कि यह पेमेन्ट श्री हुमायून् कबिर से वसूल किया जाये, अब तक वसूल हुआ या नहीं उस की फोटो कापी भी मैंने स्पीच के फौरन बाद श्री हुमायून् कबिर जी को दे दी । उन्होंने भी उस को देखा और उसका जवाब इस सदन में दिया, और उसी कागज की चर्चा इस सदन में किया । यह ठीक है कि उस कापी के ऊपर जो नोट था वह आडिटर का नहीं था, वह उस के डिवीजनल आफिसर का था ।

"सामान की लागत श्री हुमायून् कबिर से वसूल कर ली जाये ।"

अंग्रेज़ी न जानने की बिना पर मैं ने उस को गलती से कह दिया था कि वह आडिटर का नोट है । यह गलती मैंने ही नहीं की, यह गलती तो मिनिस्टर साहब ने भी की । उन्होंने उस को देखा लेकिन उस वक्त यह जवाब नहीं दिया । जब उन्होंने भाषण दिया तो उस वक्त जवाब में यह नहीं कहा कि यह आडिटर का नोट नहीं है । अपने रिप्लाई में उन्होंने इस बात को साफ नहीं किया, हालांकि वह प्रोफसर हैं, अंग्रज़ी के विद्वान हैं, सारी बात है । उन्होंने उस को मुझ से ले लिया लेकिन इस बात को कंट्राडिक्ट नहीं किया, न इस के जवाब में यह कहा कि यह आडिटर का नोट नहीं है बल्कि यह तो पर्चेज का कोई बिल है । यह जो आडिटर और डिवीजनल आफिसर का अन्तर है वह तो मेरे अंग्रेज़ी न जानने की बिना पर हुआ, लेकिन यह नोट आडिटर का था या उसके डिवीजनल आफिसर का था, इस से बुनियाद में कोई अन्तर नहीं हुआ । मैंने कहा था कि

†मूल अंग्रेजी में

[श्री बागड़ी]

यह रकम अब तक वसूल हुई या नहीं, मुझे पता नहीं। लेकिन जिस तारीख को नोट लिखा गया था और आफिसर का नोट था, उस तारीख तक वह वसूल नहीं हुई। मेरे कहने का मतलब यह है कि वह सरकारी लेबोरेटरी है, उस के अन्दर अगर मिनिस्टर साहब अपना प्राइवेट काम करवायें ....

अध्यक्ष महोदय : अब यह बहस नहीं है, इस वक्त तो स्टटमेंट की बहस है।

श्री बागड़ी : स्टटमेंट के ऊपर ही में आ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : वह सरकारी थी ....

श्री बागड़ी : मैं यह कहता हूं कि यह बुनियाद तो मानी है मिनिस्टर महोदय ने कि उन्होंने सरकारी लेबोरेटरी के अन्दर काम करवाया कार का। अब यह फर्ज कर लिया जाये कि यह ठीक है, अगर मिनिस्टर साहब का स्टटमेंट सच मान लिया जाय तो इस में तो सिर्फ यही है कि :

"Cost of the plates may be recovered"

यह तो सिर्फ प्लेट की कीमत है। उस में जो लेबर लगी है गाड़ी ठीक करने के लिये उस का पैसा तो सरकारी खजाने से जाता है मजदूरी का। वह तो भ्रष्टाचार है। चाहे एक पैसे का हो चाहे दो आने का हो चाहे सारे का हो, फर्क एक या दस आने का नहीं है, फर्क तो यह है कि नीति गलत है या नहीं। दरअसल प्राइवेट काम उस लेबोरेटरी से करवाया जाना चाहिये या नहीं, बुनियादी बात यह है।

दूसरी मेरी अर्ज यह है कि मिनिस्टर महोदय ने कहा है वह रकम उन्होंने क्रास्ड चेक के जरिये दी है और नवम्बर की उस रकम की रसीद जनवरी, १९६१ में मिली है। मैंने कोशिश की कि जहां वह पैसा जमा किया गया है उस बैंक के अकाउंट को जा कर देख सकूं, लेकिन मैं पता नहीं लगा सका। मुझे अभी तक इस बात का शक है कि आया यह रकम वहां पर जमा हुई है या नहीं।

श्री त्यागी (देहरादून) : यह क्या है ? (अन्तर्बाधायें)।

श्री बागड़ी : मेरे कहने का मतलब यह है कि जनवरी में यह रकम जमा हुई या नहीं यह उस बैंक के रेकार्ड्स को देखने से पता लग सकता है। इस के बारे में यह बात तो ठीक है कि अंग्रेजी न जानने की बिना पर मैंने यह बात गलत कही कि वह नोट आडिटर का था, बल्कि जो उस के आफिसर हैं उन का नोट था। अगर आडिटर और अफसर के ओहेदे में कोई फर्क आ जाता है तो उस के लिये मैं क्षमा चाहता हूं, वर्ना जो गलती मैंने की वही गलती माननीय मंत्री जी ने भी की।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह बहुत कठिन बात है। एपोलोजाइज भी माननीय सदस्य करते हैं और इल्जाम भी पेश करना चाहते हैं, शकूक भी जाहिर करते हैं। एक चीज मैंने उस दिन भी कही थी, बाकी चीजों से मुझे ताल्लुक नहीं क्योंकि मिनिस्टर साहब ने कह दिया कि क्रास्ड चैक है और सर्टिफिकेट भी शामिल किया कि क्रास्ड चेक का पेमेन्ट भी उस दफ्तर ने एकनालेज किया। सब चीजें शामिल हैं। अगर बागड़ी साहब तहकीकात करते तो देख लेते जो सारे कागज दाखिल हुए थे। मगर जो बात मुझे तकलीफ दे रही थी वह यह थी कि उन के साथ में, उन के कहने के मुताबिक, साफ तौर पर डिमान्ड थी

†मूल अंग्रेजी में

नैशनल लेबोरेटरी की भेजी हुई। ऐसी हालत में हम यकीन कर सकते हैं कि अपने मन में कि उन को इल्म होगा, जब एक मेम्बर एक डाकुमेंट हाथ में लिये हुए सदन को ऐड्रेस कर रहे हैं तो उन को मालूम होगा कि क्या डाकूमेंट है, और अगर नहीं मालूम था तो उन को जानना चाहिये था कि वे सदन के सामने क्या रख रहे हैं। यह उन का फर्ज था। उन्होंने इस को जानते हुए कि वह नैशनल फिजिकल लेबोरेटरीज का पर्चेज रिकिवजिशन फार्म था, यह कहा कि "मेरे पास आडिट का रेकार्ड है उस को मैं सदन के सामने रख रहा हूं। यहां बैटरी प्लेट्स बनती हैं उन प्लेटों को मिनिस्टर साहब ने मंगवाया अपने घर, लेकिन उन के वास्ते रकम नहीं दी गई। इस के बाद आडिटर साहब ने नोट दिया कि यह रकम श्री हुमायून् कबिर से वसूल की जाये। साफ चीज है कि हाथ में डाकूमेंट होते हुए कहा गया कि जो चीजें बनवाई गई थीं उन की रकम दाखिल करने की मियाद ६० दिन के अन्दर थी, लेकिन वह नहीं दी गई। इस के अलावा बाकी किसी चीज में मैं दखल नहीं देता। आम तौर पर जब स्टेटमेंट का झगड़ा आता है तो दोनों स्टेटमेंट्स रख दिये जाते हैं। मगर इस तरह से सदन के सामने यह बतलाना और असर देना कि मेरे पास आडिट नोट है, आडिटर का यह आब्जेक्शन है, ऐसी हालत में जब कि उन के पास कोई और चीज हो, यह बहुत काबिले एतराज है। इस पर आप ने कुछ लफ्जों में कहा कि मुझे अफसोस है। अगर वह सदन से माफी मागें तो मैं कुछ और नहीं करना चाहता, न कुछ करने की मेरी ख्वाहिश है। हम हर एक मेम्बर साहब के लिये यह ऐतबार करते हैं कि जब वे बोलते हैं तो हर एक को यकीन होता है कि जो कुछ वह कह रहे हैं वह अपने इल्म से भी कह रहे हैं, तहकीकात के बाद कह रहे हैं और ठीक कह रहे हैं। अगर इस तरह से कोई सदस्य अपने हाथ में कुछ और होते हुए दूसरा कोई असर दें तो हाउस की डिगनिटी जाती रहेगी और यह नहीं होना चाहिये।

†**श्री कपूर सिंह** (लुधियाना): उन्होंने अपनी गल्ती मान ली है और क्षमा भी मांग ली है और मेरा अनुरोध है कि उन के कथन को पूर्ण क्षमा के रूप में मान लिया जाये।

अध्यक्ष महोदय: उन को हाउस से ऐपोलोजाइज करना चाहिये कि यह मुझ से गलती हुई और मैं माफी चाहता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय**: उन्हें इन शब्दों में कहना चाहिये था "कहा मुझ से गलती हुई, मैं सदन से माफी चाहता हूं।"

†**श्री कपूर सिंह**: मेरा सुझाव केवल इतना है कि वह जिस तरह बोलने के आदी है वह मामले को और पेचीदा बना देंगे।

†**श्री गौरी शंकर कक्कड़**: (फतेहपुर): श्री बागड़ी ने गलती मानी है और उस पर खेद भी प्रकट कर दिया है।

अध्यक्ष महोदय: अब वह यह कह दें, इतना ही। बाकी चीजों को छोड़ दें, लेकिन वह तो इल्जाम साथ लगाते हैं।

श्री बागड़ी: अध्यक्ष महोदय ....

अध्यक्ष महोदय: मैं सिर्फ इतना ही तो कह रहा हूं, बाकी चीजें मैं छोड़ता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री बागड़ी : मैं इसी बात पर आप से निवेदन करता हूं कि मैंने कोई बात जान कर नहीं कही थी, अंग्रेजी के अज्ञान की बिना पर यह चीज कही गई, जिस के बारे में मालूम नहीं है । मैंने जान कर गलती नहीं, अनजानपन में मैंने बात कही थी । इस के लिये मैं अपनी गलती महसूस करता हूं, लेकिन दोष तो मंत्री महोदय का भी है कि वह जानते थे....

अध्यक्ष महोदय : आप अब सदन से माफी चाहते हैं या नहीं ?

श्री बागड़ी : हाथ जोड़ कर मांगूं ? मैंने अंग्रेजी के अज्ञान की बिना पर ऐसा किया । मैं यह बात मानता हूं कि वह आडिटर की रिपोर्ट नहीं थी, वह डिवीजनल आफिसर का नोट था । लेकिन जो गलती अंग्रेजी न जानने की बिना पर हुई उस गलती को तो मैं मानता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : आप गलती तो मानते हैं, माफी भी चाहते हैं या नहीं ? अब आप बहस कर रहे हैं । बात को खत्म नहीं करते । आप सिर्फ यह कहते हैं कि गलती मुझ से हुई ।

श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, मेरी नियत तो खराब नहीं थी ।

अध्यक्ष महोदय : आप बहस कर रहे हैं । मैं ने आप से सिर्फ एक सवाल किया है ।

श्री बागड़ी : यह अंग्रेजी भाषा का दोष है । इस बिना पर मुझ से गलती हुई , मैं क्षमा चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : चर्चा यहां समाप्त होती है ।

विवियन बोस आयोग के प्रतिवेदन के बारे में

†**श्री स० मो० बनर्जी :** (कानपुर) : प्रेस में यह सूचना प्रकाशित हुई है कि विवियन बोस आयोग के प्रतिवेदन पर उच्चस्तर पर विचार हो रहा है । मैं कहता रहा हूं कि पूर्व इस के कि सभा इस प्रतिवेदन पर विचार करे इस प्रतिवेदन को सदस्यों के लिये उपलब्ध करना चाहिये । प्रेस में यह भी सूचना दी गई है कि आगामी दो, तीन दिन में इस पर विचार समाप्त हो जायगा और सरकार किसी निर्णय पर पहुंच जायगी । मेरा अनुरोध यह है कि कोई निर्णय लेने से पूर्व सभा में इस प्रतिवेदन पर बहस होनी चाहिये । अन्यथा यह शवपरीक्षा के समान हो जायेगा ।

†**अध्यक्ष महोदय :** शान्ति, शांति । शवपरीक्षा का कोई प्रश्न नहीं है । उस प्रतिवेदन पर सभा में चर्चा होने वाली है । आप केवल यह कहते हैं....

श्री बागड़ी : (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के पानी के संकट के बारे में ....

अध्यक्ष महोदय शांति, शांति । आप जान बूझ कर कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं । श्री बनर्जी ने बोलने से पूर्व मेरी अनुमति ली थी परन्तु श्री बागड़ी केवल बाधा डालना चाहते हैं ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** (होशंगाबाद) : मेरा भी यही अनुरोध है कि सभा में इस प्रतिवेदन पर बहस से पूर्व सदस्यों के लिये यह प्रतिवेदन अथवा इसका सारांश उपलब्ध किया जाना चाहिय ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री बतायें कि सरकार का दृष्टिकोण क्या है।

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : प्रतिवेदन परसों रोज प्राप्त हुआ था। स्वभावतः सरकार कुछ दिन तक इस पर विचार करना चाहेगी। वास्तव में, हम इस पर तुरन्त ही विचार कर रहे हैं। जहां तक प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने का प्रश्न है सरकार को इस बारे में विचार करना होगा और प्रतिवेदन को देख कर इस पर निर्णय लेना होगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह चाहते हैं कि पूरक प्रतिवेदन पर चर्चा के लिये उन की सहायता करने के प्रयोजनार्थ दूसरे प्रतिवेदन को उन के लिये उपलब्ध करना चाहिये। दूसरा अनुरोध यह है, मैं कोई विनिर्णय नहीं दे रहा हूं, कि सभा में प्रतिवेदन पर चर्चा के पश्चात् ही उस पर कोई निर्णय लिया जाये।

†**श्री फ्रैन्क एन्थनी** : (नाम निर्देशित–आंग्ल-भारतीय) : उच्चतम न्यायालय ने आयोग को इस मामले की जांच की अनुमति इस शर्त पर दी थी कि यह आयोग अपराधों की जांच नहीं करेगा और महान्यायवादी ने भी स्पष्ट किया था कि यह आयोग वणिक विधि के बारे में मंत्रणा देगा। इसलिये मेरा अनुरोध है कि कोई ऐसी बात न कही जाये जिस का होने वाले मुकद्दमे पर प्रभाव पड़े :

†**अध्यक्ष महोदय** : यह हम तभी देख सकते हैं जब चर्चा होगी। हम उस समय पर यह विश्वास नहीं कर सकते कि होने वाली चर्चा में क्या कुछ कहा जायेगा अथवा क्या कुछ नहीं। जब चर्चा होगी तो निश्चय ही प्रतिवेदन के ऊपर जो चाहेंगे कह सकेंगे और उस पर यदि कोई आपत्ति करेगा उस के बारे में निर्णय किया जायगा।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : (होशंगाबाद) : क्या आप सरकार को सुझाव नहीं दे सकते कि यह प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : आयोग सरकार द्वारा स्थापित किया गया था और सरकार ही इस बारे में निश्चय करेगी कि इसे सभा पटल पर रखना है अथवा नहीं। मैं इस बारे में उन्हें निर्देश नहीं दे सकता। यह बात उन के ध्यान में लाई गई है कि माननीय सदस्य ऐसा चाहते हैं। वह इस बारे में निश्चय करेंगे।

†**श्री याज्ञी** : (इन्दौर) : गृह मंत्री ने कहा कि इसे दो दिन लगेंगे। क्या हमें सरकार के निश्चय की सूचना सोमवार अथवा मंगलवार, तक मिल सकती है क्योंकि अन्यथा हम इस पर उचित रूप से चर्चा नहीं कर सकेंगे ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : हम सोमवार तक यह सूचना दे सकेंगे। हम यह बता सकेंगे कि सरकार का क्या करने का विचार है।

---

†मूल अंग्रेजी में

राजभाषायें विधेयक—जारी

खण्ड ४—जारी

†**अध्यक्ष महोदय :** अब सभा संघ के काम-काज के लिये, संसद् में कार्य संचालन के लिये, केन्द्रीय तथा राज्य के अधिनियमों के लिये तथा उच्च न्यायालयों में कुछ प्रयोजनों के लिये, प्रयोग में लाई जाने वाली भाषाओं का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर अग्रेतर खण्डवार विचार करेगी।

हम खण्ड ४ पर चर्चा कर रहे हैं। हम ने इस के लिये १५ घण्टे नियत किये थे और हमने ११ घण्टे और ५ मिनट ले लिये हैं। शायद पहले हम यह नहीं सोच सके कि हम इतना समय ले लेंगे। प्रत्येक सदस्य ५ मिनट से अधिक नहीं लेंगे। चर्चा २.३० तक समाप्त हो जानी चाहिये।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** (होशंगाबाद) : माननीय मंत्री द्वारा जो परिवर्तन लाये गये हैं और जो संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं वह उन के बारे में बोलें ताकि यदि आवश्यक हो तो, हम अपने संशोधन वापिस ले लें।

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लालबहादुर शास्त्री) :** वाद विवाद का उत्तर देते समय मैं ने सब कुछ कर दिया था।

†**श्री प्रभात कार** (हुगली) : हम ने अपने संशोधन में यह सुझाव दिया है कि समिति के प्रतिवेदन को राज्यों की विधान सभाओं के विचारार्थ भेजा जाये। यदि यह प्रतिवेदन विधान सभाओं के विचारार्थ भेजा जायगा तो इस पर लोकतंत्रात्मक अध्ययन हो जायगा। अतः मेरा अनुरोध है कि मेरा संशोधन स्वीकार किया जाय। मेरा दूसरा संशोधन इस बारे में है कि राष्ट्रपति किसी निर्णय पर पहुंचने से पूर्व प्रतिवेदन पर नहीं वरन् संसद् की सिफारिशों पर विचार करे। इस प्रकार दोनों संशोधन से परिणामस्वरूप राष्ट्रपति के समक्ष विधान सभाओं की और संसद् की रायें होंगी।

श्री बड़े (खारगोन) : अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक की जो धारा ४ है वह प्राइम मिनिस्टर साहब और श्री एंथनी के बीच एक कम्प्रोमाइज है। इस विधेयक का जो सैक्शन ३ है उस में इंगलिश परमानैंटली लादी गई है, इंगलिश स्थाई तौर पर लादी गई है लेकिन सैक्शन ४ के जरिये दोनों में कम्प्रोमाइज हो गई है और वह यह है कि दस साल तक अर्थात् सन् १९७५ तक अंग्रेजी कायम रहेगी सन् १९७५ के बाद एक कमेटी कायम होगी और कमेटी यह फिर सोचेगी और विचार करेगी कि हिन्दी बराबर डेवलप हुई है या नहीं हुई है। यह कमेटी अपनी रिपोर्ट पांच साल में देगी। इस तरह से यह मामला १९८० तक चला जायेगा। इस तरह से हिन्दी कभी डेवलप नहीं हो सकेगी।

कल हमारे एक विद्वान और अनुभवी मित्र माननीय सदस्य श्री हरि विष्णु कामत ने यह कहा कि यहां हिन्दी नहीं बोली जाती है बल्कि इंगलिश के बजाय हिंदी बोली जाती है। इंगलिश के बजाय हिन्दी बोली जाती है ऐसा एक समाचार ऐक्सप्रेस में आज आया है। श्री कामत जिन्होंने कि यह चीज कही उनसे मैं कहना चाहूंगा कि यदि मैं कहूं कि इस बिल के पास होने के लिये कितना टाइम लगेगा तो वे यह कहते हैं कि वह हिन्दी नहीं है। लेकिन अगर मैं इसी को यूं कहूं कि इस विधेयक के पारित होने में कितनी अवधि लगेगी तो यह कह दिया जायेगा कि मैं संस्कृतनिष्ठ हिन्दी बोलता हूं और मुझे कहा जायगा कि ऐसी संस्कृतमय हिंदी मत बोलूं। अब अंग्रेजी के ऐसे शब्द जोकि आम

†मूल अंग्रेजी में

तौर पर हिन्दी में प्रचलित हो गये हैं जैसे स्टेशन, टेबुल टाइम आदि, इनको अगर हिन्दी बोलते समय इस्तेमाल किया जाय तो मैं नहीं समझता कि इसमें क्या ऐतराज की बात है और यह आक्षेप करना कि यह हिन्दी नहीं हिंदिश है, कहां तक उचित होगा ? दूसरी प्रादेशिक भाषाओं के ऐसे शब्द जोकि बहुत ही प्रचलित हैं और अभी भी इस्तेमाल होते हैं उनको हिन्दी को अपनाना ही चाहिये । अब बहुत से लोग टाइम को टैम कहते हैं । इसी तरह हिन्दी डेवलप होती जायेगी । अब स्टेशन शब्द हिन्दी में काफी प्रचलित है और हमें स्टेशन को स्टेशन ही कहना चाहिये । अब मैं हिन्दी में उसे यदि अग्नि रथ विश्रामालय कहूं तो वह उचित नहीं होगा । इसलिये स्टेशन को स्टेशन ही कहना ठीक रहेगा और इस तरह से हिन्दी डेवलप होती जायेगी । इसलिये मैं समझता हूं कि श्री कामत ने उन लोगों के साथ जोकि हिन्दी बोलने की कोशिश कर रहे हैं उनका इस तौर से मजाक उड़ाने की चेष्टा करके उनके साथ अन्याय किया है । हमारे कामत साहब महात्मा जी का नाम ज्यादा लेते हैं । महात्मा गांधी ने मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के बारे में यह लिखा है :—

> "यदि माध्यम को तुरन्त बदल दिया जाये तो शिक्षक और किताब आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध हो सकेगी । यदि हम ऐसा करें तो एक वर्ष में हम महसूस करने लगेंगे कि विदेशी माध्यम द्वारा संस्कृत को समझने में हम ने समय खराब किया ।"

उन्होंने आगे यह भी कहा है :—

> "हमारी भाषा हमारा प्रतिबिम्ब है और यदि आप कहते हैं कि हमारी भाषा अच्छे विचारों की अभिव्यक्ति के लिये बहुत अपर्याप्त है तो मैं कहता हूं कि हमारे अस्तित्व का अस्तित्व समाप्त हो जाना अच्छा है ।"

क्लाज ४ के लिये मेरा कहना है कि हिन्दी वालों के साथ यह अत्यन्त अन्याय है । यह प्राइम मिनिस्टर और श्री एंथनी के बीच अवश्य कम्प्रोमाइज है । क्लाज ४ जिस रूप में पास किया जा रहा है उससे हिन्दी वालों के साथ अन्याय हो रहा है । इस वास्ते मैंने इस के लिये अपना संशोधन दिया है :—

> "धारा ३ लागू हो जाती है, संघ के सभी सरकारी कार्यों के लिये और संसद में कार्य संचालन के लिये हिन्दी भाषा का प्रयोग किया जायेगा ।"

मेरा कहना यह है कि दस साल के बजाय पांच साल की अवधि होनी चाहिये । अगर धारा के वर्तमान रूप को कायम रक्खा गया तो यह हिन्दी भाषा भाषियों के साथ अन्याय होगा ।

उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मध्यप्रदेश जहां से कि श्री कामत होशंगाबाद से आते हैं, वहां हिन्दी जोरों से चले तो यह जरुरी है कि इस विधेयक की धारा में संशोधन किया जाय । अगर सरकार की हिन्दी के प्रति उपेक्षा की वर्तमान नीति जारी रहती है और इस विधेयक की शब्दावली चेंज नहीं होती है तो देश में हिन्दी बतौर एक राष्ट्रभाषा और राज भाषा के ७०–८० साल में भी डेवलप न हो पायेगी । इस वास्ते मैंने यह अमेंडमेंट रक्खा है और यदि हिन्दी को वास्तव में जल्दी देश में लाना है तो इसे सरकार को मंजूर कर लेना चाहिये ।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री (बिजनौर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने इस विधेयक की धारा ४ पर जो अपना संशोधन प्रस्तुत किया है उसके हिन्दी शब्द यह हैं :—

> "धारा ३ के लागू होने के समय से दस वर्ष की अवधि के बाद यदि लोकसभा, इसके द्वारा और अहिन्दी भाषी क्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों

†मूल अंग्रेजी में

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

की कुल संख्या के बहुमत से पारित किये गये एक संकल्प द्वारा यह संकल्प न करलें कि यह धारा आगे और किसी अवधि तक, जो पांच वर्ष से अधिक न हो, लागू रहेगी, तो यह धारा रद्द समझी जायेगी।"

इस संशोधन को देने का मेरा स्पष्ट अभिप्राय यह है कि जब सरकार ने १९७५ में पहले जो राष्ट्रपति की कमेटी यह शब्द दिये गये थे, बाद में गृह मंत्री जी ने संशोधन करके उसको अब पार्लियामेंटरी कमेटी कहा है, वह पार्लियामेंटरी कमेटी १९७५ में बैठेगी। वह १० वर्ष में हिन्दी की प्रगति का निरीक्षण करेगी और हिन्दी की प्रगति का निरीक्षण करके तब अपनी रिपोर्ट देगी। राज्य सरकारों की भी उस पर सम्मतियां ली जायेंगी। इसका स्पष्ट अभिप्राय: यह है कि यह सरकार अभी से यह मान कर चलती है कि १९७५ तक हिन्दी इस स्थिति में नहीं हो पायेगी कि १९७५ के बाद हिन्दी को पूरी तौर पर देश में वह लागू हो सके। सरकार की इस दुर्बलता से किसी अंश में सहमत न होते हुये भी यदि हम इस धारा को उसके वर्तमान रूप में मान लें और उनको तैयारी के लिये कुछ समय दिया जाय क्योंकि पिछले १५ वर्षों में वे कुछ नहीं कर सके, उस १९७५ वाली बात को मान भी लिया जाय तो भी मेरा अपना मत यह है कि इसे अनिश्चित काल तक न टाल दिया जाय। १९७५ में बजाय इसके कि इस प्रकार की कमेटी बनाई जायें और केन्द्र में और प्रांतों में फिर इस प्रश्न पर इसी तरह के हंगामें हों और देश की एकता हिलने का या देश की एकता टूटने का किसी प्रकार से भय हो, इससे तो अच्छा यह है कि लोक सभा, जिसमें कि सारे राज्यों के प्रतिनिधि आकर बैठते हैं, और वह अपने अपने राज्यों की भावनाओं से भी वे पूर्णतः अवमत हैं, वे लोग ही इस संबंध में अपनी कुछ सम्मत्ति दें और इसमें खास तौर से जो अहिन्दी भाषी राज्यों के सदस्य हैं उनकी सम्मतियां ली जायें कि उनका बहुमत किस पक्ष में जाता है ? शायद आप यह कहें कि संविधान में ऐसी कोई विशेष व्यवस्था नहीं है कि हिन्दी भाषी राज्यों की अलग सम्मति ली जाय और अहिन्दी भाषी राज्यों की अलग सम्मति ली जाय। लेकिन एक दूसरे प्रकार से अहिन्दी भाषी राज्यों का मत जाना जा सकता है। यह देख लिया जाये कि लोक सभा में अहिन्दी भाषी राज्यों के सदस्यों के बहुमत ने किस पक्ष में मत दिया है। अगर उन सदस्यों के बहुमत ने इस पक्ष में मत दिया कि १९७५ में भी हिन्दी इस योग्य नहीं हुई है कि उसको राजभाषा के रूप में लागू किया जाये, तो पांच वर्ष की अवधि और दे दी जाये, लेकिन उन पांच वर्षों के बाद, अर्थात्, १९८० के बाद, एक दिन की भी अवधि और न दी जायेगी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस संबंध में एक रेखा अवश्य खींचनी चाहिये, ताकि अगली पीढ़ियां इस सरकार के संबंध में कह सकें कि यद्यपि पिछले पन्द्रह वर्षों में तो जानबूझ कर हिन्दी या राजभाषा के प्रति इस सरकार का उपेक्षा भाव रहा है, लेकिन कम से कम अब सरकार उसके बारे में सावधान होकर चली है और अब इसको जो अवसर दिया गया है, उसको इसने हाथ से खोया नहीं है।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** (जोधपुर): मैंने गृह मंत्री के संशोधन पर दो संशोधन प्रस्तुत किये हैं: एक संख्या १७२ और दूसरा संख्या १७३।

गृह मंत्री के संशोधन के अनुसार १० वर्ष पश्चात् समिति के गठन के लिये भी संसद् द्वारा संकल्प पारित करना आवश्यक होगा। मेरा अनुरोध है कि समिति की गठन की बात किसी पर नहीं छोड़ी जानी चाहिये। वह समिति राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त की जानी चाहिये। यही मेरा संशोधन है।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस से भी आपत्तिजनक बात यह है कि गृह-मंत्री अपने संशोधन द्वारा इस बात का उपबन्ध कर रहे हैं कि वह प्रतिवेदन राज्य सरकारों के विचारार्थ भी भेजा जाये। मेरा अनुरोध है कि यह राष्ट्रीय समस्या है प्रादेशिक नहीं। संसद् भी देश का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिये उस प्रतिवेदन पर केवल संसद् द्वारा ही विचार होना चाहिये। यही मेरा दूसरे संशोधन का उद्देश्य है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : सर्व प्रथम मैं श्री बड़े को बताना चाहूंगा कि मैं किसी भाषा से भी घृणा नहीं करता हूं। मैंने स्वयं कन्नड़, मलायालम, तामिल, बंगला, मराठी और हिन्दी आदि भाषाओं को सीखा। संस्कृत को भी सीखा। इसलिये मैं श्री बड़े के आरोप का खंडन करता हूं। कल मैंने सभा में एक उदाहरण इसलिये दिया था कि १५ वर्ष पश्चात् भी कैसी भाषा का प्रयोग हम संसद् में कर रहे हैं।

मैंने मध्य प्रदेश में भी देखा है कि वहां लोग हिन्दी के पक्ष में होते हुये भी इस बात के विरुद्ध नहीं हैं कि अंग्रेजी का प्रयोग तब तक होता रहे जब तक दक्षिण के लोग इसका पूरा ज्ञान प्राप्त न कर लें। हमें वास्तव में हिन्दी से स्नेह है, परन्तु देश की एकता हमें उस से भी अधिक प्रिय है।

गृह मंत्री ने खंड ४ के मूल रूप को बिलकुल बदल दिया है और जो परिवर्तन लाये गये हैं उन को देख कर मेरा यह विश्वास और भी पुष्ट हो गया है कि सरकार यदि इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंप देती तो अधिक बेहतर होता। प्रवर समिति में शांतिमय वातावरण में इसके सभी पक्षों पर विचार किया जा सकता था और उस से यह जो इस समय परिवर्तन लाये जा रहे हैं इन की आवश्यकता न पड़ती। अध्यक्ष महोदय, नियमों के विषय में आपको हमारा पथप्रदर्शन करना होता है, परन्तु मैं यह सुझाव दूंगा कि भविष्य में किसी भी महत्वपूर्ण विधेयक को आपकी अनुमति से प्रवर समिति को अवश्य सौंपा जाये। इस बारे में आप विनिर्णय देंगे कि कोई विधेयक अधिक महत्व का है अथवा नहीं। परन्तु एक महत्वपूर्ण विधेयक को प्रवर समिति को अवश्य सौंपा जाये।

इस प्रस्तुत विधेयक के बारे में भी मैं नहीं समझ पाया कि सरकार इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही है। २६ जनवरी, १९६५ को अभी काफी समय है। इस विधेयक को भी यदि प्रवर समिति को सौंपा जाता तो किसी को आपत्ति नहीं हो सकती थी। अब नहीं तो भविष्य के लिये अवश्य मेरे सुझाव पर विचार करना चाहिये।

गृह मंत्री के संशोधन के अनुसार राज-भाषा सम्बन्धी संसदीय समिति संसद् द्वारा एक संकल्प पारित कर के बनाई जायगी, और वह संकल्प राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से प्रस्तुत किया जायगा। परन्तु मैं यह नहीं समझ पाया कि इस संसदीय समिति के प्रतिवेदन को राष्ट्रपति के सम्मुख क्यों प्रस्तुत किया जायगा। मेरा यह दृढ़ विचार है कि यदि हम संसदीय परम्पराओं को और संसदीय संस्थाओं को देश में प्रोत्साहन देना चाहते हैं तो संसदीय समिति का प्रतिवेदन संसद् में प्रस्तुत किया जाना चाहिए न कि सरकार को अथवा राष्ट्रपति के समक्ष। इसीलिये मैं ने गृह मंत्री के संशोधन पर अपना संशोधन प्रस्तुत किया है : कि "राष्ट्रपति" के स्थान पर "संसद्" शब्द रख दिया जाय।

मैं ने अपने संशोधन संख्या १६२, १६३, १६५, १६६ और १६७ द्वारा समिति के प्रतिवेदन पर विचार के लिये प्रक्रिया का सुझाव दिया है। मेरा सुझाव है कि यह प्रतिवेदन संसद् के सम्मुख रखे जाने के पश्चात् न केवल राज्य सरकारों को बल्कि विधान सभाओं को भी विचारार्थ भेजना चाहिए। क्योंकि केन्द्र और राज्यों में एक ही दल की सरकारें हैं और कई दल ऐसे हैं जिन का

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हरि विष्णु कामथ]

प्रतिनिधित्व न तो राज्य सरकारें करती हैं और न संसद् ही । इसलिये प्रतिवेदन को विधान सभाओं में भेजना आवश्यक है अन्यथा देश के सभी वर्गों और दलों की राय आप को नहीं प्राप्त हो सकेगी ।

मैं एक अन्य सुझाव देना चाहूंगा । संविधान सभा में जब इस मामले पर विचार हो रहा था तो हम में से कुछ लोगों ने सुझाव दिया था कि हिन्दी के प्रयोग के लिये २६ जनवरी, १९६५ तक की जो समय सीमा निश्चित की जा रही है यह ठीक नहीं है । बेहतर होगा यदि यह समय-सीमा १९७५ अथवा १९८० रखी जाय । परन्तु उस समय सरकार को अपने ऊपर बहुत विश्वास था जिस के परिणामस्वरूप आज इस विधेयक को लाना पड़ा है । यदि संविधान सभा में हमारी बात स्वीकार कर ली जाती तो आज यह स्थिति उत्पन्न न होती । इस समय भी मैं महसूस करता हूं कि इस समिति के बारे में अहिन्दी भाषी लोगों को विश्वास में ले कर ही कोई निश्चय किया जाना चाहिए । मेरा सुझाव है कि जो समितियां बनाई जायेंगी, यदि सम्भव हो तो उन में बहुमत अहिन्दी भाषी लोगों का होना चाहिए । इस के अतिरिक्त, प्रत्येक वर्ष, एक संसदीय समिति को इस बात का अध्ययन करना चाहिए कि हिन्दी को प्रोत्साहन देने में सरकार ने किस कदर प्रगति की है ।

अन्त में मैं यह कहूंगा कि सरकार को तथा हम सब को तीन बातों को सम्मुख रखना चाहिए : क्या आवश्यक है, वांछनीय क्या है और सम्भव क्या है । हिन्दी चरम पंथियों को ध्यान में रखना होगा कि यद्यपि यह वांछनीय है परन्तु सम्भव नहीं है । इसी प्रकार अंग्रेजी के अत्यधिक प्रेमियों को देखना होगा कि हिन्दी हमारे देश के लिये आवश्यक है क्योंकि समूचे राष्ट्र को हमें एक लक्ष्य की ओर ले जाना है, और क्योंकि इस भाषा का प्रयोग देश के अधिक लोगों द्वारा किया जाता है । इसलिये हमें इस भाषा को अन्य राष्ट्रीय भाषाओं की अपेक्षा सरकारी काम काज के लिये अधिक मान्यता देनी है ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : अध्यक्ष महोदय, इस बिल की क्लाज ४ जहां पर यह लिखा गया है कि दस साल के बाद एक कमेटी बैठेगी, इसका मैं विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं । मैं समझता हूं कि अगर एक निश्चित काल तक के लिए यह तय हो जाये कि अंग्रेज़ी भाषा बनी रहेगी, तो वह मेरे ख्याल में इससे ज्यादा अच्छा होगा । दस साल के बाद फिर एक अनिश्चित काल के लिए जब हिन्दी शिक्षा भी . . . .

श्री फ्रैंक एन्थनी : पंद्रह साल . . . .

श्री स० मो० बनर्जी : पंद्रह साल नहीं चाहे सौ साल रख दिया जाये, मैं इस को मानने के लिए तैयार हूं । इस में मैं खुश हूं कि सौ साल के बाद तो हिन्दी सीखेंगे । मैं नहीं तो मेरा पोता देखेगा कि आप का पोता हिन्दी सीखा है । यहां तक जाने के लिए मैं तैयार हूं ।

जिस तरह से इस क्लाज़ को अब रखा गया है, मैं नहीं समझता हूं कि इससे हिन्दी की तरक्की हो सकती है । जब तक एक अवधि तय न हो जावे तब तक कुछ नहीं हो सकता है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं ने जो कल कहा था उसे आज फिर दोहराना चाहता हूं कि मुझे अंग्रेज़ी भाषा से कोई द्वेष नहीं है, मैं अंग्रेज़ी भाषा को बहुत अच्छी भाषा समझता हूं, उस से मुझे प्यार है, मोहब्बत है, मैं चाहता हूं कि मैं उसे सीखूं, लेकिन पूर्ण रूप से विश्वास करता हूं कि जिस भाषा के

†मूल अंग्रेजी में

ारे में हम गर्व महसूस न करें, जिस भाषा के बारे में कोई नैशनल प्राइड न हो, हम उस भाषा को ले कर क्या करें ? हम भूल नहीं सकते हैं आज भी कि हमारे यहां के लोगों ने अंग्रेज़ी जबान तो अच्छी नहीं सीखी लेकिन अंग्रेजों की जहनियत, तहजीब और तमद्दुन को उन्होंने अपना लिया। मैं समझता हूं कि इस देश की अच्छी सभ्यता के ऊपर जो सब से बड़ा कुठाराघात हुआ है, वह इस वजह से हुआ है। कल मैं ने कहा था कि मैं इसे महसूस करता हूं कि जब तक सत्ता की बागडोर उन लोगों के हाथों में है जो हैरो, कैम्ब्रिज और आक्सफोर्ड के पढ़े हुए हैं और अपने बाल बच्चों को हमेशा कान्वेन्ट्स में पढ़ाते रहते हैं, तब तक हिन्दी भाषा . . . . .

श्री फ्रैन्क एन्थनी : यही तो आफत है कि सब लोग वहां ही अपने बच्चों को पढ़ने भेजते हैं।

†**श्री हजरनवीस** : क्या यह राजनैतिक दलों पर भी लागू होता है ?

श्री स०मो० बनर्जी : आप नाराज न हों, जो भारतीय भाषाओं को अच्छी तरह से समझते हैं उन की तरफ से कह रहा हूं। मेरा कहना यह है कि मैं इस चीज को तो मानता हूं कि जो संशोधन मेरे मित्र श्री प्रभात कार ने रक्खा है कि :

> "राष्ट्रपति उस के बाद प्रतिवेदन को विधान सभाओं को उन की राय जानने के लिए भेजेंगे"

वह बहुत ठीक है। जो रिपोर्ट निकलती है वह स्टेट लेजिस्लेचर्स में जानी चाहिये। उस के बाद जब वह पार्लियामेंट के सामने, लोक सभा के सामने आये तो लोक सभा उस को तय करे। मुझे खुशी है कि हमारे शिक्षा मंत्री जी भी यहां मौजूद हैं, मैं अपने मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि कम से कम वे इस सदन को यह विश्वास तो दिलायें कि दस साल में हिन्दी की तरक्की होगी। कहीं दस साल बाद फिर तो यह नहीं कहा जायेगा कि हिन्दी जबान हमारी है, हम हिन्दुस्तानी हैं, हिन्दुस्तान में रहते हैं, लेकिन हिन्दी जबान की तरक्की नहीं हुई है इसलिये अंग्रेजी जबान को दुबारा हमारे ऊपर लाद दिया जाये। मैं समझता हूं कि यह गलत है। मेरी कही हुई बात को गलत न समझा जाय। मैं कहना चाहता हूं कि मैं हिन्दुस्तान का नागरिक हूं, मैं बंगाली हूं, पंजाब में पैदा हुआ, उत्तर प्रदेश में नौकरी करता हूं और बिहार में कर चुका हूं। मैं समझता हूं कि हमें इस संकुचित दृष्टिकोण से दूर रहना चाहिये। अगर आज इस संकुचित दृष्टिकोण से देखा जायेगा और अपनी भाषा के बारे में अपनी जहनियत को साफ नहीं किया जायेगा, अगर हम अपनी भाषा से गौरवान्वित महसूस न करें कि अब हिन्दी भाषा आयेगी, तो यह ठीक नहीं है। इसलिये हमें इस सदन में बैठ कर यह प्रयत्न करना है कि इस अंग्रेजी का क्या हो। कब तक अंग्रेजी रहेगी और हिन्दी उस के बाद आयेगी। कल शास्त्री जी ने कहा था कि सन् १९८० तक का समय रक्खा जाय। इस में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन हम को तय करना पड़ेगा कि हम हिन्दुस्तानी हैं तो हिन्दी सीखना हमारा फर्ज है। इसलिये हम हिन्दी को मुस्तैदी से लाना चाहते हैं जिस में कि हमारे बच्चे इतिहास हिन्दी में पढ़ कर गर्वित हो सकें।

†**श्री रंगा** (चित्तूर) : दोनों सरकारी संशोधन हिन्दी क्षेत्रों और अहिन्दी क्षेत्रों के लोगों को सन्तुष्ट नहीं कर सकते। मैं ने संशोधन दिया है कि राष्ट्रपति प्रशासनिक तथा अन्य मामलों में अंग्रेजी के स्थान को कम करने के लिए निर्णय नहीं करेंगे।

यह केवल राष्ट्रीय प्रश्न ही नहीं है, परन्तु स्थानीय प्रश्न भी है। अतः इस प्रश्न पर विधान सभाओं की भी राय ली जानी चाहिए।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री रंगा]

अच्छा होता कि यह प्रश्न प्रवर समिति को सौंपा जाता । चूंकि ऐसा नहीं किया जा रहा है, अत: श्री कामत का संशोधन मान लेना चाहिए और विधान सभाओं में इस मामले पर चर्चा होनी चाहिए । इस सम्बन्ध में श्री कामत ने कारण तो बता ही दिये हैं ।

संसदीय समिति के, जो नियुक्त की जायेगी, ५० सदस्य होने चाहिएं ताकि उस में ३५ सदस्य लोक सभा के होंगे । इस तरह से सभी दलों के सदस्यों को प्रतिनिधित्व मिल जायेगा । दूसरे ५० सदस्यों के निर्णय का प्रभाव जनता पर अच्छा पड़ेगा । आशा है कि गृह मंत्री इसे स्वीकार करेंगे ।

यदि हमारे संशोधन न माने गये तो देश में मायूसी रहेगी । उस का उत्तरदायित्व गृह मंत्री पर होगा ।

श्री राधे लाल व्यास (उज्जैन): अध्यक्ष महोदय, मैंने २९ नम्बर का संशोधन पेश किया है। उसका उद्देश्य यह है कि जो इस में प्रावधान प्रस्तावित किया गया है कि दस साल बाद कमेटी बनायी जायेगी, तो हम दस साल तक बैठे ही न रहें, बल्कि इस बीच में समय समय पर हम को मालूम होता रहे कि हिन्दी को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया जा रहा है । संविधान के पार्ट १७ में दो बातें हैं, एक तो यह है कि हिन्दी आफिशियल लेंग्वेज मान ली गयी और दूसरे यह कि १५ साल तक अंग्रेजी कायम रहेगी । लेकिन साथ ही उस में यह है कि इन १५ सालों में हिन्दी के प्राग्रैसिव यूज में लाने के लिए और अंग्रेजी के उपयोग को कम करने के लिए प्रयत्न किया जाये । इस विधेयक में यह बात तो है कि अंग्रेजी को आगे और कुछ समय के लिए रखा जाये और वह उद्देश्य इस विधेयक से पूरा हो जाता है । लेकिन कब हिन्दी अपना स्थान ग्रहण करेगी इस के बारे में इस विधेयक में कुछ नहीं कहा गया है । दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण बात की ओर भी अभी भी शासन का ध्यान नहीं है । आर्टिकिल ३४३ में जो शब्द "शेल" है वह भविष्य काल को नहीं बतलाता, वह तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर सब को बतलाता है । वह काल नहीं बतलाता । वह तो यह बतलाता है कि यह काम एक समय पर अवश्य हो जायेगा । यानी संविधान के लागू होने से १५ साल बाद हिन्दी राजभाषा हो जायेगी ।

जो इसके बाद का दूसरा आर्टिकिल ३४४ है उस में लिखा है कि संविधान को लागू होने के पांच साल बीतते ही लेंग्वेज कमीशन होगा, और दूसरे पांच साल बीतने पर दूसरा लेंग्वेज कमीशन होगा और वह यह बतायेगा :

"(क) संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिये हिन्दी भाषा के उत्तरोत्तर अधिक प्रयोग के;

(ख) संघ के राजकीय प्रयोजनों में से सब या किसी के लिये अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निर्बन्धनों के;

"उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों और अधिनियमों, विधेयकों इत्यादि में प्रयोग की जाने वाली भाषा ।"

जो संविधान में इस तरह पांच पांच साल बाद कमीशन के लिये कहा गया है, उस के बारे में इस दस साल में शासन क्या करेगा यह इस विधेयक में कुछ नहीं कहा गया है, या क्या पालयामैंट को यह अधिकार नहीं है कि वह जाने कि आप इन दस सालों में हिन्दी के प्रोग्रेसिव यूज़ के लिए क्या कर रहे है । अगर सरकार ऐसा कुछ कदम नहीं उठाएगी तो संविधान ने जो उस के ऊपर दायित्व

डाला है उस को पूरा नहीं करेगी । इस काम के लिए केवल राज्य सरकारें ही उत्तरदायी नहीं है बल्कि केन्द्रीय सरकार की भी इस में जिम्मेवारी है । आर्टिकिल ३५१ में लिखा है :

> "हिन्दी भाषा के प्रसारण में प्रगति के लिए संघ का उत्तरदायित्व होगा . ."

इस में केवल आफिशियल परपज की ही बात नहीं है, उस से आगे भी कहा गया है :

> "भारत की मिली जुली संस्कृति के सभी तत्वों का माध्यम बन सकने के लिए इस का विकास करना"

इस के लिए क्या किया जा रहा है । अभी तक कुछ नहीं हो सका । क्या आगे भी हम इसी तरह बैठे रहेंगे ? और यह काम अभी तक इसलिए नहीं हो सका कि यह किसी मिनिस्टर का विषय नहीं रहा और न किसी आफिसर को ही यह काम सौंपा गया कि वह हिन्दी के लिए काम करता । इसी लिए हिन्दी अपना स्थान प्राप्त नहीं कर सकी । इसी कारण मैं ने अपने अमैंडमैंट में कहा कि जिस रोज से यह कानून अमल में आवे उस से पहले ही एक स्पेशल अफसर नियुक्त किया जाय । मेरे संशोधन में स्पष्ट लिखा है :

> "राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष प्रगति की जांच के लिये एक विशेष अधिकारी नियुक्त करेंगे ।"

हम चाहते है कि यह चीज हर साल हमारे सामने आए कि हिन्दी के प्रोग्रेसिव यूज़ के लिए क्या किया जा रहा है। जिस प्रकार कमीशन का प्रतिवेदन हमारे सामने आने का प्राविधान संविधान में है, उसी प्रकार इस अफसर का प्रतिवेदन हर साल हमारे सामने आए । में ने अपने संशोधन में इस अफसर के बारे में कहा है ।

> "जोकि हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग के लिए उठाये गये कदमों का पुनार्विलोकन करेगा ।"

मैं यह नहीं कहता कि दक्षिण के जो अहिन्दी भाषा भाषी भाई है उन की मरजी के खिलाफ ऐसा किया जाए, लेकिन उन की रजामन्दी से ऐसा किया जाय । हम चाहते है कि इस काम में क्या प्रगति हुई है यह हमारे सामने आवे । इसलिए मैं ने अपने अमैंडमैंट में आगे कहा है :

> "की गई यथार्थ प्रगति और सामना की गई कठिनाइयां . . . "

उस अफसर को यह भी बतलाते रहना चाहिये कि इस में दक्षिण भारत के राज्यों को क्या कठिनाइयां है, उन को जितनी ग्रांट मिलनी चाहिये वह मिली है या नहीं । उस को बतलाना चाहिये कि क्या कठिनाइयां है जिन के कारण आफिशियल परपज़ेज़ के लिये हिन्दी का उपयोग नहीं हो सकता । आगे उस अफसर का क्या कर्तव्य होगा उस के बारे नें मेरे अमैंडमैंट में कहा गया है :

> "इन कठिनाइयों को दूर करने और संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिये हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिशे करेगा और राष्ट्रपति ऐसे प्रतिवेदन को संसद् के दोनों सदनों के सामने रखवाएगा ।"

तो मेरा कहना है कि प्रतिवर्ष यह प्रतिवेदन हमारे सामने आए और उस पर पालयामैंट की कमेटी, जैसा कि हमारे होम मिनिस्टर साहब ने कहा है, रिव्यू करे, और वह रिपोर्ट फिर प्रेसीडेंट को कमेटी के सजेशन्स सहित दी जाये । इस में संशोधन की कोई बात नहीं है । आप अंग्रेज़ी को जारी रखें, उस को हटाने की मेरे संशोधन में कोई बात नहीं है । मेरा निवेदन है कि यह बहुत सीधा सादा अमैंडमैंट है और बहुत वाजिबी है । पार्लियामैंट का हक होना चाहिये वह रिपोर्ट उस के सामने आवे कि हिन्दी का कितना प्रोग्रेसिव यूज़ हो रहा है । मैं आशा करता हूं कि हमारे

[श्री राधे लाल व्यास]

होम मिनिस्टर साहब इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगे और यदि उन के लिए इस संशोधन को स्वीकार करना सम्भव न हो तो भी मैं यह निवेदन करूंगा कि वह बतायें कि जो हिन्दी के प्रोग्रेसिव यूज़ के लिए संविधान ने ड्युटीज़ और आबलीगेशन्स डाले हैं उन के अनुसार गवर्नमेंट कुछ करेगी या नहीं और पार्लियामेंट के सामने प्रतिवेदन रखेगी या नहीं और इस अमैंडमैंट को स्वीकार न करते हुए भी क्या सरकार इस काम के लिये किसी खास अफसर को नियुक्त करेगी या एक मिनिस्टर के सुपुर्द इस काम को किया जायगा। सरकार इस मामले में किस प्रकार कदम उठाएगी यह बताने की कृपा की जाय।

†**श्री अ० चं० गुह** (बारसाट) : झगड़ा अंग्रेज़ी और हिन्दी म नहीं है, परन्तु हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओं में है।

जबकि झगड़ा हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओं में है, तो यह उचित है कि इस मामले में अन्तिम निर्णय लेने से पहले राज्य सरकारों से सलाह की जाय और उन की राय को ध्यान में रखा जाए।

विधेयक में यह व्यवस्था नहीं की जानी चाहिये कि संसदीय समिति का प्रतिवेदन विधान सभाओं को भेजा जाए। राज्य सरकारों को भेजी जाना चाहिए। वे यदि चाहें तो विधान सभाओं के सामने रख दें।

अनुच्छेद ३५१ के अनुसार हिन्दी का विकास भी किया जा रहा है। हिन्दी को ऐसी भाषा बनाना चाहिए कि अहिन्दी भाषी लोग भी इसे समझ सकें। इसकी व्यवस्था भी सरल होनी चाहिये। हिन्दी को जटिल नहीं बनाना चाहिये।

संसदीय समिति के प्रतिवेदन को राज्य सरकारों को भेजे जाने का मैं समर्थन करता हूं। इस समिति का प्रतिवेदन संसद् के सामने तो रखा ही जायगा।

श्री काशी राम गुप्त (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक की धारा ४ पर मेरे तीन संशोधन प्रस्तुत हैं, ७०, १६९ और १७०। उन का मुख्य विषय यह है कि जो एक कमेटी बनेगी उस के लिए यह स्पष्ट निर्देशन होना चाहिये कि भविष्य में कितने वर्ष तक अंग्रेज़ी रहे, अथवा उस अर्से में अंग्रेज़ी के किन किन कामों में प्रतिबन्ध लगे, इस पर स्पष्ट रूप से उल्लेख करे। इस का उल्लेख किये बिना कोई तात्पर्य इस कमेटी का नहीं होगा।

दूसरी बात जो देखने में आई है वह यह है कि यदि कोई समय का निर्धारण नहीं होता है तो हमारी सरकार अब की तरह से ही लापरवाही बर्त्तेगी, इस में कोई संशय नहीं है। यह सरकार फिर लापरवाही न बर्त्ते इस के लिए स्पष्ट निर्देश इस धारा में होना चाहिये। मैं ने १७० नम्बर का जो संशोधन दिया है उस मैं कहा है कि इस प्रकार से सरकार के प्रयत्न होने चाहियें कि अगले दस वर्ष के भीतर भीतर वह ऐसी परिस्थिति पैदा कर दे जिस से कि यथासम्भव अंग्रेज़ी के उपयोग की आवश्यकता ही न हो और यदि आवश्यकता हो तो भी वह बहुत थोड़ी हो।

मेरे संशोधनों के भेजने के पहले जो सरकारी संशोधन है और गृह मंत्री की तरफ़ से आये हैं, उन के संशोधन मेरे संशोधनों से पहले के थे। उन में यह था कि जितनी भी प्रदेश सरकारें हैं और उन में भी विशेष तौर से जो अहिन्दी भाषी सरकारें हैं उन का मत उसमें अवश्य लिया जाय।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

अध्यक्ष महोदय, आप के द्वारा एक बात की ओर मैं माननीय गृह मंत्री का ध्यान विशेष रूप से दिलाना चाहता हूं। यह जो एक नारा लगाया गया है हिन्दी साम्राज्यवाद का, यह नारा बहुत ही ख़तरनाक नारा है। यह नारा वास्तव में उन की ओर से लगाया गया है जोकि अंग्रेज़ी के साम्राज्यवाद को बनाये रखना चाहते है अन्यथा २० वर्ष की अवधि एक ऐसी अवधि है जिस के बारे में किसी को कोई भी शिकायत होनी ही नहीं चाहिये। १० वर्ष में एक कमेटी बनेगी और उस से आगे १० वर्ष से अधिक का प्रश्न पैदा ही नहीं होना चाहिये। इस के अनुसार आज का पैदा हुआ बच्चा तब तक पोस्टग्रेजुएट बन जायगा और वह सब प्रकार से हिन्दी को समझ सकता है और उस में सारा कामकाज कर सकता है। इस अवधि के भीतर ऐसे सरकारी अधिकारी जिन की कि १०–१५ वर्ष की नौकरी हो गई है वह पूर्ण रूप से प्रशिक्षित हो कर इस अर्से में हिन्दी में काम कर करने लग जायेंगे। वर्तमान सरकारी अधिकारी इस अवधि के भीतर आसानी से पूरे तरीक़े से इस काम को अपना सकते है। अब हिन्दी सीखना कोई ईश्वर को प्राप्त करना तो है नहीं जिस को कि पाने में कठिनाई है। लेकिन हिन्दी भाषा के कामकाज में उपयोग होने के लिए अवधि का प्रश्न है। यदि अवधि नहीं लगाई जायगी तो निश्चित रूप से हमारी भाषाएं वर्णसंकर भाषायें हो जायेंगी, चाहे वह अंग्रेज़ी वर्णसंकर हो या हिन्दी वर्णसंकर हो।

श्री कामत ने कहा कि यहां किस प्रकार की हिन्दी बोली जाती है या किस प्रकार की अंग्रेज़ी बोली जाती है। इसलिए अगर हिन्दी के लिए अवधि नहीं नियत की गई तो यह स्थिति और भी भयंकर हो जायगी।

अभी कल ही हाउस में दो अहिन्दी भाषी प्रान्त वालों ने हिन्दी में भाषण किये और मैं कहूंगा कि यह बड़ी प्रसन्नता की बात है और स्वागत योग्य बात है। अगर माननीय सदस्यों ने इस तरह की परिपाटी पहले ही प्रारम्भ कर दी होती तो अच्छा होता और तब शायद यह कठिनाई नहीं आती जोकि आज आ रही है कि हिन्दी साम्राज्यवाद का नारा लगाया जाता है। मैं गृह मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या यह रूलिंग पार्टी के कांग्रेसी सज्जन जो यहां बैठे हुए हैं और हिन्दी भाषा भाषी प्रान्तों से आये हुए हैं उन पर लागू करते हैं या उन के साथ हम लोगों पर लागू करते हैं? यदि हम पर लागू करते हैं तो हम तो सरकार में बैठे नहीं हैं? वह जो सरकार में बैठने वाले हैं उन की स्थिति अपराधियों की सी होती है। वे चुपचाप बैठे रहते है और उन के ऊपर बौछारें होती रहती है। आख़िर यह श्री एन्थनी का हिन्दी साम्राज्यवाद किन पर लागू होता है, गृह मंत्री पर लागू होता है या प्रधान मंत्री के ऊपर लागू होता है या उनकी पार्टी पर लागू करते हैं? एक ओर तो वे हिन्दी साम्राज्यवाद का नारा लगाते है तो दूसरी तरफ़ कहते है कि हिन्दी भाषा भाषी कुल ४० फ़ीसदी हैं तो इस तरह से बहुमत अर्थात् ६० फ़ीसदी अहिन्दी लोग हुए। जब ऐसी हालत है तो मेरी समझ में नहीं आता कि उन को यह डर क्यों लग रहा है? वास्तव में दक्षिण वालों को कोई डर नहीं है। वास्तव में डर तो यह है कि जिन को कि अफ़ीम की तरह अंग्रेज़ी में बोलने और काम करने का अभ्यास पड़ गया है, वह अपने उस पुराने अभ्यास से चिपके रहना चाहते हैं और उसको छोड़ना नहीं चाहते है। अपनी इस कमज़ोरी को छिपाने के लिए वह इस तरह की बातें किया करते हैं और नारे लगाया करते हैं। कभी इस पक्ष की बात करते हैं और कभी उस पक्ष की बात करते हैं। इसलिए में समझता हूं कि यदि हिन्दी के बारे में अवधि आगे भी निश्चित नहीं हुई तो मेरा अपना अनुमान है कि निश्चित रूप से एक भंयकर स्थिति पैदा होगी जो कि देश के लिए घातक सिद्ध होगी। हिन्दी को लागू करने का प्रश्न केवल हिन्दी भाषा भाषियों का ही प्रश्न नहीं है यह तो संविधान को लागू करने और उसके अनुरूप अमल करने का सवाल है और वह सारे भारतवर्ष का प्रश्न है। में एक बार फिर कहना चाहता हूं कि यदि हमारे अहिन्दी भाषा भाषियों को कोई कठिनाई है तो वे इसके लिए अहिन्दी भाषी लोगों की कान्फ्रेंस करके यह निश्चय कर लें। अहिन्दी

[श्री काशी राम गुप्त]

भाषा भाषियों नें हिन्दी के अतिरिक्त कौन सी दूसरी भाषा ऐसी है जिस को वह हिन्दी के साथ साथ लागू करना चाहते हैं उस को भी सन् १९६५ तक फैसला कर के रखवा लें ताकि अंग्रेजी जल्दी से जल्दी इस देश से समाप्त की जा सके। बस यही मेरा निवेदन है।

श्री बाल्मीकी (खुर्जा) : अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसे कल भी कहा था और मेंने अपने संशोधन के अंदर भी यही विचार प्रकट किया है कि समय और अधिक लगाया जा सकता है लेकिन जैसी कि अब तक हिन्दी के प्रचार और प्रसार में जो उदासीनता बढ़ती गई है वह आगे नहीं बढ़ती जायेगी। देश के विकास और देश की उन्नति के साथ साथ देश की प्रजातान्त्रिक परम्पराएं जो बढ़ती जा रही हैं उनके साथ साथ हमारी हिन्दी का भी विकास हो रहा है। हिन्दी का विकास दूसरी भाषाओं के साहित्य के साथ साथ यदि इतना उन्नतिशील नहीं है लेकिन फिर भी उसे हम कम नहीं समझ सकते है। हिन्दी जिस प्रकार से बढ़ रही है उसके अन्दर हमारे हिन्दी भाषा भाषी क्षेत्रों या उनके महापुरुषों का ही योगदान नहीं है बल्कि अनेक उन महापुरुषों का भी है जो कि अहिन्दी क्षेत्रों में उत्पन्न हुए हैं। उन में से कुछ महापुरुषों के नाम लेते हुए मैं बतालाना चाहता हूं कि महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती, पूज्य बापू जी, श्रीमती ऐनी बैसैंट और गंगाधर तिलक आदि ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन के योग से यह हिन्दी आगे बढ़ी है। हिन्दी का क्या स्वरूप हो, इस के बारे मैं किसी प्रकार की शंका हो सकती है, लेकिन हिन्दी भाषा को विकसित करने में—और किसी भी ऐसी भाषा को विकसित करने म, जो कि सारे देश के लिए राजभाषा के रूप में उपयुक्त हो सकती है—जहां हिन्दी के बोलने वालों का योग—दान हो सकता है, वहां अहिन्दी-भाषी क्षेत्रों में रहने वाले भाइयों का भी विशेष योगदान हो सकता है। यद्यपि वहां काफ़ी लोग हिन्दी को जानते हैं—या नहीं भी जानते हैं—, लेकिन मैं दक्षिण भारत में गया हूं और मैंने देखा है कि वहां पर हिन्दी का प्रचार तथा प्रसार हो रहा है। यद्यपि सरकार हिन्दी को उस का उपयुक्त स्थान दिलाने और अंग्रेजीं को धीरे-धीरे हटाने के लिए प्रयत्नशील है, लेकिन मेरा विशेष आग्रह है कि इस अवधि में अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी के प्रचार तथा प्रसार की ओर अधिक ध्यान दिया जाये। हमारे देश में अहिन्दी भाषा भाषी यह कहते है कि उन पर हिन्दी का साम्राज्य या आधिपत्य लादा जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि हमारे देश म अंग्रेजी का जो आधिपत्य या प्रभुत्व है, उस को विशेष तौर पर हमारे देश से हटाना चाहिए।

देश के राष्ट्रीय आन्दोलन में और देश में राष्ट्रीयता के प्रसार में हिन्दी साथ साथ चली है और आज हिन्दी को विशेष रूप से बढ़ाने के लिए दक्षिण भारत में काम करने वाली संस्थाओं को विशेष आर्थिक सहायता देनी चाहिए और इस के अतिरिक्त दूसरे प्रकार से भी हिन्दी के प्रचार तथा प्रसार का कार्य भी करना चाहिए।मैं मानता हूं कि जहां पर हिन्दी का जो रूप है,जहां पर जैसी हिन्दी प्रचलित है, उस को मानना चाहिए। किन्तु यह हिन्दी सरल तथा जनसाधारण की समझ में आने वाली होनी चाहिए। चार महीने पहले में चिंगलपेट में था और वहां पर एक हरिजन बस्ती में बहुत साधारण लोगों के बीच में खड़ा हुआ था। मैं उन भाईयों की बातों को नहीं मानता, जिन को अंग्रेजी का मोह है या जिन के मस्तिष्क पर अंग्रेजी का प्रभुत्व है। वे कुछ भी कह सकते है। वहां पर म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन भी थे और दूसरे कांग्रेसजन और सोशल वर्कर भी थे। जब उस हरिजन बस्ती में अंग्रेजी मैं बातचीत शुरू हुई तो तीन हरिजन भाई, जो मद्रासी थे, आगे आए और उन में से एक ने इस तरह से हिन्दी बोली, "अंग्रेजी नहीं बोलना। हम हिन्दी में बात कर सकता है। हम फ़ौज में रहा है। हम हिन्दी में बात समझता है। आप हिन्दी में बोलो।" में विशेष अंग्रेजी नहीं जानता हूं, लेकिन मैं यह जानता हूं कि वहां पर धीरे धीरे हिन्दी का प्रचार हो रहा है।

में मानता हूं कि अगर हिन्दी को प्रगतिशील भाषा सारे देश की भाषा, एक व्यापक भाषा, राष्ट्र भाषा और राज भाषा बनाना है, तो उस के लिए हिन्दी में ग्रहण करने और पचाने की शक्ति होनी चाहिए। मराठी गुजराती, असमिया और बंगाली आदि भाषाओं में जो संस्कृत शब्द हैं, या संस्कृत-गर्भित शब्द हैं, उन शब्दों का हिन्दी में समावेश होना चाहिए। मलायम, तेलगु और तामिल आदि दक्षिणी भाषाओं में संस्कृत भाषा के शब्दों का बहुत प्रवेश हुआ है। हिन्दी भाषा को उन को भी ग्रहण करना चाहिए ।

मैं ऋग्वेद के भाषा-सूक्त में से एक मंत्र को पढ़ कर समाप्त करता हूं। वेद का आग्रह है कि किस प्रकार से भाषा को फैलाना चाहिए किस प्रकार भाषा का प्रसार करना चाहिए, उस को परिष्कृत करना चाहिए और उसे धीरे धीरे बुद्धि बल से छनना चाहिए। वह मंत्र इस प्रकार है:—

सक्तुमिव ततउना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत ।
अत्रासखाय: सख्यानि जानते भद्रैषां लक्ष्मीर्निहिताधि वाचि ।।

ऋग्वेद के भाषा सूक्त के इस मंत्र में वेद का आदेश है कि जैसे छलनी से सत्तू को परिष्कृत किया जाता है वैसे ही विद्वान पुरुष बुद्धि के बल से भाषा को परिष्कृत करते है। उस समय विद्वान पुरुष अपने अभ्युदय को जानते हैं। विद्वानों के वचन में मंगलमयी लक्ष्मी निवास करती है। लेकिन मैंने यहां सदन में देखा है कि अमंगलमयी वाणी तथा क्रोध का प्रदर्शन कुछ अंग्रेजी का मोह करने वाले साथियों द्वारा हुआ है, किन्तु इस विरोध से हिन्दी की प्रगति रुकने वाली नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि चाहे कुछ भी विश्वास रहा हो, लेकिन हम को हिन्दी को चालू करने के प्रयत्न में आगे बढ़ना चाहिए। मेरा विशेष आग्रह है कि हिन्दी सब लोगों के सद्भाव और सद्विचार से फैलनी चाहिए और हमको विशेषकर अपने अहिन्दी-भाषा-भाषी भाईयों की सहमति और सहपरामर्श को ध्यान में रख कर चलना है। इसीलिए मैंने अवधि को बढ़ाने के लिए संशोधन रखा है।

यह ठीक है कि जो कमेटी बनेगी, चाहे वह संसदीय कमेटी हो और चाहे राष्ट्रपति द्वारा बनाई गई कमेटी हो, इस बात पर विचार करेगी कि किस प्रकार अंग्रेजी हट सकती है और हिन्दी आगे बढ़ सकती है। लेकिन मैंने देखा है कि पीछे जो पंद्रह वर्ष की अवधि दी गई थी, उस में हिन्दी का हित नहीं हुआ है। मैं आशा करता हूं कि पंद्रह वर्ष की जो अवधि अब दी जा रही है, उस के दौरान में अंग्रेजी को हटाने और अहिन्दी-भाषी लोगों की सहमति ,उनके सहविचार और सहपरामर्श के साथ हिन्दी को आगे बढ़ाने के लिए विशेष प्रयत्न किये जायें और जो ढील और उदासीनता पहले बरती गई है, वह अब नहीं बरती जायगी। इस प्रकार हिन्दी को आगे बढ़ाया जाये, ऐसा मेरा आग्रह है।

†**श्री बासप्पा** (तिपतुर) : गृह कार्य मंत्री के संशोधन बहुत अच्छे हैं। उन से देश के कई लोगों के सन्देह दूर हो जायेंगे ।

इस विधेयक में हिन्दी भाषी और अहिन्दी भाषी लोगों का ध्यान रखा जा रहा है। लोगों के हितों की रक्षा की जा रही है ।

हिन्दी तो आखिर लाई ही जानी है। हम इसलिए चाहते हैं कि अंग्रेजी जारी रहे ताकि हिन्दी की प्रगति हो सके। यदि हिन्दी में प्रगति नहीं हो सकी है तो सब पर इस का उत्तरदायित्व है। हिन्दी भाषी लोगों का डर या सन्देह हमारी समझ में नहीं आता। हिन्दी तो अवश्य आनी है। उस में देर हो सकती है, परन्तु हिन्दी का आना आवश्यक है। गृह मंत्री मैंने अहिन्दी भाषी लोगों के सन्देह को दूर करने की कोशिश की है। प्रधान मंत्री के आश्वासनों को भी पूरा किया गया है।

†मूल अंग्रेजी में

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : अध्यक्ष महोदय, जो कुछ भी मुझे कहना है, वह में दो मिनट में कहे देता हूं। पहली बात तो यह है कि किसी भी फौर्म में इस अंग्रेजी को कायम रहने देना देश के लिए घातक होगा। खास तौर से जैसा कि मैंने अपनी एमेंडमेंट में कहा है कि कोर्ट्स की लैंगएज तो खास तौर से हिन्दी होनी ही चाहिये।

अभी हमारे सामने प्रण की बात कही गई है। में समझता हूं कि आप चाहे हिन्दी का प्रण लें लेकिन प्रण लेने से कुछ नहीं होगा और न ही आप का काम चलेगा। जरूरत इस बात की है कि अमल किया जाए और अमल करके आप दिखायें। जो कुछ भी हमने विधान में कहा था और जो वायदा किया था वह पूरा नहीं हुआ है। अगर थोड़ी अंग्रेजी शक्ल में भी रह गई तो भी यह खरनाक होगा। एक बरतन दूध का भरा हुआ हो, अगर उस में एक बूंद जहर की पड़ जाए तो वह सारे दूध को खराब कर डालती है। इसी तरह से अंग्रेजी का किसी भी तरह से बना रहना ठीक नहीं है। रामचन्द्र जी के घर में एक मंथरा दासी जाती थी और उस दासी के कारण रामचन्द्र जी को चौदह साल तक वनों में रहना पड़ता है। इसी तरह से अंग्रेजी का दासी के रूप में भी बना रहना ठीक नहीं होगा। इस वास्ते मैं कहना चाहता हूं कि जो एमेंडमेंट मैंने पेश की है उस को मंजूर कर लिया जाये। मैं चाहता हूं कि आप कांस्टीट्यूशन के प्रति और महात्मा गांधी के प्रति वफादारी दिखलायें।

†**श्री मानसिंह पृ० पटेल** (मेहसाना) : खण्ड ४ के इतने संशोधन है कि यह पता चलता है कि अहिन्दी भाषी लोगों के मन में सन्देह है कि हिन्दी उन पर जबरदस्ती लादी जा रही है।

सरकारी प्रयोजनों के लिए हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग के पुनर्वलोकन के लिये एक आयुक्त नियुक्त करने के लिए संशोधन उचित नहीं है।

संसदीय समिति का प्रतिवेदन राज्य सरकारों को भेजा जाना चाहिए। इस विधेयक में यह व्यवस्था न की जानी चाहिए कि प्रतिवेदन पर विधान सभाओं में चर्चा होनी चाहिए।

इस सभा में और विधान सभाओं में प्रकट किए गए विचारों से प्रत्येक ग्राम में असन्तुष्ट नहीं पैदा होने देना चाहिए। एक भाषा को दूसरी भाषा पर स्वमित्व जमाना नहीं चाहिए। अतः माननीय गृह कार्य मंत्री का संशोधन मान लेना चाहिए।

श्री बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, एक सैकिंड..........

अध्यक्ष महोदय : मैंने आप को बुलाया था, आप मौजूद नहीं थे।

श्री बागड़ी : क्षमा चाहता हूं, एक मिनट के लिए बाहर चला गया था। एक एमेंडमेंट मेरी-

अध्यक्ष महोदय : एक एमेंडमेंट का सवाल नहीं है। सभी एमेंडमेंट वाले मैंने खत्म करके आप को बुलाया था।

श्री बागड़ी : दो मिनट दे दीजिये।

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा, आप बोल लीजिये।

श्री बागड़ी : भाषा का सवाल एक बहुत अहम सवाल है। हमें अपने इतिहास से ही नहीं बल्कि दुनिया के जितने भी इतिहास हैं, उन से सबक लेना चाहिए। मैं गलत बात नहीं कहूंगा। हमारे जितने भी बड़े नेता हैं, ये सब भाषा के सवाल पर जो संघर्ष होते रहे हैं, उस की तपत में से निकले हुए हैं। गांधी जी का जो असर आज़ादी से पहले देश पर था वह असर आज नहीं है। सन् १९५० में जब हमने

---

†मूल अंग्रेजी में

एक अवधि बांध दी थी कि सन् १९६५ के बाद अंग्रेजी खत्म हो जाएगी और राष्ट्र भाषा इस देश में उस का स्थान ले लेगी तो वैसा क्यों नहीं किया जाता है। ज्यों ज्यों गांधी जी का प्रभाव इस देश में से खत्म होता जा रहा है त्यों त्यों गांधी का नाम लेवा जो लोग हैं वे हर प्रान्त में भाषाओं को आपस में लड़ा रहे हैं। वे न केवल अपना अहित कर रहे हैं, बल्कि देश के साथ भी अन्याय कर रहे हैं। उन्होंने इन पिछले सालों में राष्ट्र भाषा को प्रान्तीय भाषाओं को बढ़ाने नहीं दिया। उन लोगों पर अभी भी हम को शक होता है कि वे राष्ट्र भाषा की तरक्की करना चाहते हैं। अभी भी उन को राष्ट्र भाषा के साथ प्यार हो, ऐसा दिखाई नहीं देता है। उन का प्यार अंग्रेजी के साथ अभी भी बना हुआ है। सन् १९६५ अभी आया नहीं और अंग्रेजी के मरने से पहले ही उस को जिन्दगी बख्शने की बात कर रहे हैं। मुझे बड़ा शक होता है कि यह सरकार हिन्दी की तरक्की, राष्ट्र भाषा की तरक्की चाहती है। ज्यों ज्यों देश में और बेईमानी बढ़ेगी त्यों त्यों देश के अन्दर गांधी जी का प्रभाव घटेगा।

[**डा० सरोजनी महिषी** पीठासीन हुईं।]

मुझे एसा डर लगता है कि कभी ऐसा न कर बैठें कि अनिश्चित काल तक रह कर यह चीज सदियों तक नहीं बल्कि अनिश्चित सदियों तक हम मान बैठें। इस लिये अगर हम हिन्दी को अपनी आफिशल लैंग्वेज अभी पूरी तरह से न बना सके तो कम से कम अंग्रेज़ी के लिये समय तो नियत कर दिया जाय। है तो यह भी कालिख, देश के विधान का अपमान है। अगर किसी दूसरे देश के अन्दर इस तरीके से विधान बनाने के बाद विधान का अपमान किया जाता तो जनता इस को कभी सहन न करती। वह लोग जो विधान बना कर खुद अपने हाथों से बनाये हुए विधान का अपमान करते हैं उन की जगह कुर्सिये वजारत पर नहीं बल्कि बैलखानों में होती है या उन को फांसी की सजा मिलती है क्योंकि उन्होंने कौम के साथ धोखा किया है, कौम के साथ अपराध किया है, वे इस सवाल पर कौम को कितने पीछे ले गये हैं? मैं तो निवेदन करूंगा कि अगर इस बात की लज्जा मंत्री महोदय को हो तो इस सवाल पर उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिये। वे फेल हुए हैं भाषा के सवाल पर। उन का धर्म है कि वे इस्तीफा दे दें और दूसरों के लिये जगह छोड़ दें।

मैं चाहता हूं कि अंग्रज़ी के लिये वधि बांध दी जाय कि सन् १९६५ के बाद ज्यादा से ज्यादा पांच साल लगेंगे जब तक इस को रक्खा जायगा। अगर उस के बाद यह कालिख नहीं मिटाई जायगी तब मैं इस पवित्र सदन में कहता हूं कि आप लोग बाहर भी नहीं बच सकेंगे। जहां जहां पर आप के चोट लगी है नीतियों में वहां वहां आप फेल होते गये हैं। चाहे परदेश नीति हो चाहे सीमाओं की नीति हो, चाहे आप की विकास नीति हो सब जगह इसी तरह हुआ है। यह भाषा तो आप के घर की नीति थी, उस में भी आप बुरी तरह से विफल हुए हैं। मैं अदब के साथ सदन के सामने निवेदन करूंगा कि हिन्दुस्तान के करोड़ों उन शहीदों ने, लाखों उन शहीदों ने जिस देश के वास्ते कुर्बानी दी है, अगर उस देश के भविष्य को बनाना है, अगर उस देश की भाषा को बनाना है, अगर उस देश की भाषा को जीवित रखना है तो अंग्रेज़ी को इस जगह से निकाल दो। चाहे राजगोपालाचार्य हों चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हों इस के पक्ष में, लेकिन साउथ और ईस्ट दोनों बात के लिये तैयार हो जायं, वे चाहे जो भाषा ले आयें लेकिन अंग्रेजी को यहां से निकाल दें। हम सब हिन्दी को बनायेंगे। पंडित नेहरू का जो आज रूप है अंग्रेज़ी का उस का एक रूप तो उधर है और दूसरा रूप इधर है। आज वे लोगों को आपस में ऐसे लड़ते बतलाते हैं जैसे उन के बीच कोई बड़ी भारी लड़ाई हो। दोनों दूर दूर बैठ कर समझौता कर लेते हैं कि आप ऐसे बोलना और आप ऐसे बोलना। दोनों ही अंग्रेज़ी के पक्ष में ....

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अब अपना भाषण समाप्त करें ।

श्री बागड़ी : मैं एक मिनट में समाप्त करता हूं । दोनों ही एक पक्ष की बात करते हैं । वही पंडित जवाहरलाल जी कहते हैं और वही श्री ऐन्थनी कहते हैं क्योंकि दोनों की एक भाषा, दोनों का एक भविष्य और दोनों का एक प्राण है । अंग्रेज़ी के जंगल में दोनों घूमते हैं और चाहते हैं कि हिन्दुस्तान के कमेरों की कमाई को लूटने के लिये अंग्रेज़ी हमेशा बनी रहे। लूट हमेशा चलती रहे। इस लिये मैं निवेदन करूंगा कि अंग्रेज़ी को थोड़ा समय दो। अगर यह कलंक रहे भी तो हिन्दुस्तान में केवल थोड़े समय के लिये रहे ।

†**गृहकार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस)** : सरकार संशोधन संख्या १५८, १५९ और १६० के अतिरिक्त और कोई संशोधन स्वीकार नहीं कर रही है ।

पहला संशोधन ९ और १० पंक्तियों से सम्बन्ध रखता है । विधेयक में यह व्यवस्था की जा रही थी कि संसद् समिति के सदस्यों को चुनेगी और राष्ट्रपति उस समिति को नियुक्त करेंगे । ऐसा बताया गया कि इन दो बातों में कुछ असंगतता है ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

हमने इस असंगतता को दूर करने के लिए संशोधन रखा है । अब समिति संसद् द्वारा निर्वाचित की जाएगी । समिति के निर्वाचन के लिए सरकार या कोई गैर सरकारी सदस्य जिसको सरकार प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहेगी, प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी ।

†**श्री फ्रैन्क एन्थनी** : क्या यह संसदीय समिति होगी :

†**श्री हजरनवीस** : यह संसदीय समिति होगी । यह संसद् की ओर से ही काम करेगी :

दूसरे हमने यह सुझाव स्वीकार कर लिया है कि यह प्रतिवेदन संसद् की दोनों सदनों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा । श्री कामत ने इस उपबन्ध पर आपत्ति उठाई है जिसमें यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति पर प्रतिवेदन संसद् के सामने रखने का उत्तरदायित्व है । अनुच्छेद ३४३ में दिए गए उपबन्धों के अनुसार हमने पुर्नविलोकन के लिये व्यवस्था करने का तथा सम्भव प्रयत्न किया है । यद्यपि संस्दीय समिति प्रतिवेदन देगी, कोई संसद् उस को प्रतिवेदन को प्रस्तुत करेगा । इस उपबन्ध में हमने इसके लिये व्यवस्था की है । शीघ्र ही प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व सरकार पर डाला गया है ।

†**श्री फ्रैन्क एन्थनी** : क्या इस प्रतिवेदन के सम्बन्ध में संसद् की वही शक्तियां होंगी जो कि प्रत्येक संसदीय समिति के प्रतिवेदन के बारे में होती हैं ।

†**श्री हजरनवीस** : बिल्कुल वही होंगी ।

†**श्री फ्रैन्क एन्थनी** : आप इस चीज को मानते हैं ।

†**श्री हजरनवीस** : बिल्कुल । प्रतिवेदन जब सभा के सामने रखा जाएगा तो यह सार्वजनिक लेख्य हो जाएगा । ऐसी व्यवस्था नियम ३६९ में की गई है । कोई भी प्रतिवेदन जो सभा पटल पर रखा जाए सार्वजनिक लेख्य हो जाता है । तो इस पर प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर चर्चा होगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

हम ने कई माननीय सदस्यों का यह सुझाव भी मान लिया है कि इसपर राज्य सरकारों की राए ली जाए। श्री कामत चाहते हैं कि विधान सभाओं की भी राए ली जाए। इस बात का उत्तर मेरे से पहले बोलने वाले वक्ता ने दे दिया है। जो कुछ भी केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारें करती हैं वे संसद् या विधान सभाओं के अधिकार पर करती हैं। केन्द्रीय सरकार संसद् की इच्छाओं के अनुसार काम करती है। यह कहना सभा की प्रतिष्ठा के अनुसार नहीं होगा कि सरकार संसद् की इच्छाओं के अनुसार इसलिये काम करती है कि उसे करना पड़ता है। अन्यथा वह सरकार नहीं रहेगी। अतः यह पूर्णतया अनावश्यक है।

†**श्री फ्रैन्क एन्थनी** : क्या संसद् उस प्रतिवेदन में संशोधन करने का प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकेगी ?

†**श्री राधे लाल व्यास** : संसद् सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न है।

†**श्री हजारनवीस** : यह प्रस्ताव किया जाएगा कि प्रतिवेदन पर विचार किया जाए। संसद् केवल राय ही प्रकट करेगी। सरकार इस सभा की राय का घ्यान रखेगी। सरकार को बहुमत की राय का ध्यान रखना पड़ेगा। इसे राए मनवाने के और तरीके हैं। यदि न मानें तो इसे बदलना पड़ेगा।

†**श्री फ्रैन्क एन्थनी** : क्या कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है ?

†**श्री हजरनवीस** : वह प्रस्ताव होगा कि प्रतिवेदन पर विचार किया जाए। कोई भी सदस्य अपनी राए दे सकेगा।

†**श्री फ्रैन्क एन्थनी** : क्या सभा की राए का वर्गीकरण करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव रखा जा सकता है ? चर्चा के दौरान में ऐसा नहीं किया जा सकता। दूसरा प्रस्ताव या संकल्प सभा में लाया जा सकता है।

हम इस आश्वासब के अनुसार चलेंगे कि अंग्रेजी अनिश्चित काल के लिये रहेगी। किसी बिशेष कालावधि तक अंग्रेजी का प्रयोग सीमित करने के लिए संशोधन का विरोध किया जाएगा।

†**श्री राधे लाल व्यास** : सरकार इन १० वर्षों में हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग के लिए क्या कार्रवाई करेगी ? क्या कोई विशेष अधिकारी नियुक्त किया जाएगा या यह काम किसी विशेष मंत्री को दिया जाएगा ?

†**श्री हजारनवीस** : जैसा कि मैंने कल बताया था कि संविधान या कानून के उत्तरदात्वि प्रशासन के सभी ढंगों द्वारा निभाए जाएंगे।

†**श्री फ्रैन्क एन्थनी** : मेरा संशोधन संख्या ४२ क्यों स्वीकार नहीं किया जा रहा है ? उस में यही व्यवस्था थी प्रतिवेदन संसद् के सामने प्रस्तुत किया जाए और संसद् की सिफारिश राष्ट्रपति को भेजी जाए। यह तो संसदीय प्रक्रिया है। संसद् की क्यों अवहेलना की जा रही है ?

†**श्री हजारनवीस** : हम संसद् की अवहेलना नहीं करते। हम तो उसे उत्तरदायी हैं। सरकार सभा की राए के अनुसार काम करेगी।

†**श्री फ्रैन्क एन्थनी** : यह स्पष्ट नहीं है। अगले खण्ड में इस बात की भी व्यवस्था की गई है कि सरकार राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेजेगी। ऐसा ही पिछली बार हुआ। जब प्रतिवेदन राष्ट्रपति को भेजा गया तो उनके अध्यादेश में प्रतिवेदन की सारी बातें कही गईं। मेरी यह कठिनाई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री हजरनवीस : यहां राष्ट्रपति केवल कार्यपालिका की सलाह पर कार्यवाही करता है। इस मामले पर विचारविमर्श के समय कार्यपालिका अवश्य ही यहां होगी। मंत्रालय चाहे जो निश्चय करे, मंत्रालय यहां चर्चा सुनेगा, ताकि चर्चा में भाग ले सके और अपना मत दे सके। निश्चय ही यह उनका उत्तरदायित्व होगा। 'राष्ट्रपति' शब्द सरकार, कार्यपालिका का पर्यायवाची है।

†श्री हरि विष्णु कामत : मंत्री महोदय ने राज्य विधान मंडलों को रिपोर्ट भेजने पर आपत्ति की है। मैं नहीं समझता कि इसका क्या कारण है?

†अध्यक्ष महोदय : सरकार उनसे परामर्श करेगी। यदि न करे, तो आप अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं।

†श्री हरि विष्णु कामत : इससे पहिले कि मेरे या मंत्री महोदय के संशोधन पर मतदान हो, मैं मंत्री महोदय के संशोधन के विरुद्ध अपने प्रक्रिया के नियमानुसार मूल औचित्य प्रश्न उठाता हूं। मंत्री महोदय का यह संशोधन हमारे प्रक्रिया नियमों के अनुसार अनियमित है। उन्होंने कहा था कि यह संसदीय समिति है।

†श्री हजरनवीस : मैंने यह नहीं कहा।

†अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने कुछ भी कहा हो, परन्तु अध्यक्ष ने कल ही स्पष्ट कर दिया था कि यह संसदीय समिति है।

†श्री हरि विष्णु कामत : मेरा निवेदन है कि आरम्भ में इस पर कोई मतभेद नहीं होना चाहिये कि उन्होंने यह स्वीकार किया या नहीं कि यह संसदीय समिति है। फिर मैं नियमों के आधार पर यह सिद्ध करूंगा कि यह संशोधन संख्या १६१ नियम बाह्य है।

†श्री ही० ना० मुकर्जी : यह समिति संविधान के अन्तर्गत नहीं अपितु सरकारी भाषा में विधेयक १९६३ के अन्तर्गत है। अतः यह समिति निश्चय ही संसदीय समिति है।

†श्री हजरनवीस : माननीय सदस्य श्री फ्रैंक एंथनी ने पूछा था कि क्या यह संसदीय समिति है। मैंने कहा था, मुझे पता नहीं। प्रथम वाक्य, मुझे पता नहीं। परन्तु मैं ने कहा था सभी व्यावहारिक कार्यों के लिये, बिना किसी शर्त के यह संसदीय समिति की भांति कार्य करेगी। मैंने यही कहा था या कहना चाहिये था।

†श्री फ्रैन्क एन्थनी : यह बहुत बुरी बात है।

†अध्यक्ष महोदय : यदि आप उनसे सहमत नहीं हैं, तो संशोधन को रद्द कर दीजिये।

†श्री हरि विष्णु कामत : जी, नहीं। यह तरीका नहीं है। यह संशोधन नियम बाह्य है। आप इसे मतदान के लिये कैसे रख सकते हैं? मैं आपका ध्यान प्रक्रिया नियमों के नियम संख्या २७९, २८० और २८३ की ओर आकर्षित करता हूं।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री उत्तर दे चुके हैं।

†श्री हरि विष्णु कामत : उन्होंने नियमों संबंधी बात का उत्तर नहीं दिया है।

†अध्यक्ष महोदय : वह उत्तर दे चुके हैं। यदि माननीय सदस्य सन्तुष्ट नहीं हैं, तो वह संशोधन को अस्वीकार करा सकते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरि विष्णु कामत** : बड़े दुःख की बात है। सरकार निकृष्ट उदाहरण रख रही है। मंत्री महोदय वक्तव्य देते हैं और बाद में बदल देते हैं। बड़े ही दुःख की बात है।

†**श्री हजरनवीस** : मैंने अपना कथन नहीं बदला है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : रिकार्ड मेरी बात की पुष्टि करेंगे।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : तो, जब उन्होंने उत्तर देना आरम्भ किया, तब वह बैठ क्यों गये थे ?

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मैंने माननीय मंत्री को सुनने पर आपत्ति नहीं की।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य माननीय मंत्री से किस बात का उत्तर चाहते हैं ?

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मेरा कहना है कि यदि यह संसदीय समिति है, तो इस सभा के प्रक्रिया नियम २७६ और २८० लागू होते हैं और रिपोर्ट प्रेसीडेंट को नहीं दी जा सकती। अतः संशोधन नियम वाह्य है और रिपोर्ट इन नियमों के अन्तर्गत संसद् के समक्ष आनी चाहिये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री को इस पर क्या कहना है ?

†**श्री हजरनवीस** : इस बात के बारे में कि यह संसदीय समिति है या नहीं, मेरा उत्तर यह है कि यह ऐसी समिति है जिसमें संसदीय समिति की सारी विशेषतायें होंगी। मैंने उस समय यही कहा था और जांच तथा विचार किये बिना मैं एकदम नहीं बता सकता कि क्या यह नियम २८० की शर्तों को पूरा करेगा या नहीं। परन्तु मैंने कहा कि वहां प्रेसीडेंट का कार्य केवल अनुसचिवीय था। जैसे कि समिति नियुक्त होती है और कार्य करती है और किसी को रिपोर्ट पेश करने का अधिकार दिया जाता है और स्वयं समिति में समिति की कार्यवाही के समय किसी को प्राधिकार दिया जाता है कि वह समिति की रिपोर्ट सभा को पेश करे, इसी प्रकार इस मामले में, स्वयं विधि में उल्लेख है कि प्रेसीडेंट यह कार्य करेगा, अर्थात् विधेयक का प्रभारी मंत्री यह काम करेगा। अतःउत्तरदायित्व उस मंत्री का है जो प्रसीडेंट को इस बारे में सभा को पेश करने की सलाह देता है।

मैं समझता हूं कि श्री फ्रैंक एंथनी की मुख्यकर रुचि इसमें थी। क्या यह सभा में आयेगी ? क्या इस पर सभा में विचार विमर्श किया जायेगा ? ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जिस पर विचार किया जाना चाहिये, और जिनके बारे में मेरा स्पष्ट उत्तर यह है कि यह सभा के समक्ष आयेगी और इस पर सभा में विचार विमर्श किया जायेगा।

†**श्री फ्रैन्क एन्थनी** : एक औचित्य के प्रश्न पर जब तक कि सरकार इस खंड के बारे में स्वयं स्पष्ट न हो, तब तक इसे मतदान के लिये न रखा जाये। मुझे दुःख है कि मुझे यह कहना पड़ रहा है। मैं इसका स्पष्ट उत्तर चाहता हूं। क्योंकि इस पर यह निर्भर होगा कि हम इसे सभा के मतदान के लिय रख सकते हैं या नहीं। क्या विधि के अन्तर्गत यह संसदीय समिति है या नहीं ?

†**श्री हजरनवीस** : यह संसदीय समिति है या नहीं, यह निश्चय करना अध्यक्ष का काम है और यह निश्चय करना आपका काम है। **(अन्तर्बाधा)**

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या मैं माननीय मंत्री को यह बता दूं कि यदि यह संसदीय समिति है, तो रिपोर्ट सभा के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी। मंत्री महोदय को निश्चय करना है और सभा को बताना है और यह रवैया अपनाना है कि यह संसदीय समिति है या नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त्यागी** : यदि मंत्री महोदय कहें कि यह संसदीय समिति है, तो उनके कहने मात्र से यह संसदीय समिति नहीं बन जाती। यह वह समिति है जिसका उल्लेख संशोधन में है और वह उस ढंग से कार्य करेगी जो संसद् विधि द्वारा निश्चित करे। अतः मंत्री इस बारे में कोई निर्वचन नहीं दे सकते कि यह संसदीय समिति है या नहीं है।

†**श्री अ० चं० गुह** : यह प्रश्न कल उठाया गया था और अध्यक्ष ने निर्णय दिया था कि यह संसदीय समिति नहीं है अपितु ऐसी समिति है जिसमें संसत्सदस्य हैं।

†**श्री हजरनवीस** : पहिली जांच यह है कि संसद् समिति का निर्वाचन करेगी। यह समिति संसदीय समिति होने की पहिली शर्त पूरी करती है। दूसरी शर्त है कि इसकी रिपोर्ट संसद् के समक्ष रखी जायेगी। संसद् के समक्ष रिपोर्ट रखने में यह अन्तर होगा कि अन्य संसदीय समितियों के मामले में, समिति कार्य समाप्त करने पर प्रस्ताव करके किसी सदस्य को या अन्य व्यक्ति को संसद के रिपोर्ट पेश करने का अधिकार दिया जाता है। मुख्य बात संसद् को रिपोर्ट पेश करने की है।

यहां भी, यह रिपोर्ट संसद् के समक्ष आयेगी और यह पटल पर रख दी जायेगी। विधि में उल्लेख है कि यह काम कौन करेगा। यह उत्तरदायित्व विधि स्पष्टतया प्रेसीडेंट अर्थात् प्रभारी मंत्री के ऊपर छोड़ती है। अतः सभी महत्वपूर्ण मामलों में, अर्थात् इसके संगठन में, रिपोर्ट जिस को दी जायेगी, यह संसदीय समिति के काम करती है। अतः इस निरर्थक प्रश्न पर विचार करने में कोई लाभ नहीं कि यह संसदीय समिति है या नहीं, क्योंकि अन्त में हम से यही जानकारी मांगी जाती है कि यह रिपोर्ट संसद् के समक्ष आयेगी या नहीं ? क्या इस पर संसद् में विचार विमर्श होगा ? इस पर मैंने स्पष्ट रूप में कहा था कि होगा।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : १९५८ में जो समिति नियुक्त की गई थी वह समिति अनुच्छेद ३४४(४) के अन्तर्गत नियुक्त की गई थी और इस कारण इस के लिये विशेष रूप से जो प्रक्रिया निर्धारित की गई थी, उसने उसी का पालन किया था।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : वह इस समिति से भिन्न है।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : इसी कारण तो वह संसद् की समिति थी, पूरी तरह संसदीय समिति न थी। संभव है कि यथार्थ रूप में दोनों में बहुत थोड़ा अन्तर हो, परन्तु रूप संसदीय मामलों में बहुत महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर हम यह कर रहे हैं कि हम बिशेष रूप से निर्धारित रूप में संविधान के अन्तर्गत समिति नियुक्त नहीं कर रहे हैं, अपितु हम समिति को उस रूप में नियुक्त कर रहे हैं जैसा कि सरकार ने सरकारी भाषायें विधेयक, १९६३ बनाते समय उल्लेख किया है।

†**श्री उपाध्यक्ष महोदय** : वह किस संशोधन विशेष का उल्लेख कर रहे हैं ?

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : श्री लाल बहादुर शास्त्री के संशोधन संख्या १५८, १५९ और १६० का—इन सब में सरकारी भाषा संबंधी समिति के गठन का उल्लेख है। यह समिति पूरी तरह ससदीय समिति है, अतः यह समिति अध्यक्ष के प्राधिकार में और मार्गदर्शन में तथा इस सभा के प्रक्रिया नियमों के अनुसार कार्य करेगी, न कि प्रेसीडेंट या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा बनाये जाने वाले प्रक्रिया नियमों के अनुसार काम करे।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

मेरा निवेदन यह है कि स्वयं संविधान के अन्तर्गत १९५८ में नियुक्त हुई समिति और सरकारी भाषायें विधेयक के अन्तर्गत बनने वाली समिति में गुणात्मक अन्तर होने के कारण हमें यह समिति नितान्त संसदीय समिति माननी चाहिये और इस समिति की रिपोट पर इस सभा के प्रक्रिया नियम लागू होने चाहिए।

†**श्री हजारनवीस** : यह मैं मानता हूं।

†**श्री ही० ना० मुखर्जी** : अतः दोनों में स्पष्ट अन्तर है जो स्वीकार किया जाना चाहिये ।।

†**श्री त्यागी** : मैं अपने माननीय मित्र के मत से पूर्णतया सहमत हूं कि पहिली समिति संविधान के अन्तर्गत बनी थी और यह इस विधेयक के अन्तर्गत बनेगी। जहां तक इस सभा के नियमों का सम्बन्ध है, सामान्य रूप में वे अवश्य लागू होने चाहिये बशर्ते कि संसद् उसके लिए विशेष रूप से नियम न बनाये। इस खण्ड में, निर्देश-पदों का उल्लेख है जो सामान्य संसदीय समिति के निर्देश-पदों से भिन्न है और ये औचित्य का प्रश्न उठा कर नहीं बदले जा सकते (**अन्तर्बाधा**)। जब तक वे न बदले तब तक इसे संसदीय समिति नहीं माना जा सकता।

†**श्री फ्रैन्क एन्थनी** : क्यों नहीं ?

†**श्री अ० चं० गुह** : पहिली समिति संविधान के अन्तर्गत बनी थी और यह एक विधि विशेष के अन्तर्गत बनेगी। अतः यह संसदीय समिति न हो कर प्रशासी समिति होगी।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : इस से पहिले कि इसे मतदान के लिए रखा जाये, हमें यह जानने का अधिकार है कि यह समिति कैसी होगी।

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: जहां तक मैं इसे समझ सकता हूं यह समिति विधेयक के खंड ४ के अन्तर्गत बनेगी और उसकी रिपोट प्रेसीडेन्ट को जायेगी। संसदीय समिति की रिपोर्ट सदैव ही अध्यक्ष को दी जाती है। यहां यह स्पष्ट है कि यह प्रेसीडेन्ट को जायेगी। फिर, प्रेसीडेन्ड इसे संसद् की प्रत्येक सभा के पटल पर रखवायेंगे। अतः यह संसदीय समिति नहीं हो सकती (**अन्तर्बाधा**)। यह बात बहुत स्पष्ट है।

†**श्री फ्रैन्क एन्थनी** : यह देश को जान बूझ कर वैध धोका देना है।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मैं उनकी तरह होशो हवाश नहीं खो सकता।

†**श्री त्यागी** : 'यह जान बूझ कर देश के साथ वैध धोखा करना है' असंसदीय भाषा है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अनुभवी संसतसदस्य हैं। माननीय मंत्री जो कहते हैं, वह उन्हें शान्तिपूवक सुनना चाहिये।

†**श्री फ्रैन्क एन्थनी** : मैं एक वकील भी हूं। यह देश के साथ वैध धोखा है।

†**श्री त्यागी** : "जान बूझ कर धोखा करना" शब्द संसद् में असंसदीय हैं (**अन्तर्बाधा**)। माननीय सदस्य वकील हैं और यदि कोई कहे कि 'इसे धोखा माना जायेगा' तो मैं समझ सकता हूं, परन्तु यह कहना कि "यह जान बूझ कर धोखा करना है" असंसदीय है। यह रिकार्ड से अवश्य निकाल दिया जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** सरकार की इच्छा आरम्भ से ही स्पष्ट है । वस्तुतः यह खंड सरकार की इच्छा को स्पष्ट रूप में व्यक्त नहीं करता । इस में उल्लेख है "प्रेसीडेन्ट ३० संसत्सदस्यों की एक समिति बनायेंगे. जिन में २० सदस्य . . . . जिन्हें क्रमानुसार . . . . . . व्यवस्थानुसार . . . . .निर्वाचित किया जायेगा . . . . . ।" कुछ सदस्यों ने इसकी ओर संकेत किया और इसका स्पष्टीकरण करने के लिए मैंने यह संशोधन रखा है कि समिति मंत्री के प्रस्ताव पर नियुक्त की जायेगी और वह अपनी रिपोट प्रेसीडेन्ट को देगी । मैंने यह बात अपने संशोधन में स्पष्ट कर दी थी कि रिपोर्ट को प्रेसीडेन्ट सभा पटल पर रखवायेंगे । हम यह स्पष्ट करना चाहते थे कि यह रिपोर्ट निश्चय ही प्रेसीडेन्ट द्वारा सभा पटल पर रखवाई जायेगी । इस पर विचार होगा और स्वाभाविक है कि सरकार सदस्यों के मतों का ध्यान रखेगी और फिर राज्य सरकारों के मत प्राप्त कर के उस पर निर्देश जारी करेगी । मैं समझता हूं कि हमारी इच्छा का इस से अधिक स्पष्ट वर्णन नहीं हो सकता ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** माननीय गृह-मंत्री के उत्तर के बाद मैं समझता हूं कि औचित्य का कोई प्रश्न नहीं है ।

मैं संशोधन और खण्ड मतदान के लिए रखूंगा । संशोधन संख्या १५८ । इस खंड के अनेक संशोधन हैं । क्या श्री फ्रैंक एन्थनी संशोधन संख्या १६८ पर आग्रह करते हैं ?

†**श्री फ्रन्क एन्थनी :** इस का कोई अर्थ नहीं है ।

संशोधन संख्या १६८ सभा की अनुमति से वापिस लिया गया :

†**उपाध्यक्ष महोदय :** डा० सिंघवी क्या चाहते हैं ?

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी:** मेरा निवेदन है कि संशोधन संख्या १७३ पर मत विभाजन हो । संशोधन संख्या १७२ पर मैं आग्रह नहीं करता ।

संशोधन संख्या १७२ सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १६४ मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** संशोधन संख्या १५८ का और कोई संशोधन ? कोई नहीं ।

प्रश्न यह है :

पृष्ठ २, पंक्ति ९ और १०—

"the President may appoint a committee consisting of thirty members

["राष्ट्रपति तीस सदस्यों की एक समिति को नियुक्त कर सकेंगा"]

के स्थान पर निम्न लिखित रख दिया जाये—

"there shall be constituted a committee on official language, on a resolution to that effect being moved in either House of Parliament with the previous sanction of the President and passed by both Houses.

(A) The Committee shall consist of thirty members."

["राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से और दोनों सभाओं द्वारा पारित किये जाने के बाद संसद् की किसी भी सभा में तत्संबंधी संकल्प प्रस्तुत किये जाने पर राजभाषा संबंधी एक समिति गठित की जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(१क) समिति में तीस सदस्य होंगे।"] (१५८)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : संशोधन संख्या १५९ के संशोधन।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मैं अपने संशोधन संख्या १६२ और १६६ पर, वस्तुतः पांचो संशोधनों पर मत विभाजन चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १६९ मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १७० मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

संशोधन संख्या १६१ सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ६६, ६७ और ६४ मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय सदस्यों को अपने संशोधन वापस लेने की अनुमति है ?

†**माननीय सदस्य** : जी हां।

संशोधन संख्या १२९, १३३, १३५, १५१, ३८, ३९, ४२, ४३, ४५ और ४६ सभा की अनुमति से, वापस लिये गये।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या २०, २८, १५०, और ७० मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय सदस्य को अपने संशोधन संख्या ७५ और ७६ को वापस लेने की अनुमति है ?

†**माननीय सदस्य** : जी हां।

संशोधन संख्या ७५ गौर ७६७ सभा की अनुमति से, वापस लिए गए।

खण्ड ५

†**श्री भक्त दर्शन** : मैं अपने संशोधन १३५ और १३६ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री बड़े** : मैं अपने संशोधन संख्या ८६, ८७, ९३ और ९६ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री बागड़ी** : मैं अपने संशोधन संख्या १५३, १५४ और १५५ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री मुहम्मद इसमाइल** : मैं अपने संशोधन संख्या ८९, ९४ और ९५ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : मैं अपना संशोधन संख्या ९१ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मैं अपना संशोधन संख्या १३८ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री अ० क० गोपालन** : मैं अपना संशोधन संख्या ९८ प्रस्तुत करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ही० ना० मुकर्जी :** यह खंड केन्द्रीय अधिनियमों आदि के हिन्दी अनुवादों के सम्बन्ध में है । इस सदन में तथा दूसरे सदन में कुछ ऐसे सदस्य हैं जो हिन्दी या अंग्रेजी नहीं जानते, उन के हित के लिए आवश्यक है कि उन्हें अधिनियमों आदि के अनुवाद दिये जाय । इस संशोधन को स्वीकार करने में जो वित्तीय व्यय होगा, उस के लिए राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है । इस संशोधन का उद्देश्य यह है कि सदन का प्रत्येक सदस्य कायवाही को अच्छी तरह समझ सके ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** केन्द्रीय सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नियम बना सकेगी । खंड ५(२) में संसद् के दोनों सदनों की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के बारे में उपबन्ध है । मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है कि अधिनियम के नियमों के बजाय प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों को रख दिया जाये ।

श्री बड़े (खारगोन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्लाज़ ५ में इस बात का खुलासा रखा गया है कि कौन सा आथारिटेटिव टैक्स्ट होगा । इस बारे में मैंने क्लाज २ में भी अमेंडमेंट दिया था जो इस प्रकार था :

"अधिकृत पाठ हिन्दी का पाठ होगा ।"

अब आप देखें कि क्लाज ५ में लिखा है :

"उस दिन अथवा उस दिन के पश्चात् राष्ट्रपति के अधिकार के अनुसार सरकारी गजट में प्रकाशित हिन्दी अनुवाद हिन्दी का अधिकृत पाठ माना जायेगा ।"

अगर दरअसल शासन हिन्दी की प्रगति करना चाहता है तो आथारिटेटिव टैक्स्ट हिन्दी में होना चाहिए था और उसका अनुवाद अंग्रेजी में होना चाहिए था हो सकता है कि कोर्ट में यह विवाद उठे कि हिन्दी और अंग्रेजी में से कौन सा टैक्स्ट आथारिटेटिव है । इसलिए यह होना चाहिए था कि :

"अधिकृत पाठ हिन्दी में होना चाहिये ।"

और उसका अनुवाद अंग्रेजी में होना चाहिए । अगर आप हिन्दी को प्रमुख भाषा बनाना चाहते हैं और अंग्रेजी को सखी भाषा बनाना चाहते हैं तो आप को हिन्दी टैक्स्ट को आथारिटेटिव रखना चाहिए और अंग्रेजी में उसका अनुवाद होना चाहिए था । अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इस से मालूम होगा कि हिन्दी की इनफीरियर पोजीशन है । इस वास्ते मैं ने अमेंडमेंट दिया था कि जहां हिन्दी है वहां अंग्रेजी होनी चाहिए । क्लाज ५ के सब क्लाज (२) में लिखा है :

"विधेयक और उस पर प्रस्तुत संशोधनों का हिन्दी में अनुवाद इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार किया जायेगा ।"

इसमें जो लिखा है इस से शंका होती है कि न मालूम वे रूल अलग से क्या बनेंगे । मेरी समझ में नहीं आता । मेरा फिर निवेदन है कि अगर हिन्दी को प्रमुख भाषा मानते हैं तो हिन्दी का टैक्स्ट आथारिटेटिव होना चाहिए और उस का अनुवाद अंग्रेजी में होना चाहिये । कोर्ट में अगर विवाद हो तो हिन्दी के टैक्स्ट को देखा जाय यह व्यवस्था करनी चाहिए अगर शासन का उद्देश्य हिन्दी को प्रमुख भाषा बनाना है । अभी तक तो शासन यह घोषणा करता आ रहा है कि हिन्दी को प्रमुख भाषा बनाना है, लेकिन क्लाज ५ से तो यह स्थिति नहीं रहेगी । इस वास्ते मेरा निवेदन है कि हिन्दी के टैक्स्ट को आथारिटेटिव माना जाय । भारत वर्ष में हिन्दी राष्ट्र भाषा होनी चाहिये और उसको प्रमुख स्थान मिलना

†मूल अंग्रेजी में

चाहिए और अंग्रेज़ी उस की दासी हो कर रहे। ऐस नहीं होना चाहिये कि अंग्रेज़ी प्रमुख भाषा हो और हिन्दी उस की सखी हो कर रहे। इसी वास्ते मैंने अमेंडमेंट दिया था।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : मैंने जो खंड ५ के उपखंड २ में अपना संशोधन दिया है उस के शब्द पहले पढ़ कर सुना दूं। वह इस प्रकार है :

> "नियत दिन से संसद् की किसी सभा में प्रस्तुत किए जाने वाले सब विधेयकों अथवा उन के संशोधनों के अंग्रेज़ी भाषा के अधिकृत पाठ के साथ हिन्दी में उन का अधिकृत पाठ और संविधान के अनुच्छेद ३४५ के अधीन स्वीकृत राज्यों की सभी राजभाषाओं में इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए नियमों द्वारा प्रख्यापित रीति से अधिकृत उन का अनुवाद होगा।
>
> परन्तु किसी विधेयक, संशोधन अथवा अधिनियम के अंग्रेज़ी और हिन्दी पाठ के निर्वाचन में विवाद होने की अवस्था में नियत दिन से दस वर्ष की अवधि तक उस का अंग्रेज़ी पाठ अधिकृत माना जायगा, और उस अवधि के बाद हिन्दी पाठ अधिकृत माना जायगा।"

इस प्रकार से मेरा अपना संशोधन है। जब आपने इस विधेयक की धारा ३ में हिन्दी को प्रमुखता दी है तो गजट में हिन्दी का अनुवाद यहां अधिकृत रूप से आप प्रकाशित करेंगे तो यह दोनों धाराओं में परस्पर विरोध की स्थिति पैदा करेगा। होना यह चाहिये कि अगले दस वर्षों तक यानी सन् १९७५ तक, जितने भी केन्द्र के विधान हैं या विधेयक हैं ये सारे के सारे अंग्रेज़ी और हिन्दी दोनों भाषाओं में प्रामाणिक माने जायेंगे और उन का जो अनुवाद होगा वह सभी और भारतीय भाषाओं में होना चाहिये। यह स्थिति सन् १९७५ तक रहेगी। सन् १९७५ के बाद मैं चाहता हूं कि सरकार फिर वह दुर्बलता न दिखाए जिस के कारण वह अभी तक हिन्दी को उस के आसन पर नहीं बिठा पायी। अगर सन् १९७५ के बाद अगर किसी विधेयक आदि के अंग्रेज़ी और हिन्दी के शब्दों में विवाद की स्थिति पैदा हो तो उस समय हिन्दी के वरशन को अधिकृत माना जायगा ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये। अभी तो आप समझौते के रूप में अंग्रेज़ी को प्रमुखता दे रहे हैं, लेकिन सन् १९७५ के बाद यह स्थिति नहीं रहनी चाहिये। उस के बाद विवाद उठने पर हिन्दी को प्रमुखता मिलनी चाहिये। यही मेरा संशोधन है। मेरा निवेदन है कि इस पर गृह मत्री पूरी गम्भीरता से विचार करेंगे। यह हिन्दी की गौरपूर्वर्ण स्थिति को बनाए रखने में सहायक होगा और इस विधेयक से जो आप चाहते हैं उस के लिए भी इस से लाभ होगा।

†**डा० मा० श्री० अणे** (नागपुर): खड ३ के पारित होने के बाद हमारे लिए इस स्थिति को मानना अनिवार्य हो जाता है कि अंग्रेज़ी मूल पाठ के अतिरिक्त, हिन्दी मूल पाठ भी होगा। किन्तु हिन्दी मूल पाठ अंग्रेज़ी का अनुवाद ही होगा। ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि श्री बड़े का संशोधन स्वीकार करना कठिन होगा।

श्री भक्त दर्शन (गढ़वाल) : उपाध्यक्ष महोदय, पांच दिन की तपस्यापूर्ण प्रतीक्षा के बाद मुझे जो कुछ शब्द बोलने का अवसर मिल रहा है उस के लिए मैं अपने को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूं।

मैं ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उस की भावना यह है कि संसदीय समिति ने, जो कुछ वर्ष पहले नियुक्त की गयी थी, यह सिफारिश की थी कि सन् १९६५ तक अंग्रेज़ी प्रमुख भाषा रहेगी और

---

†मूल अंग्रेजी में

हिन्दी सहायक राजभाषा रहेगी, लेकिन सन् १९६५ के बाद हिन्दी प्रमुख राजभाषा हो जायगी और अंग्रेजी उस की सहायक राजभाषा होगी। इसी योजना को राष्ट्रपति ने अपने आदेश में लिपिबद्ध किया और उस के अनुसार आदेश निकाले गए, और एक प्रकार उसी के आधार पर यह विधेयक भी इस सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है। लेकिन जिस प्रकार की भाषा इन धाराओं में रखी गयी है उस से यही ध्वनित होता है, चाहे गवर्नमेंट के दिमाग में कुछ भी भावना रही हो, कि हिन्दी को वह स्थिति अभी भी नहीं मिल रही है जो संसदीय समिति ने उसको दी थी और जो गवर्नमेंट का वास्तव में उद्देश्य है ।

यहां पर जो संशोधन प्रस्तुत किए गए हैं वे दो चरम सीमाओं के मालूम पड़ते हैं। एक ओर यह स्थिति रखने का प्रयत्न किया जा रहा है कि अंग्रेजी को ही प्रमुखता दी जाय, वहां दूसरी ओर हमारे कुछ मित्रों ने ऐसे संशोधन भी रखे हैं कि हिन्दी को पहले माना जाय और उस के बाद अंग्रेजी को माना जाय। मैं समझता हूं कि यह स्थिति व्यावहारिक नहीं होगी। दोनों का कुछ वर्षों तक, दस या १५ वर्षों तक, साथ साथ चलना पड़ेगा। इसलिए मैंने अपना संशोधन दिया है कि इस विधेयक में "हिन्दी ट्रांस्लेशन" की जगह "हिन्दी वरशन" रखा जाय।

हिन्दी के जो समर्थक हैं, चाहे वे हिन्दी भाषी प्रान्तों के हों या अहिन्दी भाषी प्रान्तों के हों, उन के मन में गवर्नमेंट के मंशा के बारे में आशंका है जैसाकि "शैल" और 'मे" के विवाद से स्पष्ट हो गया। उन के दिलों में आशंका है कि क्या अंग्रेज़ी आगे भी जारी रहेगी। हिन्दी की स्थिति कुछ ऐसी मालूम देती है कि एक पुरुष के दो पत्नियां हों, और एक के सिर पर राजमुकुट रख दिया जाय—जैसा कि आप ने हिन्दी को संविधान में राजभाषा मान कर किया है—लेकिन राज दंड दूसरी के हाथ में रहे। तो इस प्रकार शासिका तो दूसरी ही होगी। इस भेद को मिटाना आवश्यक है। मैं समझता हूं कि जो राज मंत्री जी सदन में बैठे हुए हैं वे कानूनी मामलों के धुरन्धर विद्वान् हैं। मैं समझता हूं कि इस के अंदर कोई भी क़ानूनी अड़चन नहीं होनी चाहिये। अगर इस संशोधन को स्वीकार कर लिया जाय तो बीच का रास्ता निकलता है। इस से कोई बड़ा परिवर्त्तन नहीं होता है। यह एक भावना का प्रश्न है और उस के द्वारा हिन्दी भाषी लोगों की और हिंदी के समर्थकों की भावना का आदर करते हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपने संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री बागड़ी (हिसार) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भी इस क्लाज़ पर अमेंडमेंट्स दिये हैं। वैसे तो बहस बड़ी चल रही है, चर्चा बड़ी चल रही है और दिखावा ऐसा किया जा रहा है जैसे अंग्रेज़ी को मिटा कर हिन्दी बना रहे हैं लेकिन दरअसल उस के पीछे जो इतिहास काम कर रहा है और जैसा कि सरकारी बेंचों की तरफ़ से दरअसल कोशिश है कि किसी तरीक़े से अंग्रेज़ी आगे भी चलती रहे। चूंकि हिन्दी को देश में पूरी तरह से राजभाषा के रूप में लागू करने के लिए सरकार ने १५ साल की अवधि निश्चित की थी, इस तरह की घोषणा सरकार ने की थी, इसलिए जनता उस निश्चय को ले कर सरकार को पकड़ सकती थी क्योंकि इस सरकार ने जनता का पैसा खज़ाने से ले कर उस निश्चय को पूरा नहीं किया था। इसलिए आज सरकार इस विधेयक रूपी नशे के द्वारा भोली भाली जनता को गाफिल कर के अंग्रेज़ी को अनिश्चित काल के लिए जारी रख रही है। सरकार की कथनी और करनी बिल्कुल अलग है और बिलकुल उलटी है। कथनी तो यह है कि अंग्रेज़ी हिन्दी के अतिरिक्त एक सखी भाषा के रूप में जारी रहे। लेकिन करनी में यह हो रहा है कि अंग्रेज़ी मेन भाषा रहेगी और हिन्दी ऐडीशनल यानी सहायक ज़बान होगी। जितने भी बिल, गज़ट और अन्य सरकारी दस्तावेज़ होते हैं वे छपेंगे अंग्रेज़ी में और उन का ट्रान्सलेशन हिन्दी में होगा। अब

यह एक बिलकुल विपरीत बात है और हिन्दुस्तान की ग़रीब जनता के साथ इस प्रकार सरकार ने भाषा के प्रश्न पर जो विश्वासघात किया है उसको लम्बा चलाने के लिए और उसे धोखे में बनाए रखने के लिए यह ब सब षड्यंत्र रचा जा रहा है ।

मेरे संशोधन केवल संशोधन ही नहीं हैं बल्कि वे असलियत की ओर ले जाने वाले हैं और संविधान में हिन्दी के बारे में जो स्पष्ट निर्देश है उस की पूर्ति की ओर एक क़दम है । अगर उन को स्वीकार नहीं किया जाता है तो फिर यह असलियत और कानून के साथ एक किस्म की हेराफेरी हो जाती है ।

जैसाकि धारा ३ में पास किया गया है सारे बिल और सारी आपकी लिखत पढ़त अंग्रेज़ी में ही होगी । इसलिए मैं ने अपने संशोधन दिये हैं कि हिन्दी को उसकी उपयुक्त जगह दो और संविधान के निर्देशों का अमल किया जाय । सन् ६५ के बाद सरकारी दल के लोगों को जनता के सामने फिर जाना है इसलिए वह अपना मौजूदा रवैय्या छोड़े और हिन्दी को गौरव की जगह दे ।

†**श्री हजरनवीस** : मैं डा० अणे का आभारी हूं, जिन्होंने श्री बड़े की कुछ आशंकाओं का समाधान कर दिया है । जब दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जा सकता है, तो दोनों भाषाओं में अधिकृत मूल पाठ देना पड़ेगा । विधि को एक से अधिक स्थानों पर एक से अधिक भाषाओं में व्यक्त किया जा सकता है । यह कहना कि एक मूलपाठ दूसरे से अधिक प्रामाणिक हैं, मूल पाठों के कृत्यों को न समझना है ।

प्रश्न उठाया गया था कि यदि दो मूल पाठों में अन्तर हो, जैसाकि प्रायः हो जाता है, तो ऐसी हालत में न्यायाधीश दोनों का समन्वय करने का प्रयत्न करता है । इसलिए यह कहना ठीक नहीं है कि एक मूलपाठ दूसरे से ज्यादा अधिकृत है ।

न्यायालय में रूढ़ विधि को भी लागू किया जाता है, यद्यपि इसका मूल पाठ कहीं नहीं लिखा जाता । न्यायालय साक्ष्य लेता है और परस्पर विरोधी साक्ष्य पर विचार करने के बाद, न्यायालय देखता है कि विधि क्या है । यदि मूलपाठ तीन भाषाओं में भी हों, एक अंग्रेज़ी में, दूसरा हिन्दी में और तीसरा प्रादेशिक भाषा में, तो न्यायालय निश्चय ही यह देखेगा कि विधि क्या है । आशय यह नहीं है कि एक मूलपाठ को दूसरे मूलपाठ से अधिक मान्य समझा जाये । इसलिये मैं श्री बड़े के संशोधन को स्वीकार करने में असमर्थ हूं । जहां तक श्री प्रकाशवीर शास्त्री के संशोधन का सम्बन्ध है यह द्विभाषावाद की अवधि को सीमित करता है । इसलिए मैं उनके संशोधन का विरोध करता हूं ।

'संस्करण' और 'अनुवाद' शब्दों के सम्बन्ध में यह धारणा है कि 'अनुवाद' शब्द कुछ घटिया है । यदि मेरी राय पूछी जाये, तो मैं 'संस्करण' शब्द चुनूंगा किन्तु संविधान के अनुच्छेद ३४८(३) में 'अनुवाद' शब्द दिया गया है ।

आप को मालूम है, न्यायालयों में जब हम किसी वाक्यांश को छोड़ देते हैं, जिसका पहले वाले अधिनियमों में प्रयोग हुआ है, तो हमारे ऊपर यह आरोप लगता है कि हम पहले के अधिनियमों के प्रतिकूल काम कर रहे हैं । वकील जानते हैं कि 'समझा जायेगा' वाक्यांश का एक विधिसंगत अर्थ होता है, अर्थात् हमें यह सोचना पड़ता है कि किसी घटना विशेष के होने पर कुछ तथ्य विद्यमान होते हैं । वह घटना क्या है । घटना अनुवाद है, यदि इसका अनुवाद किया जाये और वह अनुवाद राष्ट्रपति के प्राधिकार के अधीन राजपत्र में प्रकाशित

---

†मूल अंग्रेज़ी में

हो जाये, तो इसे प्राधिकृत पाठ माना जाता है । अतः यदि झगड़ा खड़ा हो जाये, कि प्राधिकृत रूप क्या है, तो उस बात का प्रमाण दिया जायेगा कि यह सरकारी गजट में राष्ट्रपति की आज्ञानुसार प्रकाशित अनुवाद है । तब यह प्राधिकृत पाठ माना जायेगा । संविधान में भी इस वाक्यांश का प्रयोग किया है, अतः मसौदाकारों ने इसकी नकल इस लिए कि यदि हम उसका उपयोग नहीं करते, तो उसका अर्थ यह हो सकता है कि हम कुछ और काम कर रहे हैं, जो हम वास्तव में नहीं कर रहे अतः हम संशोधन का विरोध करते हैं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय सदस्य श्री भक्त दर्शन को अपने संशोधन वापस लेने की अनुमति है ?

†**कुछ माननीय सदस्य** : जी हां ।

संशोधन संख्या १३५ गौर १३६ सभा की अनुमति से वापिस ले लिये गये ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ८६, ८७, ६३, ६६, १५३, १५४, १५५, ८६, ६४, ६५ और ६१ मतदान के लिए प्रस्तुत किए गए तथा अस्वीकृत हुए ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या श्री कामत को अपने संशोधन वापस लेने की अनुमति है ?

†**कुछ माननीय सदस्य** : जी हां ।

संशोधन संख्या १३८, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या श्री गोपालन को अपना संशोधन ६८ वापस लेने की अनुमति है ?

†**कुछ माननीय सदस्य** : जी हां ।

संशोधन संख्या ६८, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है:

"कि खण्ड ५ विधयक का अंग बने "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ६--(कुछ मामलों में राज्य अधिनियमों का अधिकृत हिन्दी अनुवाद)

†**श्री मुहम्मद इस्मैल** : मैं अपने संशोधन संख्या ६६, १०२ और १०३ प्रस्तुत करता हूं :

†**श्री प्रभातकार** : मैं अपना संशोधन संख्या १०१ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री प्रकाश वीर शास्त्री** : मैं अपना संशोधन संख्या १०४ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री बागड़ी** : मैं अपना संशोधन संख्या १५६ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री प्रभातकार** : अधिकृत मूलपाठ की भाषा राज की भाषा या मूल भाषा होनी चाहिये और उसके हिन्दी पाठ को अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अधीन अधिकृत किया जाना चाहिये । मेरा यह सुझाव है ।

---

†मल अंग्रेजी में

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ने विधेयक के वर्तमान खण्ड ६ के बाद इतना अंश और जोड़ने का संशोधन दिया है :

"परन्तु यह कि ऐसे किसी अधिनियम या अध्यादेश के किसी राज्य की राज-भाषा और हिन्दी के पाठ के निर्वचन में विवाद होने की अवस्था में, नियत दिन से दस वर्ष को अवधि तक उस राज्य की राज-भाषा के पाठ को अधिकृत माना जायेगा और उस अवधि के बाद हिन्दी पाठ को अधिकृत माना जायेगा ।"

इस संशोधन का अभिप्राय स्पष्ट है और इसकी और अधिक व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है । दस वर्ष तक तो उन राज्यों की राज-भाषा का पाठ प्रामाणिक माना जाये और दस वर्ष के बाद, जब कि वे राज्य हिन्दी को अच्छी तरह से समझने के योग्य हो जायेंगे, अगर कोई विवाद होगा, तो हिन्दी के पाठ को प्रामाणिक माना जाये, क्योंकि वह देश की प्रमुख भाषा होगी । मेरे संशोधन का यही अभिप्राय है ।

श्री बागड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संशोधन का मतलब यह है कि जनवरी, १९६५ के बाद प्रान्तीय सरकारें फ़ौरन ही अपना काम-काज अपनी अपनी प्रान्तीय भाषाओं में चलायें । अगर यह संशोधन माना जाता है, तो इसका मतलब यह है कि हम वास्तव में प्रान्तीय भाषाओं और अलग अलग रिजन्ज़ की भाषाओं की उन्नति चाहते हैं । अगर प्रान्तीय भाषायें, इलाकाई भाषाये और मातृभाषायें तरक्की करेंगी, तो राष्ट्र-भाषा के बारे में संघर्ष नहीं होगा । जब तक हम इन प्रान्तीय भाषाओं और मातृ-भाषाओं की उन्नति नहीं करेंगे, तब तक हिन्दी और अंग्रेज़ी का संघर्ष चलता रहेगा । अगर सरकार इस संशोधन को मान लेती है, तो इस सम्बन्ध में एक बहुत बड़ा संकट मिट जाता है और अंग्रेज़ी भाषा को निकालने में सहायता मिलती है । अगर सरकार की तरफ़ से यह संशोधन नहीं माना जाता है और फिर भी यह कहा जाए कि इस देश में प्रान्तीय भाषाओं का उत्थान और तरक्की हो, तो वह उस के अपने कथन के विपरीत होगा । इस लिए मैं निवेदन करूंगा कि इस संशोधन को मान लिया जाये ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : श्रीमान् उस मामले में क्या होगा, जिसमें किसी अहिन्दी भाषी राज्य ने हिन्दी से भिन्न कोई भाषा निर्धारित की हो ?

†**श्री वारियर** (त्रिचूर) : कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने प्रादेशिक भाषा को अभी राजभाषा नहीं माना ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : तो वे इसे प्रादेशिक भाषा में प्रकाशित नहीं करेंगे ।

†**श्री वारियर** : संक्रमण काल में हिन्दी में अनुवाद अधिकृत मूलपाठ माना जायेगा, तो केरल, मैसूर और मद्रास जैसे राज्यों में क्या होगा, जहां चर्चा अंग्रेज़ी में या प्रादेशिक भाषा में होती है । मान लीजिये कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक डिग्री का अधिकृत मूलपाठ हिन्दी में भेजा जाता है, तो क्या स्थिति होगी ?

†**श्री राधे लाल व्यास** : अंग्रेज़ी अनुवाद भी साथ होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री वारियर : किन्तु अन्तिम अधिकृत प्रलेख हिन्दी में होगा और निर्णय भी हिन्दी में होगा । यदि अंग्रेजी और हिन्दी अनुवाद में अन्तर हुआ, तो हिन्दी मूलपाठ पर निर्भर करना पड़ेगा । अतः यह हो सकता है कि केरल, मैसूर या मद्रास उच्च न्यायालय हिन्दी के अनुवाद में भिन्न निर्वचन दे, जिस से पक्षों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । अतः मैं समझता हूं कि यह संशोधन स्वीकार किया जाना चाहियें ।

†श्री हिम्मतसिंहका (गोड्डा) : मेरा निवेदन खण्ड ६ स्पष्ट नहीं है । हिन्दी अनुवाद अधिकृत समझा जायेगा अथवा इंग्लिश अनुवाद यदि राज्य की राजभाषा क्षेत्रीय भाषा हुई तो क्या उसका पाठ अधिकृत नहीं माना जायेगा ? तब भाषाय दो होंगी अथवा तीन होंगी, इसे स्पष्ट किया जाना चाहिए ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

†श्री हजरनवीस : अनुच्छेद ३४५ के अन्तर्गत राज्य विधान मंडलों को यह अधिकार प्राप्त है कि वे किसी भी भाषा को अपने राज्य की भाषा स्वीकार कर सकते हैं । उसमें कहा गया है :—

"अनुच्छेद ३४६ और ३४७ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा उस राज्य के राजकीय प्रयोजनों में से सब अथवा किसी के लिए प्रयोग के अर्थ उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अनेक को या हिन्दी को अंगीकार कर सकेगा ।"

परन्तु अनुच्छेद ३४८(१) में कहा है :—

"इस भाग के पूर्ववर्ती उपबन्धों में कसी बात के होते हुए भी जब तक संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध न करे, तब तक—

(क) उच्चतम न्यायालय में तथा प्रत्येक उच्च न्यायालय में सब कार्यवाहियां ;

(ख) जो—

(१) विधेयक, अथवा उन पर प्रस्तावित किये जाने वाले जो संशोधन, संसद् के प्रत्येक सदन में पुरःस्थापित किये जायें उन सब के अधिकृत पाठ,

(२) अधिनियम संसद् द्वारा अथवा राज्य के विधान मंडल द्वारा पारित किये जाय, तथा जो अध्यादेश राष्ट्रपति या राज्य पाल या राज प्रमुख द्वारा प्रख्यापित किये जायें, उन सब के प्राधिकृतपाठ,

अंग्रेजी भाषा में होंगे ।

अतः स्पष्ट है कि यदि खंड ६ विधि का रूप धारण नहीं करता तो विधेयक इत्यादि सब को अंग्रेजी में ही रखना होगा । इसके बाद मैं अनुच्छेद ३४८ के उपखंड (३) की ओर आता हूं । उसमें कहा

"खंड (१) के उपखंड (ख) में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी राज्य के विधान मंडल ने, उस विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयकों या उसके द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल या राज प्रमुख द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों में अथवा उस उपखंड की कंडिका (३) में निर्दिष्ट किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि में प्रयोग के लिये अंग्रेजी भाषा से अन्य किसी

†मल अंग्रेजी में

भाषा के प्रयोग को विहित किया है वहां उस राज्य के राजकीय सूचना पत्र में उस राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख के प्राधिकार से प्रकाशित अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद उस खंड के अभिप्रायों के लिये उसका अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।"

मतलब स्पष्ट है कि जो भी तीन भाषाओं का प्रयोग होगा, उन सब में विधान मंडल की आकांक्षाओं को वफादारी से व्यक्त किया जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १०१ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ६६, १०२, १०३, १०४, १५६ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड ६ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ६ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ७--(हिन्दी तथा अन्य राज भाषा का उच्च न्यायालयों के निर्णयों के लिये वैकल्पिक प्रयोग)

†**श्री राधे लाल व्यास** : मैं अपना संशोधन संख्या ११० प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : मैं अपना संशोधन संख्या १०८ और ११२ प्रस्तुत करता हूं ।

मेरा संशोधन बड़ा सरल है । जो भी भाषा का प्रयोग किया जाये, उच्च न्यायालयों के निर्णयों का अंग्रेजी में अनुवाद होना चाहिये ।

श्री राधेलाल व्यास (उज्जैन) : अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि आदरणीय शास्त्री जी यहां पर हैं, मैं उनके सामने अपने विचार रखना चाहता हूं । क्लाज ७ की लाइन ६ में जो "इन ऐडिशन टू इंगलिश लैंग्वेज" है उसको निकालने के लिये मेरा संशोधन है । मैं सदन के सामने यह बतलाना चाहता हूं कि इस संविधान के अमल में आने से पहले ग्वालियर स्टेट में, जिसका मैं बाशिन्दा हूं, सन् १९४८ तक हाई कोर्ट में सब प्रोसीडिंग्स में डेक्री, जजमेंट्स सब हिन्दी में लिखे जाते थे, और जब यूनाइटेड स्टेट आफ मध्य भारत बनी तब भी सन् १९५० के पहले तक हाई कोर्ट की सब प्रोसीडिंग्स, जजमेंट्स, डिग्री, आर्डर्स वगैरह केवल हिन्दी में ही होते थे । आज जो हमारे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वे उस समय मध्य भारत हाई कोर्ट में भी जज थे । वे सब जजमेंट्स हिन्दी में लिखा करते थे । क्या "इन ऐडिशन टु इंग्लिश लैंग्वेज" के माने यह हैं कि आज राज्य सरकार यह करे कि हमने इस संविधान का पालन किया था लेकिन जो हमारा अधिकार था उसको हम छोड़ते हैं और दूसरी भाषा ग्रहण करते हैं देश को एक समान करने के लिये ? हालांकि संविधान कहता है कि आगे चल करके वहां जजमेंट्स, डेक्रीज, आर्डर्स वगैरह प्रादेशिक भाषा में हो सकते हैं और इस के लिये **पालियामेन्ट कैन प्रोवाइड बाई ला** कि इंग्लिश हटा सकते हैं, तब मेरी समझ में नहीं आता कि क्यों वहां पर अब इंग्लिश रक्खी जाय जब कि वहां की राज्य सरकार नहीं चाहती, वहां की प्रजा नहीं चाहती । यह तो एक एनेबलिंग चीज है । इस में लिखा है : **दि गवर्नर मे इफ दि प्रेजीडेन्ट**

†मूल अंग्रेजी में

परमिट्स" । कोई यह तो है नहीं कि यहां पर "शैल" हो । मेरा निवेदन है कि कम से कम इतनी गुंजाइश तो दें कि अगर कोई राज्य केवल हिन्दी में या केवल प्रादेशिक भाषा में अपने जजमेंट्स लिखना चाहें तो उन्हें उस तरह से लिखने की आज्ञा होनी चाहिये । इस में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिये, यह नहीं होना चाहिये कि अगर कोई जज हठधर्मी करे कि मैं तो इंग्लिश में ही लिखूंगा तो उसको इंग्लिश में लिखने की इजाजत होनी चाहिये । इंग्लिश ट्रांस्लेशन की व्यवस्था आप ने की कि अगर हिन्दी में होगा या प्रादेशिक भाषा में होगा तो इंग्लिश ट्रांस्लेशन होगा ही, सुप्रीम कोर्ट में आया तो ट्रांस्लेशन रहेगा । उस के टेक्स्ट के इंटरप्रेटेशन में कैसे गलती हो सकती है ? बिलों के टेक्स्ट्स में तो गलती हो सकती है, कानून के दो टेक्स्ट्स हो सकते हैं, लेकिन जो जजमेंट्स होते हैं, जो लिखावट में होता है उसमें कैसे इंटरप्रेटेशन में गलती हो सकती है । उसका मैटर एक होता है, स्ब्स्टेंस एक होता है, चाहे वह इंग्लिश में लिखा जाया हिन्दी में लिखा जाय, चाहे ट्रांस्लेशन हो ।

मैं नम्रतापूर्वक कहूंगा कि कांस्टिट्यूशन के जरिये जो हमारा हक छीना गया है उसको देने की कृपा करें, हम पर इस इंग्लिश को न थोपें, राज्य के ऊपर इंग्लिश न थोपें जो कि इंग्लिश को हटाना चाहता है । कांस्टिट्यूशन भी कहता है कि इंग्लिश को हटाना चाहिये । अगर यह प्रतिबन्ध हमारे ऊपर हमेशा के लिये लगायेंगे तो यह मुनासिब नहीं होगा । मैं कहना चाहूंगा कि यहां पर "इन ऐडिशन टु इंग्लिश" बिल्कुल रिडन्डेंट है । इस पर गम्भीरतापूर्वक सोच कर कम से कम मेरा यह अमेंडमेंट स्वीकार कर लेंगे तो उसका स्वागत होगा, साथ ही जो कांस्टिट्यूशन की स्पिरिट है कि कहीं न कहीं तो रेस्ट्रिक्शन लगाया जाय, उस स्पिरिट को इस रूप में मंजूर किया जाय ।

श्री भक्त दर्शन : अध्यक्ष महोदय, इस विषय में मुझे कोई लम्बी बात नहीं कहनी है । केवल एक बात पूछनी है कि ७वीं धारा में केवल हाई कोर्ट के संबंध में व्यवस्था की जा रही है, लेकिन क्या गवर्नमेंट सोचती है कि कभी भी, दस साल बाद, बीस साल बाद, ऐसा भी होगा कि सुप्रीम कोर्ट में हिन्दी में या प्रादेशिक भाषाओं को स्थान मिल सकेगा ? क्या इस पर भी विचार किया जा रहा है ?

†**श्री लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** : मैं हिन्दी के खंड का समर्थन करता हूं परन्तु फिर भी मेरा विचार है कि साथ साथ अंग्रेजी का अनुवाद भी चलना चाहिये, इससे सारे देश की न्यायिक एक रूपता बनी रहेगी ।

†**डा० रानेन सेन** (कलकत्ता पूर्व) : मैं श्री ही० ना० मुकर्जी के संशोधन संख्या १०८ का समर्थन करता हूं । इसको स्वीकार कर लिया जाना चाहिये । इससे अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के लोगों को लाभ होगा ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : अनुच्छेद ३४८ में लिखा है :—

"उच्चतम न्यायालयों में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी ।"

इस दृष्टि से खंड की भाषा कुछ अस्पष्ट है । इसमें निर्णय का उल्लेख तो है परन्तु कार्यवाही का नहीं है । उच्चतम न्यायालय की कार्यवाही अंग्रेजी में होगी, चाहे निर्णय इत्यादि किसी भाषा में दिया जाय । यह तो बड़ा अजीब लगता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हजरनवीस :** संविधान के अनुच्छेदों में स्पष्ट है कि इस संबंध में राज्यपाल अपेक्षित व्यवस्था कर सकता है। उसको हम ले रहे हैं। हिन्दी का प्रयोग भी हो सकता है और क्षेत्रीय भाषा का भी हो सकता है।

†**अध्यक्ष महोदय :** अनुच्छेद के खंड (२) में जो व्यवस्था है कि राष्ट्रपति के आदेश से राज्यपाल व्यवस्था कर सकता है उसी को इस खंड में लिया जा रहा है।

श्री भक्त दर्शन : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो बात पूछी थी, मिनिस्टर साहब ने उसका जवाब नहीं दिया। अभी जो व्यवस्था की जा रही है वह हाई कोर्टों के बारे में है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या विचार किया गया है इसका उत्तर उन्होंने नहीं दिया।

†**अध्यक्ष महोदय :** अभी विचार ही नहीं किया गया है, इसलिये जवाब नहीं दिया।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १०८, ११० और ११२ मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खंड ७ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ७ विधेयक में जोड़ दिया गया।

नया खण्ड ७—क

†**श्री प्रभात कार :** मैं अपना संशोधन संख्या ११५ प्रस्तुत करता हूं। इससे अहिन्दी भाषी लोगों के बहुत से सन्देह दूर हो जायेंगे।

†**श्री हजरनवीस :** जिस बात की ओर माननीय सदस्य ध्यान आकृष्ट करवाना चाहते हैं उस का पूरी तरह परीक्षण किया जायेगा अतः मेरा निवेदन है कि उन्हें संशोधन वापिस ले लेना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : अब तो जवाब भी हो गया है। अब आप क्या कहना चाहते हैं।

श्री भक्त दर्शन : मुझे आधे मिनट में केवल यही निवेदन करना है कि श्री प्रभात कार का जो संशोधन है और जिसके द्वारा यह मांग कर रहे हैं कि सभी भारतीय भाषाओं में अखिल भारतीय सेवाओं की प्रतियोगितायें हों, इसको तो व्यवहार में लाना कठिन है। उस के लिये तो संसदीय कमेटी ने एक ऐक्सपर्ट कमेटी बैठाने का सुझाव दिया था। हिन्दी के माध्यम द्वारा परीक्षायें देने के बारे में उस कमेटी ने सर्वसम्मति से शीघ्रता से अनुमति देने की सिफारिश की थी लेकिन वह अभी तक नहीं हो पायी है इसलिये कम से कम वह छूट तो दी जानी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ११५ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

नया खण्ड ७ ख. . . (नये)

श्री यशपाल सिंह : मैं अपना संशोधन संख्या ११४ प्रस्तुत करता हूं।

मुझे इस सिलसिले में यह कहना है कि गवर्नमेंट की पालिसी जो हिन्दी के बारे में है और जिस का कि जिक्र कांस्टीट्यूशन में है, वह पालिसी कायम रक्खी जाय। वह पालिसी न बदले।

†मूल अंग्रेजी में

यह खेद का विषय है कि इन पिछले १५ सालों में एक बिल भी पार्लियामेंट में ऐसा पेश न हो सका जोकि हिन्दी में हो और न ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले हिन्दी में लिखे जा सके। ऐसी हालत के रहते हम कैसे मान लें कि सरकार की नीयत इस संबंध में साफ है? सन् १९५८ में सरकार की जो पालिसी थी उसे मैं संक्षेप में पढ़ देता हूं :

"स्पष्ट लिखा था कि उच्चतम न्यायालय का कार्य अन्ततोगत्वा हिन्दी में ही होगा और इसके सभी महत्वपूर्ण निर्णय हिन्दी में ही प्रकाशित करने होंगे।"

यह वायदा किया गया था और हिन्दी के बारे में यह पालिसी ले डाउन की गयी थी। अगर इस के ऊपर अमल किया जाता तो आज यह बुरा दिन हमें न देखना पड़ता। सरकार को चाहिये कि वह अपने सन् १९५८ के ऐलान पर कायम रहे और उस पर अमल भी करे। गांधी जी ने जो आप को इस विषय में आज्ञा दी थी उस का पालन कीजिये और उनकी आज्ञा का पालन करके अपने को महात्मा गांधी के सपूत बन कर दिखलाइये। महात्मा गांधी की आज्ञा का पालन कीजिये। वैसे भी इस के लिये हम कांस्टीट्यूशन से अलग कोई बात नहीं कहते हैं। मैं अपने अमैंडमैंट को पेश करता हूं।

श्री हजरनवीस : यह संशोधन समय से पूर्व है, मैं इस का विरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ११४ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

खंड ८ (नियम बनाने के अधिकार)

†**श्री दासप्पा** : (बंगलौर) : इस बारे में मैं यह सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूं कि अंग्रेजी अथवा क्षेत्रीय भाषाओं से हिन्दी में अनुवाद के लिए जो भी व्यवस्था हो उसे केन्द्र के नियंत्रण में रखा जाना चाहिए। इससे अनुवाद कार्य में एक रूपता रहेगी।

†**श्री हजरनवीस** : यह बड़ा महत्वपूण सुझाव है, इसका ध्यान रखा जायेगा।

†**श्री त्यागी** : क्या विधि का हिन्दी अनुवाद करते समय इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि उसके लिए सामान्य शब्दों का चुनाव कर लिया जाय।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : इस उद्देश्य के लिए विधि मंत्रालय के अन्तर्गत एक आयोग कार्य कर रहा है। वह तकनीकी और विधि में प्रयोग आने वाले शब्दों का निर्माण कर रहा है।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड ८ विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ८ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड ९—(कुछ उपबन्ध जम्मू और काशमीर राज्य में लागू नहीं होंगे।)

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मैं इस खंड के बारे में केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे गृह-कार्य मंत्री काश्मीर के विलय का इतना शोर मचाते हैं, फिर भी इस उपबन्ध की आवश्यकता है। क्या इस प्रकार के विधान को वहां लागू करने के बारे में राज्य सरकार से बातचीत हो रही है?

---

†मूल अंग्रेजी मै

†**श्री हजरनवीस** : उन से बातचीत चल रही है।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस में कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि :

"खंड ६ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ६ विधेयक में जोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १६२ जो कि सरकारी संशोधन संख्या १५६ में संशोधन के हेतु रखा गया था मतदान क लिये प्रस्तुत किया गया।

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ।

पक्ष में ३८: विपक्ष में १६५।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १६६ मतदान के लिए रखा गया।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

पक्ष में ४३: विपक्ष में १६५।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १७३ जोकि सरकारी संशोधन संख्या १५६ में संशोधन के हेतु रखा गया था, मतदान के लिये रखा गया।

लोक उभा में मत विभाजन हुआ।

पक्ष में १० : विपक्ष में १६३

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं सरकारी संशोधन संख्या १५६ मतदान के लिए प्रस्तुत करता हूं।
प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ २, पंक्ति १८ के बाद निम्नलिखित रखा जाय—

"and the President shall cause the report to be laid before each House of Parliament, and sent to all the State Governments.

["और राष्ट्रपति प्रतिवेदन को संसद् की प्रत्येक सभा के सम्मुख रखवायेंगे और उन्हें सब राज्य सरकारों के पास भिजवायेंगे।] (१५६)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय**: संशोधन संख्या १६२ के अस्वीकृत हो जाने से संशोधन १६३ स्वयमेव समाप्त हो गया। अब संशोधन संख्या १६५ को लिया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १६५ मतदान के लिए रखा गया ।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।

पक्ष में ४० : विपक्ष में १६३ ।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १६७ मतदान के लिए रखा गया ।

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ ।

पक्ष में ४२ : विपक्ष में १६६

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

श्री त्यागी : मेरी एक दरख्वास्त है । जब डिविज़न शब्द कहा जाये तो उसके बाद कम से कम आधे मिनट का वक्त हमें दिया जाया करे ताकि हम लोग अपनी उंगलियां वगैरह ठीक तरह से रख लें ।

†**अध्यक्ष महोदय** : जितना आप चाहेंगे मिलेगा । मगर आपने तो गलती कभी नहीं की है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

पृष्ठ २, पंक्ति २० में "in sub-section (2)" ["उपधारा (२) में"] शब्दों के बाद निम्नलिखित रखा जाये :—

"and the views, if any expressed by the State Governments thereon,".

["और यदि राज्य सरकारों द्वारा उस पर कोई विचार प्रकट किये गये हों तो वे विचार] (१६०)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ४, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ४, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड १ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक का नाम और अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बनें ।"

†**श्री बड़े** : इस सम्बन्ध में मेरा संशोधन है कि विधेयक के नाम में "भाषायें" शब्द के स्थान पर भाषा शब्द रखा जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि कांस्टीट्यूशन में हम ने यह निश्चय कर लिया है कि एक ही हमारी लैंगुएज रहेगी। उस हालत में इस बिल का लैंगुएजिज़ बिल नाम क्यों रखा गया है, यह मेरी समझ में नहीं आया है। आगे चल कर यह लिखा हुआ है कि उसका ट्रांस्लेशन हुआ करेगा, अंग्रेज़ी का ट्रांस्लेशन हिन्दी में हुआ करेगा। इसका साफ मतलब यह होता है कि आफिशल लैंगुएज तो केवल एक ही रहेगी, राजकाज की भाषा तो केवल एक ही रहेगी और उस भाषा का अनुवाद हुआ करेगा। ऐसी सूरत में इसका नाम आफिशल लैंगुएजिज बिल क्यों रखा गया है, यह मेरी समझ से बाहर की बात है। हमारे राष्ट्र की भाषा एक ही मानी गई है और वह है हिन्दी। इसलिए लैंगुएजिज़ न लिख कर लैंगुएज लिखा जाना चाहिये था।

†**अध्यक्ष महोदय :** हम खण्ड १ पारित कर चुके हैं जिस में लिखा है —"अधिनियम को राजभाषायें अधिनियम, १९६३" कहा जाये।

†**श्री बड़े :** इस लिये लैंगुएजिज़ बिल न लिख कर लैंगुएज बिल लिखा जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : अब तो हम ने पास कर दिया कि हम इस को लैंग्वेजिज़ बिल कहेंगे। उस वक्त आप ने कुछ नहीं कहा। वह चीज़ तो अब खत्म हो गई है।

प्रश्न यह है :

"कि विधेयक का नाम और अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बन।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक का नाम और अधिनियमन सूत्र विधेयक में जोड़ दिये गये।

†**श्री हजरनवीस :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

†**श्री ही० ना० मुकर्जी :** यह बहुत महत्वपूण अवर है अत: तीसरे वाचन के समय भी इस पर चर्चा होनी चाहिये। हम ने इस विधेयक को पूरा समथन दिया है ताकि यह प्रभावी हो। हम ने इस बात पर बल दिया है कि राष्ट्रीय एकता को दृष्टिगत रखते हुए अहिन्दी भाषी प्रदेशों को पूरा आश्वासन दिया जाये जिससे उन लोगों के मन में किसी प्रकार की भी आशंकाएं न रहें। गृह मंत्री और प्रधान मंत्री को उन क्षेत्रों का दौरा कर के लोगों को विधेयक का महत्व समझाना चाहिये।

श्री रंगा को अपने दल के नेता श्री राजगोपालाचार्य के इस नारे का कि "हिन्दी कभी न हो अंग्रेजी सदा रहे" का विरोध करना चाहिये और देश को अपने देश की भाषाओं के प्रयोग में आगे बढ़ना चाहिये जिन्हें हम भली प्रकार प्रयोग कर सकते हैं और पूर्ण राष्ट्रीयता की उपलब्धि कर सकते हैं।

†**श्री रंगा :** (चितूर) : मैं चाहता हूं कि श्री ही० ना० मुकर्जी श्री राजा जी के विचारों की ओर निर्देश न करते। राजा जी ने मद्रास के मुख्य मंत्री होते हुए सर्वप्रथम मद्रास राज्य में हिन्दी को स्कूलों में दूसरी अनिवार्य भाषा के रूप में प्रचलित किया था।

---

†मूल अंग्रेजी में

हिन्दी साहित्य सम्मेलन आदि ने भले ही हिन्दी भाषी प्रदेशों में बहुत काम किया हो किन्तु अहिन्दी भाषी प्रदेश में राजाजी ने दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा द्वारा उन की अपेक्षा अधिक हिन्दी प्रचार किया है ।

श्री मुकर्जी ने राजा जी के विचार को सत्य रूप में प्रकट नहीं किया । बेशक व अंग्रेजी के पक्ष में हैं क्योंकि अंग्रजों के शासनकाल में भले ही अंग्रेजी विदेशी भाषा थी किन्तु अब वह विदेशी भाषा नहीं रही । हर राजनीतिक दल में जो देश व्यापी है, दो धड़े हैं एक हिन्दी के पक्ष में और दूसरा अंग्रेजी के पक्ष में ।

मैं अपनी ओर से कह सकता हूं कि यदि हिन्दी राजभाषा बने तो मैं उसका स्वागत करूंगा किन्तु समिति के प्रतिवदन में जो आश्वासन अहिन्दी भाषी प्रदेशों को दिया गया था उसे निभाया नहीं गया । प्रधान मंत्री ऐसा इसलिए कह सके हैं कि उन का सभा में बहुमत है । हमारे दल में विचार की स्वतंत्रता है । हर सदस्य अपने मत के अनुसार विधेयक का समर्थन या विरोध कर सकता है । प्रधान मंत्री द्वारा आश्वासन न मिलने के कारण मैं विधेयक का समर्थन नहीं कर सकता ।

†**श्री यशपाल :** हम को भी मौका दीजिये ।

श्री ब्रज राज सिंह : (बरेली) : एक ही पार्टी के दोनों हैं, उन को निपट जाने दीजिये ।

श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, क्या अंग्रेजी वाले ही पहले बोलेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : पहले पीछे का क्या सवाल है । क्या मैं हिन्दी वालों को नहीं बुलाता हूं । यह रिफलेक्शन ठीक नहीं है ।

†**श्री फ्रैंक एन्थनी :** मैं इसलिए विधेयक का विरोध करता हूं कि प्रधान मंत्री ने अहिन्दी भाषियों को दिये गये आश्वासन का पालन नहीं किया । यह विधेयक चोरी छिपे हिन्दी को आरोपित करने की निश्चित योजना है ।

डा० गोबिन्द दास (जबलपुर) : अध्यक्ष जी, श्री एन्थनी साहब ने इस विधेयक का विरोध किया अपनी दृष्टि से, मैं इस का विरोध करता हूं अपनी दृष्टि से । यह आश्चर्य की बात है । अंग्रेजी में एक कहावत है :

'दो अतिवादी मिल जाते हैं'

यह कभी कभी सत्य हो जाता है ।

जब मैं इस का विरोध करता हूं उस समय मुझ अत्यधिक दुःख होता है । मैंने उस दिन भी कहा था, और आज फिर कहता हूं कि जिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के चरणों में बैठ कर मैंने सारी जिन्दगी काम किया, जिन श्री लाल बहादुर शास्त्री के साथ मैं वर्षों काम करता रहा, उनके मतों के विरुद्ध आज मुझे कुछ कहना पड़ रहा है । मैंने उस दिन भी कहा था और आज भी कहता हूं कि यह मेरी अंतरात्मा और मेरी कान्शेन्स का सवाल है । इसके पहले दो बार ऐसे मौके आए थे—एक, जब संविधान सभा में अंकों का प्रश्न आया और दूसरा, जब गो-वध सम्बंधी मेरे विधेयक यहां पर आए ।

अभी श्री रंगा साहब ने कुछ कहा । मैं उन्हें याद दिलाता हूं कि संविधान सभा के अवसर पर वह पहले व्यक्ति थे, जिन के पास मैं गया था और उन्होंने सब से पहले इस बात पर हस्ताक्षर किये थे कि

---

†मूल अंग्रेजी में

इस देश की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखी हुई हिन्दी होगी। आज उन की एक बातसुन कर मुझे आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि जब यहां पर अंग्रेजी राज्य था, उस समय अंग्रेजी विदेशी भाषा थी, लेकिन आज वह विदेशी भाषा नहीं रही। अजीब तर्क है। मेरी समझ में नहीं आया कि अंग्रेजों केरहते यदि वह विदेशी भाषा थी, तो आज वह स्वदेशी भाषा कैसे हो गई। अजीब बात है।

जहां तक द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के सदस्यों का संबंध है और जहां तक एन्थनी साहब का संबंध है, एक भारत का विभाजन चाहते हैं और दूसरे आज भी भारत में रहते हुए इंगलिस्तान की ओर देखते हैं। तो ऐसे लोगों से मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन जो हृदय में राष्ट्रीय विचार रखते हैं, उन से मैं आज फिर इस बात को दोहराना चाहता हूं कि जब तक अंग्रेजी का चलन इस देश में रहेगा, तब तक भारत सच्चा भारत नहीं हो सकता, तब तक यहां की जनता स्वतंत्रता और स्वराज्य के अर्थ को नहीं समझ सकती, तब तक इस देश में सच्ची एकता नहीं हो सकती, क्योंकि जो दो फ़ी सदी लोग अंग्रेजी जानते हैं और जो ९८ फ़ीसदी लोग अंग्रेजी नहीं जानते हैं, उन के बीच में एक खाई खुदी हुई है, एक दीवार खड़ी हुई है। जब तक वह खाई न पट जायेगी, जब तक वह दीवार न ढह जायेगी, तब तक इस देश में सच्ची एकता नहीं हो सकती है।

जो विधेयक इस देश में एकता लाने का प्रयत्न करने के लिए लाया गया है, मेरा नम्र निवेदन है—इस में मतभेद हो सकता है—कि मेरा यह मत है कि वह एकता को भंग करने के लिए सब से बड़ा साधन है। इससे न जनता स्वराज्य का अर्थ समझ सकता है, न इस से देश में एकता हो सकता है, न इस से आर्थिक उन्नति हो सकता है क्योंकि तीव्र गति से वैज्ञानिक तैयार नहीं हो सकते—न उस से प्रजातंत्र चल सकता है। इस लिए बड़े भारी हृदय से, बड़े दुःख के साथ, हृदय के ऊपर, अपनी छाती पर पत्थर रख कर मुझे इस विधेयक का विरोध करना पड़ रहा है।

†**श्री अ० ना० विद्यालंकार** (होशियारपुर) : मुझे हर्ष है कि सभा ने इस विधेयक को स्वीकार कर लिया है। इस विधेयक का उद्देश्य यह है कि २६ जनवरी, १९६५ से अंग्रेंजी पर जो प्रतिबंध लगने वाला था उसे हटा दिया जाये। इस का विरोध नहीं होना चाहिये।

अंग्रेजी शासन के दौरान भारत की सभी भाषाएं अपंग बना दी गई थीं। अब एक पक्ष का यह मत था कि अपंग भाषा को ही राजभाषा बना दिया जाये और दूसरें पक्ष का मत था कि अंग्रेजी को रखा जाये। अंग्रेजी को रखने के लिए कोई भी देशी भाषा तैयार नहीं होगी। दूसरा अतिवादी दष्टिकोण भी हित कर नहीं है।

देश की सभी भाषाएं समान हैं। उन्हें समान रूप से प्रगति करनी चाहिये। मुझे आशा हैं कि हमने जो वातावरण पैदा किया है उस से हमारी भाषाओं को प्रोत्साहन मिलेगा।

श्री भक्त दर्शन : अध्यक्ष महोदय : आज हम सब के लिए आत्मनिरीक्षण का समय है। हम जो थोड़े बहुत इस सदन में हिन्दी के सेवक और समर्थक रहे हैं, उन को भी आत्म-निरीक्षण करना है। जब कि मैं देखता हूं कि केन्द्र के बहु से मंत्री, और स्वयं प्रधान मंत्री जी, हमारे हिन्दी के पत्रों का जबाब हिन्दी में देते हैं, तब मुझे यह देख कर लज्जा आती है कि उत्तर प्रदेश तथा कई अन्य हिन्दी-भाषी राज्यों के मंत्री महोदय, जहां की राजभाषा कई वर्ष पहले हिन्दी घोषित हो चुकी है और उसे कानूनी जामा पहनाया जा चुका है, अभी तक हिन्दी के पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में देते हैं। वैसे ही इस सदन में जितने भी हिन्दी-भाषी विद्वान लोग हैं, वे अंग्रेजी में—लड़खड़ाती हुई और टूटी-फूटी अंग्रेजी में—ही भाषण देने में अपनी योग्यता का प्रदर्शन करते हैं। ऐसी स्थितिमें हिन्दी का एक सेवक होने के नाते मुझे बड़ी

---

†मूल अंग्रेजी में

लज्जा आती है कि मैं अपने अहिन्दी-भाषी मित्रों से यह अनुरोध करूं कि वे हिन्दी का प्रयोग करें, जब कि हम हिन्दी वाले स्वयं उस का प्रयोग नहीं करते हैं ।

मैं सरकार से भी यह अनुरोध करना चाहता हूं कि यद्यपि पिछले तीन या चार वर्षों में हिन्दी की जो प्रगति हुई है, वह बहुत उत्साहवर्धक है, शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और दूसरे क्षेत्रों में भी इस बारे में बड़ा अच्छा कार्य हो रहा है और विधि आयोग की जो स्थापना की गई है, वह भी बहुत अच्छा कार्य हुआ है मगर उस में और तेजी लाने की जरूरत है । लोगों में यह भ्रम फैल रहा है कि दस वर्ष की जो मियाद रखी जा रही है, इस बीच में सरकार हाथ पर हाथ रख कर बैठी रहेगी । मैं आशा करता हूं कि हमारे गृह मंत्री महोदय इस बारे में पूरी ताकत से कार्य करेंगे और दस वर्षों के अन्दर बड़ी तेजी से हिन्दी को जारी करने का प्रयत्न करेंगे ।

अहिन्दी भाषी मित्रों से मुझे यह कहना है कि उन्हें हिन्दी के प्रति किसी भी प्रकार की दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए । मैं एक कवि की छोटी सी कविता पढ़ कर समाप्त करता हूं । एक हिन्दी कवि ने अहिन्दी भाषी मित्रों को सम्बोधित करते हुए ये शब्द लिखे हैं :–

भारत की सारी भाषाएं बुलबुल हैं,
सब के स्वर में अनुपम आल्हादकता बसती ।
आकाश एक की अगर चहक सुन झुक जाता,
संगीत अपर का सुन धरती लहरा उठती ।
हिन्दी सब की है बड़ी बहन, शासिका नहीं,
सब की खातिर उस की छाती में ममता है ।
इस की छाया में सब का संवर्धन होगा,
इसके अंचल में सब की निहित सफलता है ।

अध्यक्ष महोदय : अब बहुत से मैम्बर साहिबान खड़े न होते जायें । सब को समय दे सकना सम्भव नहीं होगा ।

श्री बागड़ी दो दो या चार चार मिनट सब को दे दिये जायें ।

श्री **बड़े**: आज का समय और आज का यह दिन आने वाले इतिहास में बहुत बुरा दिन गिना जाएगा । हम तो यह चाहते थे कि जो पूज्य बापू जी ने कहा था कि जब स्वराज्य मिलेगा तो भारतीय भाषा भी अपनी रहेगी, वह पूरा नहीं हुआ है । अंग्रेज तो चले गये लेकिन अंग्रेजी भाषा यहा रह गई है, वह अभी भी यहां कायम है । आज उस को अमर करने की चेष्टा की जा रही है, उस को कायम रखने की कोशिश की जा रही है । मैं समझता हूं कि जब तक अंग्रेजी रहेगी तब तक हिन्दी का कभी उत्कर्ष नहीं होगा । इसलिए यदि हिन्दी का उत्कर्ष करना हैं तो मैं समझता हूं कि यह जो बिल है, वह वैसा नहीं कर सकेगा और यह हिन्दी की हत्या करने वाला बिल सिद्ध होगा ।

जो हमारा दृष्टिकोण है, उस को मैं आपके सामने रखता हूं । मेरी मातृभाषा मराठी है । लेकिन ऐसा होते हुए भी हमारा दष्टिकोण यह है कि जब नक हिन्दी पार्लियामेंट में नहीं आती है, सरकारी भाषा नहीं बनती है, नब नक यहां पर हो नहीं बलकि सारे भारतवर्ष में यहा कहा जाएगा कि हिन्दी की

†मूल अंग्रेजी में

हत्या करने वाला यह बिल है। इसलिए मैं इस का विरोध करता हूं। आज हमारी आशा थी कि जब कांग्रेस का शासन है तो कम से कम पूज्य गांधी का नाम लेने वाले कांग्रेसो जो हैं, उन की फोटो सामने रख कर उन की पूजा करने वाले जो लोग हैं, वे तो कम से कम बापू जी की इच्छा की पूर्ति करेंगे। उन को चाहिये था कि हिन्दी भाषा को भारतवर्ष की भाषा रखते।

हमारे फ्रैंक एन्थोनी सरीखे तथा रं .: साहब सरीखे नेताओं ने इंग्लिश के बारे में इतना हंगामा मचा दिया कि हमारी सरकार को झुकना पड़ गया और कम्प्रोमाइज़ करना पड़ गया। जो कम्प्रोमाइज़ उन्होंने किया, जो वह झुक गये उसी के परिणाम स्वरूप उन्होंने इस बिल को यहां पेश किया।

मैं अपनी तरफ से तथा अपनी पार्टी की तरफ से इस बिल का विरोध करता हूं।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ**: में अहिन्दी भाषी राज्य का रहने वाला हूं किन्तु संविधान की भावना का सम्मान करते हुये में हिन्दी का समर्थन करता हूं।

में श्री रंगा को बताना चाहता हूं कि १९४७-४८ में जब देश के सभी भागों से सेवायें काश्मीर भेजी गईं थी तो कुछ ही दिनों में वे हिन्दी में वहां की जनता से बातचीत करने लगे थे और उन्हें कोई कठिनाई नहीं हुई थी। अतः हिन्दी को राजभाषा बनाने से देश में विश्रृंखलता नहीं आयेगी। जिस प्रकार दक्षिण के लोग गंगा को पवित्र मानते है उसी प्रकार हम भी प्रातःकाल की प्रार्थना में गोदावरी और कृष्णा का नाम लेते हैं। इस देश के लोग सारे देश को एक समझते हैं और हमें विधेयक के पक्ष में देश में भावना पैदा करनी है।

अध्यक्ष महोदय: श्री देशमुख।

जो माननीय सदस्य बोल चुके है, उनको फिर से मौका नहीं दिया जा सकता है।

श्री बागड़ी: जितने बोले हैं, वे सब पहले भी बोल चुके हैं।

अध्यक्ष महोदय: जितना समय आप बिला इजाजत बोलने में ले जाते हैं, उसको अगर जमा किया जाये तो आप अपनी बारी से बहुत ज्यादा वक्त ले चुके हैं।

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख (परभणी): अध्यक्ष महोदय, जो आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है, उसके लिये में आपका बड़ा आभारी हूं।

जो विधेयक आज सदन के सामने हैं, वह उस आश्वासन के परिणामस्वरूप लाया गया है जो कि राष्ट्र की ओर से हमारे प्रधान मंत्री जी ने इस सदन में दिया था और जिस को इस सदन ने स्वीकार करने का अब निश्चय किया है। इससे मुझे बड़ी खुशी होती है।

मैं अपनी टूटी फूटी हिन्दी भाषा में इसके संबंध में दो चार शब्द कहना चाहता हूं और मैं आशा करता हूं, अपेक्षा करता हूं कि इस सदन के सम्माननीय सदस्य, श्री शास्त्री जी तथा भक्त दर्शन जी मुझे क्षमा करेंगे यदि मेरी भाषा में कोई गलती हो।

इस विधेयक पर चर्चा सुनते समय, वाद-विवाद सुनते समय ऐसा प्रतीत होता है कि यह सवाल आंग्ल भाषा और हिन्दी के बीच इसलिये पैदा हुआ है कि अहिन्दी भाषा भाषी प्रांतों के चन्द सरकारी कर्मचारी यहां के सचिवालय में हैं और साथ ही साथ इसलिये भी पैदा हुआ है कि अगर हिन्दी भाषा को प्रामाणिक भाषा मान लिया जायेगा और अगर हिन्दी में ही सरकारी कार्रवाई करनी शुरू कर दी जायेगी तो अहिन्दी भाषा भाषी राज्यों के जो लोग है, उनका सरकारी नौकरियों

†मूल अंग्रेजी में

में शामिल होना मुश्किल हो जायेगा। मैं समझता हूं कि सरकार का परम कर्त्तव्य जनता की सेवा करना है और अगर जनता की सेवा प्रामाणिक रूप में की जानी आवश्यक है तो जिस भाषा को जनता समझ सके, उस भाषा में सरकारी कर्मचारियों को और सरकारी प्रवक्ताओं को पत्र व्यवहार करना चाहिये। यह बहुत जरूरी है। इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाये तो अहिन्दी भाषा भाषी राज्यों में से चन्द सेवक सरकारी कर्मचारियों में शामिल न भी हो सकें तो भी जिस भाषा में जनता राज्य का कारोबार समझ सकती है, उस भाषा में अगर राज्य का कारोबार होता है तो जिस लोकतंत्र को हम ने स्वीकार किया है, उस लोकतंत्र का कुछ अर्थ बच जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, इस सदन का नाम लोक सभा है और अगर लोक सभा को वास्तव में लोक सभा रहना है जैसा कि हर एक माननीय सदस्य का मंशा है तो यह लोक सभा सही मानों में लोक सभा नहीं होगी अगर एक मामूली कर्मचारी अपनी मातृभाषा के सिवा दूसरी कोई भाषा न जानता हो, जिस पर जनता का विश्वास हो, उस भाषा को न जानता हो। जनता के सेवकों के रूप में जब हम इस सदन में उपस्थित हुये है, तो अपनी मातृभाषा में यदि हम अपने विचार यहां नहीं रख सकते है तो हमारा लोक तंत्र में विश्वास आयेगा, ऐसा नहीं माना जा सकता है। हमारे परम मित्र मेलकोटे जी ने जो सुझाव आपके सामने रखा है, उसको कार्यान्वित करने के लिये अगर संविधान में संशोधन करना जरूरी हो तो वैसा भी किया जा सकता है और जो चौदह भाषायें है, उन सब भाषाओं में से किसी में भी सदस्यों को अपने विचार प्रकट करने के लिये अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये।

चूंकि हिन्दी भाषा का विकास इतना नहीं हुआ है कि सरकारी कर्मचारी उसका उपयोग कर सकें, इसलिये आंग्ल भाषा को प्रामाणिक स्वरूप देने के उद्देश्य से जो विधेयक सदन में आया है, उसका में समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि सदन इसको अपनी सम्मति दे देगा।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : यह एतिहासिक महत्व का अवसर है जब इस विधान पर स्वीकृति की मुहर लगाई जा रही है। यह स्वर्ण माध्यम का विधान है। मुझे एक दो बातों का खेद है। एक तो यह कि इसे समिति को सौंपने के लिये मेरे संशोधन को स्वीकार नहीं किया गया और दूसरे इसलिये कि समिति को अधिकार देने का मेरा संशोधन अस्वीकार कर के संसद की शक्ति को कुंठित किया गया है।

जो लोग अंग्रेजी का विरोध करते है उनसे मैं कहना चाहता हूं कि हमने अंग्रेजों का विरोध किया था न कि उनकी भाषा का। इस देश में क्षमता है कि इसने उर्दू को जो मुसलमान शासकों की भाषा थी आत्मसात कर लिया। अब अंग्रेजी को आत्मसात करने का विरोध नहीं करना चाहिये। देश का हित इसी म है कि हिन्दी को उसका सम्मानित स्थान प्रदान किया जाय। हिन्दी अन्य प्रादेशिक भाषाओं के विरुद्ध नहीं है।

मैं उस दिन की प्रतीक्षा में हूं जब हिन्दी का प्रसार होगा और इसमें न केवल हिन्दुस्तानी बल्कि विदेशी भाषाओं के शब्दों को भी आत्मसात किया जायेगा। तब हिन्दी वास्तव में सर्वप्रमुख भाषा होगी।

श्री शिव नारायण (बांसी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी सेवा में निवेदन करना चाहता हूं कि रहीम ने लिखा है :

"भार झोंक सब भार में रहिमन उतरे पार"

---

†मूल अंग्रेजी में

आज इस सरकार ने हिन्दी और अंग्रेजी क बारे में जो उसकी जिम्मेदारी है उससे छुटकारा पा लिया। आज इस मुल्क की एक बहुत बड़ी प्राब्लेम हल हो गई (हंसी) यह हंसने की बात नहीं है। हमारे मुल्क के दक्षिणी हिस्से ने अंग्रेजी के लिये बड़े जी जान से इस हाउस में कोशिश की। एक एक पार्टी को छोड़ कर नान पार्टी का हो कर चला। लेकिन आज हमारी गवर्नमैंट छुट्टी पा गई, हमारे लाल बहादुर छुट्टी पा गये, प्राइम मिनिस्टर छुट्टी पा गये। अब वह पूरी तरह से जनता की चीज है। इंग्लैंड में भी एक डिमाक्रेटिक सेट अप है और इंडिया में भी एक डिमाक्रेटिक सेट अप है। वहां पर लिटरेचर पब्लिक स्फिर की चीज है। वही हिन्दुस्तान में रहा है। अकबरकालीन भारत र तुलसीदास और सूरदास जैसी हस्तियां पैदा हुईं। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि उर्दू में बड़ा लिटरेचर है, ठीक है। उर्दू में भी खजाना है और हिन्दी में भी खजाना भरा है। आज सरकार ने इस झगड़े से छुट्टी ले ली, यह बड़ा अच्छा हुआ। मैं इस पार्लियामेंट की तरफ से और आप के जरिये से कहना चाहता हूं, जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि जनता इस के लिये कोशिश करेगी तब हिन्दी पनपेगी, जनता तंगदिली को छोड़ कर आगे बढ़ेगी तब हिन्दी फलेगी और फूलेगी क्योंकि वह सब से सरल जबान है भारत की। उर्दू भी भारत में पैदा हुई इस लिये उर्दू भी इस मुल्क में पनपी। काश्मीर से लेकर हैदराबाद तक, बंगाल तक हिन्दी और उर्दू मिली हुई है और सादी हिन्दी जिसे आप कहते हैं वह इस देश में चलती है। कुली भी वही बोलता है, रिक्शा वाला भी वही बोलता है,। मैंने हिन्दी का साहित्य देखा है, मैं हिन्दी का प्रेमी हूं, हिन्दी का प्रचारक हूं, मैं चाहता हूं कि वह फले फूले। उसी से इस देश का कल्याण होगा। अंग्रेजी से मुझे कोई ग्रज नहीं है, जितने लोग उस को सीखना चाहें सीखें। एम० ए० तक जो चाहे वह हिन्दी पढ़ सकता है पन्द्रह सालों के अन्दर। जो आज दर्जा चार में पढ़ रहा है वह पन्द्रह सालों में एम० ए० कर सकता है इंग्लिश में। लेकिन मैं प्राइम मिनिस्टर से प्रार्थना करता हूं कि आगे से हिन्दी वाले लड़कों को लिया जाय, चाहे वह दक्षिणी भारतवर्ष से आया हो या उत्तरी भारतवर्ष से आया हो। उन को सब जगह पर प्रिफ्रेंस दिया जाय और जो नेकटाई और कालर वाले हैं उन्हें रिजेक्ट किया जाय। जब इस तरह से होगा तब आप का कुल प्राब्लेम हल हो जायेगी।

इन शब्दों के साथ मैं बिल का समर्थन करता हूं।

श्री यशपाल सिंह : मुझे इन्साफ मिलना चाहिये। में न्याय की मांग करता हूं।

श्री ब्रज राज सिंह (बरेली) : पार्टी का एक व्यू रंगा साहब ने एक्स्प्रेस कर दिया, दूसरा व्यू इनको एक्सप्रेस करने दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय : हर एक पार्टी में दो दो व्यू हैं तो क्या किया जाय ? *(Interruption)*

श्री ब्रजराज सिंह : मेरी पार्टी का एक ही व्यू है।

श्री गौरी शंकर कक्कड़ (फतेहपुर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे ज्यादा समय नहीं लेना है। मेरे कुछ विचार हैं जो मैं सदन के सम्मुख रखना चाहता हूं। मुझे इस बात का दुःख है कि आज इस सदन में हम लोगों ने एक ऐसा विधेयक पारित किया जिस के अनुसार अंग्रेजी भाषा को आगे के लिये, एक अनिश्चित समय के लिये, बढ़ा दिया गया है। मुझे तो केवल यह कहना है कि जब संविधान में हम ने पन्द्रह वर्ष के लिये इसको रखने का निर्णय कर लिया था तब भी उस समय के बीच में सरकार ने इस ओर कोई कदम नहीं उठाया। अगर व्यावहारिक रूप में केवल थोड़े समय के लिये अंग्रेजी को बढ़ाने की मंशा सरकार की है तो ठीक है, वर्ना अगर अंग्रेजी को रख कर, जैसा मैंने

इस सदन में पहले भी निवेदन किया, सिर्फ अंग्रेजियत को बढ़ाने की मंशा है तो मैं समझता हूं कि यह एक बड़े दुःख की चीज होगी ।

अभी हमारे मित्र श्री शिव नारायण जी ने कहा कि अब पंडित जी का और शास्त्री जी का कर्त्तव्य समाप्त हो गया । लेकिन मैं तो कहूंगा कि सही मानों में उनका कर्त्तव्य अब शुरू होता है । आज उन के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है । मैं तो देखना चाहता हूं कि अगर वास्तव में उनकी मंशा सही तौर से हिन्दी को, जो कि आफिशल लैंग्वेज है, तरक्की की है तो उस ओर कदम बढ़े । मैं तो सिर्फ उन को इस ओर बढ़ते देखना चाहता हूं कि वास्तविक रूप में अंग्रेजी के रहते हुये भी हिन्दी अपना उचित स्थान ले ले और इस प्रकार का दिन आ जाय कि अंग्रेजी की आवश्यकता न हो कर हमारा सब काम हिन्दी में होना आरम्भ हो ।

अध्यक्ष महोदय : श्री बागड़ी :

श्री यशपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय .....

अध्यक्ष महोदय : श्री यशपाल सिंह अगर समझते हैं कि उन के साथ न्याय नहीं हो रहा है तो बार बार खड़े न हों, वे बैठे रहें तो शायद मैं उन को समय दे सकूं ।

श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, आज मैं एक बात इस पवित्र सदन में आप की मार्फत कहना चाहता हूं कि आज तक दुनियां के इतिहास में किसी भी सरकार ने अपने विधान को इतनी बेदर्दी से नहीं कुचला, जिस बेदर्दी से आज इस अंग्रेजी के काले कानून को देश की जनता पर लाद कर हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री अपने हाथों से देश के विधान को कुचल रहे हैं । हिन्दुस्तान की जनता को सन् १९५० में विश्वास दिलाया गया था । लेकिन मैं नहीं मानता कि यह प्रधान मंत्री जी का विश्वास था । वह तो बापू का विश्वास था क्योंकि उससे कुछ ही पहले बापू शहीद हुये थे । उस वक्त उनका असर देश के अन्दर और कांग्रेस पार्टी पर भी था । इसलिये उस वक्त फैसला कर लिया गया कि १५ वर्ष बाद अंग्रेजी नहीं रहेगी । लेकिन वह हवा खत्म हुई, बापू का असर खत्म हुआ । आज हिन्दुस्तान की सरकार पर असर है पूंजीपतियों का जिन्होंने देश के गरीब वर्ग को लूटा है और शोषण किया है । इसी कारण जो विश्वास हिन्दुस्तान की जनता को दिया गया था, आज १५ साल बाद उस पर कुठाराघात किया गया । आज दुःख के साथ कहना पड़ता है कि अभी भी हिन्दुस्तान के अन्दर अंग्रेजी भाषा रहेगी । आज सरकार राष्ट्र भाषा का नाम लेकर इस देश की गरीब जनता पर अंग्रेजी लाद रही है, और आज इस प्रकार हिन्दुस्तान की एकता को, हिन्दुस्तान के सम्मान को, हिन्दुस्तान की संस्कृति को, हिन्दुस्तान की मानवता को और हिन्दुस्तान के संगठन को धक्का पहुंचाया है, जिसके द्वारा वह अपनी सरहदों को बचा सकता था ।

आज एक दक्षिण और उत्तर की आवाज उठ रही है, लेकिन इसकी पैदा करने वाली सरकार ही है । अगर सरकार राष्ट्र भाषा को आगे बढ़ाती और प्रांतीय भाषाओं को आगे ले जाती तो यहां भाषाओं का कोई झगड़ा नहीं हो सकता था । सरकार को उसकी ढिलमिल नीति ने और अंग्रेजी के मोह ने मजबूर कर दिया इस कदम को उठाने के लिये, और आज देश में ऐसा वायुमंडल बन गया है कि राजभाषा नहीं पनप सकी ।

मैं आपकी मारफत इस सदन से निवेदन करूंगा कि हिन्दुस्तान के करोड़ों इन्सानों के आप प्रतिनिधि हैं जिनकी भाषायें प्रांतीय भाषायें हैं, अंग्रेजी उनकी भाषा नहीं है । वह तो उनकी भाषा

है जिनके बच्चे पांच पांच सौ और हजार हजार रुपये महीने दे कर पढ़ते हैं। देश का हरिजन, देश का नंगा, भूखा, मजदूर, किसान, आपको अपना नेता समझ कर आपके ऊपर अपनी आशायें लगाये बैठा है, लेकिन आज इस सदन में अंग्रेजी के इस काले कानून को लाकर उनकी आशाओं का खून किया जा रहा है।

मुझे इतना ही निवेदन करना था।

†**श्रीमती यशोदा रेड्डी** (कुरनूल): किसी समस्या को कट्टर पंथी से नहीं सुलझाया जा सकता। मुझे हर्ष है कि सरकार ने इस मध्य मार्ग को अपनाया है। पंडित जी और शास्त्री जी की यह महानता है कि उन्होंने सहिष्णुता प्रकट की है।

दक्षिण भारत के हम लोग यद्यपि इस विधेयक से पूर्णतः सन्तुष्ट नहीं किन्तु हम इसका स्वागत करते हैं। हिन्दी भाषी अपने लोगों को उकसायें नहीं वही तो उनका उद्देश्य विफल होगा। हमें हिन्दी सीखने के लिये कुछ समय देना चाहिये। भाषा का प्रचार प्रेम से हो सकता है क्योंकि यह हृदय और मस्तिष्क की चीज है।

श्री यशपाल सिंह (कैराना): अध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी—यूनिटी इन डाइवरसिटी—को मानती है। जैसा कि ब्रह्मर्षि वेद व्यास ने लिखा है:

श्रुतयोपि भिन्नाः स्मृतयोपि भिन्नाः नैकः मुनीनां वचन प्रमाणम्।

जब देश की रक्षा करनी होती है तो विचार वैषम्य होता है। वह पार्टी ही क्या है जो पोलीटिकल डिफरेंसेज को न निभा सके। वह पार्टी ही क्या है जिसमें ख्याली इक्तिलाफ न निभ सकें।

हमने राजाजी को समझा है और आश्वासन लिया है कि हम हिन्दी के लिये जी जान से लड़ेंगे क्योंकि अगर हिन्दी बचेगी तो समस्त भाषायें बचेंगी, अगर हिन्दी नहीं बचेगी तो देश की कोई भी भाषा चाहे वह बंगला हो, गुजराती हो, उरदू हो, असमिया हो, कन्नड़ हो, नहीं बच सकती। हमको आज हिमालय की रक्षा करनी है। और अगर हिमालय हंसेगा तो हिन्दी से हंसेगा। यह नहीं हो सकता कि जिस जबान के लिये हम वायदा कर चुके हैं कि इसको खत्म कर देंगे, उसको दोबारा जारी करें। सरकार का वश चीन पर नहीं चला, सरकार ने हिन्दी को कत्ल कर दिया। जो बहादुरी चीन के खिलाफ दिखानी चाहिये थी वह हिन्दी के खिलाफ दिखलायी गयी। अगर हम एक भाषा बोलते और एक ही प्रकार से सोचते तो चीन की हमारे ऊपर हमला करने की हिम्मत नहीं हो सकती थी। आज भी सरकार सुधार कर सकती है क्योंकि किसी भी समय सुधार कर लेना श्रेयस्कर ही है। सरकार चाहेगी वह होगा। जापान ने चाहा था कि उसकी अपनी राष्ट्र भाषा आवे, तो सन् १९२३ में उन्होंने कानून बना दिया था कि जिनके बच्चे मां बाप से मम्मी और डैडी कहेंगे उनको ६ महीने की सजा दी जायेगी। अगर आज यह सरकार और यह सदन हिन्दी को नहीं अपनायेगा तो हिन्दी नहीं पनप सकेगी। मुझे अपने देश की सारी भाषाओं से प्यार है, चाहे वह बंगला हो, या गुजराती हो, या मराठी हो या और कोई भाषा हो। उसके लिये मैं लड़ सकता हूं। लेकिन जो पांच हजार मील की भूमि की जबान है, जो कि हमारी दासता की प्रतीक रही है और जिसने हमारे दिल और दिमाग पर बुरा असर डाला है उस अंग्रेजी को, जो कि हमारी गुलामी की भाषा थी, हम स्वीकार नहीं कर सकते, और उसको स्वीकार करके हम हिमालय को नहीं बचा सकेंगे। हम अंग्रेजी को नहीं बरदाश्त कर सकते। जिस तरह एक बूंद जहर एक बाल्टी दूध को खराब कर सकता है इसी तरह अंग्रेजी हमको नुकसान पहुंचा सकती है। हमको आज देश की रक्षा करनी है और हिन्दी की रक्षा

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री यशपाल सिंह]

करनी है। हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने लाला लाजपतराय के साथ मिल कर हिन्दी के द्वारा देश का निर्माण करने का संकल्प किया था। आज हम उनको छोड़ कर कहां जायें।

किससे फिर शिकवए बेदार करें अहले चमन,
चाक कलियों के जिगर को जो बहारां कर दे।

आज शास्त्री जी की जिम्मेवारी बढ़ गई है और हमारी जिम्मेवारी भी डबल हो गयी है। एक तो हमको सरकार की डिवाइड एंड रूल की पालिसी से लड़ना है और दूसरे इस देश के ४४ करोड़ इन्सानों को एक सूत्र में बांध कर देश की रक्षा करनी है हिन्दी की रक्षा करनी है। हमारा संकल्प है कि हम देश की एकता भी कायम रखेंगे, देश की रक्षा भी करेंगे और हिन्दी की रक्षा भी करेंगे।

†**श्री जोकीम आलवा** (कनारा) : किसी राष्ट्र की प्रमुख बातें होती हैं एक झंडा एक भाषा और एक राष्ट्र गान। हमें राष्ट्र गान के रूप में एक गीत महान टैगोर ने प्रदान किया जो विश्व भर में विख्यात हो चुका है। राष्ट्र के झंडे के रूप में हमने उस झंडे को अपना लिया है जिसके लिये देशवासियों ने रक्त बहाया था। राष्ट्रभाषा का निर्माण हम नहीं कर पाये क्योंकि इस संबंध में हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं था। हम जब तक हिन्दी को राष्ट्रभाषा नहीं बनाते तब तक प्रगति नहीं कर सकते ।

विडम्बना तो यह है कि देश की चौदह भाषाओं का उपयुक्त विकास नहीं किया गया। ये भाषायें संस्कृत के आधार पर महान वृक्ष की तरह विकसित होनी चाहिये थीं।

विज्ञान की प्रगति देश की अपनी भाषा के आधार पर ही हो सकती है यह बात रूस ने प्रमाणित कर दी है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

हमारे बालक, बालिकाओं को एक भाषा सीखनी चाहिये जिससे वे विज्ञान के समृद्ध कोष को पा सकते हैं।

यह ऐतिहासिक महत्व का अवसर है कि इस विधेयक के द्वारा हमें राष्ट्रीयता का तत्व प्राप्त हो रहा है। यदि हम अपनी भाषाओं के प्रति उदार भाव नहीं रखेंगे तो हम प्रगति नहीं कर सकेंगे।

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** : सांविधानिक दृष्टि से यह विधेयक अनुचित है और यह न बताते हुये कि अंग्रेजी का प्रयोग क्यों जारी रखा गया है और क्यों इसके प्रयोग का लाभ सीमित नहीं किया। संविधान के प्रति सम्मान प्रदर्शित नहीं किया गया।

इस विधेयक से देश को यह आश्वासन नहीं मिलता कि हिन्दी की प्रगति के लिये निरन्तर प्रयत्न किया जायगा क्योंकि हिन्दी आयुक्त नियुक्त करने की मांग स्वीकार नहीं की गई।

मैं आशा करता हूं कि अगले दस वर्ष में सरकार पहले की अपेक्षा अधिक निश्चयात्मक ढंग से हिन्दी को राजभाषा बनाने का प्रयत्न करेगी।

श्री कमलनयन बजाज (वर्धा) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सामने जो सवाल है, वह राजभाषा और राष्ट्रभाषा का है। आज जिस तरह की मनःस्थिति मेरी हो रही है, उस में कुछ खेद भी है, सुख भी है, मैं लाचारी भी महसूस करता हूं और कर्त्तव्यवश जो कुछ हमें करना पड़ रहा है, वह भी करने में हम को एक प्रकार का सन्तोष है।

---

†मूल अंग्रेजी में

हम ने माना था कि पन्द्रह साल के अन्दर हम इस तरह की अवस्था में पहुंच जायेंगे कि हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओं के विकास के साथ साथ अंग्रेजी की भी जो कुछ उन्नति होगी, उस को हम अपना सकेंगे और बिना अंग्रेजी के हम अपने दफ्तरों का कार्य आसानी से कर सकेंगे। लेकिन हमें खेद के साथ यह तो मंजूर करना पड़ेगा कि जितनी तरक्की हम चाहते थे, उतनी हम नहीं कर पाये। लेकिन इसका यह कोई अर्थ नहीं हो जाता है —जैसा कि कुछ भाइयों ने कहा— कि इसमें किसी प्रकार भी हिन्दी का अपमान करने का या उस पर किसी तरह का दोषारोपण करने का सवाल होता ।

राजभाषा का जहां तक सवाल है, सरकारी कर्मचारियों को उस भाषा का आना और उसमें अपना कार्य करना एक बात है, लेकिन जनता को सरकार के साथ में जो काम करना है, उस को किस भाषा में, या किन भाषाओं में, करने में सुविधा और आसानी हो सकती है, इस के बारे में देश और राज्य के नेताओं को हमेशा सोचना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में जनता को पूरी तरह से महत्व देना जरूरी हो जाता है, क्योंकि एक गंवारू आदमी से, जो पढ़ा लिखा नहीं है, यदि हम यह उम्मीद करें कि वह अपनी प्रादेशिक भाषा या राष्ट्र भाषा में न लिख कर किसी दूसरी पराई भाषा में लिखे, तो वह नहीं लिख सकेगा और उसको किसी न किसी के पास जा कर लिखवाना पड़ेगा। लेकिन जो लोग विद्वान और पढ़े लिखे हैं, जो भाषा वे नहीं भी जानते हैं, यदि देश के हित में उस को जानना जरूरी है, वे उस को आसानी से जान सकते हैं। उसके लिये जो अवधि हम ने दो थी, वह पूरी नहीं साबित हुई, इस को हमें मन्जूर करना चाहिये और आगे इस संबंध में खाली भावना के साथ सोचने की निस्बत व्यावहारिक तरीके से भी हम को सोचना चाहिये और हम किस तरह से हिन्दी को जल्दी से जल्दी अपना सकते हैं और उसको राष्ट्र भाषा और राजभाषा का उन्नत और उच्च स्थान दे सकते हैं, इस तरफ हम को विचार करना चाहिये।

हमारे हिन्दी के भी जो प्रदेश हैं, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, वहां के कर्मचारी, वहां की सरकार के प्रयत्न करने के बावजूद भी पूरा काम हिन्दी में आज तक नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी हालत में मैं मानता हूं कि पहले वहां पर हमारा काम हिन्दी में होना चाहिये। दूसरे दर्जे में हम पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र को शामिल कर सकते हैं और वहां पर भी प्रादेशिक भाषाओं के साथ साथ हिन्दी में काम शुरू कर सकते हैं। तीसरे नम्बर पर बंगाल, उड़ीसा, असम हैं। वहां पर भी प्रादेशिक भाषाओं के अलावा हिन्दी में काम शुरू होना चाहिये। जब यह सब हो जाये तब ऐसी स्थिति आ सकती है जबकि दक्षिण लाले लोगों से भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि वे भी अपना काम प्रादेशिक भाषाओं के अलावा हिन्दी में करें। ऐसी अवस्था जब तक राष्ट्र में न आए तब तक इसबात को ले कर किसी प्रकार की कटुता अथवा वैमनस्य पैदा करना देश के हित में नहीं होगा, उसके खिलाफ होगा। इस बात को हमें समझ लेना चाहिये।

मैंने अहिन्दी भाषा भाषी सदस्यों को यहां पर सुना है। उनकी भाषा में भावना का अतिरेक था लेकिन फिर भी जितनी संयत भाषा में उन्होंने विचार प्रकट किये, उतनी संयत भाषा में शायद हमारे हिन्दी के जो प्रेमी हैं, या हिन्दी भाषा भाषी लोग हैं, उन्होंने नहीं किए हैं, उतनी संयत भाषा में वे नहीं बोल सके हैं। इसका भी दिल के ऊपर असर पड़े बिना नहीं रहा है।

हमें इस बात को व्यावहारिक दृष्टि से सोच कर देखना होगा कि आगे हम किस तरह से हिन्दी को बढ़ायें, इसका प्रचार करें, तमिलनाड में आज भी देखा जाता है कि डी० एम० के० के लोग दिन भर यदि हिन्दी के खिलाफ प्रचार कार्य करते हैं राजनीतिक कारणों से तो रात में जा करके हिन्दी भी पढ़ते हैं। ऐसी परिस्थितियां वहां हैं कि आज लाखों लोग हिन्दी पढ़ रहे हैं और रोजाना उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। मुझे दिखाई देता है कि वह दिन जल्दी आएगा जब हिन्दी की परीक्षायें केन्द्रीय

सरकार में भरती होने के लिए ही ली जाने लगेंगी तो दक्षिण के लोग ज्यादा और अव्वल नम्बर पर आयेंगे और उत्तर भारत वालों को, हिन्दी जिन की मातृभाषा है, उनको पछाड़ देंगे । ऐसी हालत में मुझे कोई बुरे दिन भारत के नहीं दिखायी देते हैं । अंग्रेजी राज खत्म हुआ और उसकी मोटर गाड़ी गई परन्तु उसकी धूल अभी भी उड़ती है । इसी प्रकार अंग्रेजी भाषा की मोटरगाड़ी जाने के बाद उसकी धूल के स्वरूप में कुछ रोज हम इसको ग्रहण करने जा रहे हैं । उसके बाद जब स्वच्छ हवा होगी तो मैं मानता हूं कि भारत आगे बढ़ेगा ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : संविधान सभा द्वारा जब संविधान तैयार किया जा रहा है और उसमें हिन्दी को राज भाषा का पद दिया जा रहा था तो उस समय बहुत देर तक विवाद चलता रहा इस बात पर कि कितने वर्षों के बाद हिन्दी को राज भाषा का स्थान दिया जाये । हिन्दी के सर्वोच्य संरक्षक राजर्षि पुरुषोत्तम दास जी टंडन इस बात से सहमत नहीं थे कि पन्द्रह वर्ष के पश्चात् हिन्दी को राज भाषा के आसन पर बिठाया जाए, वह इस समय में कुछ कमी चाहते थे । मुझे संविधान सभा के एक उत्तरदायी सदस्य ने यह बात कही है कि कुछ प्रमुख लोग उनके पास शिष्ट मंडल लेकर गए और उनसे कहा कि सर्वसम्मति से निर्णय हो जाने दीजिए । इस पर उन्होंने पन्द्रह वर्ष की अवधि को मान लिया लेकिन साथ ही सुना जाता है कि उन्होंने आंखों में पानी भर कर कहा कि तुम सब के कहने से मैं इस बात को स्वीकार कर लेता हूं लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिला कर कहता हूं कि जब पन्द्रह वर्ष पूरे होंगे और बहुत संभव है कि उस समय मैं जीवित न रहूं और तुम देख लेना कि हिन्दी राज भाषा के पद पर नहीं बैठ पायेगी । आज राजर्षि जी द्वारा कही गई यह बात सही निकली है । मैं चाहता हूं कि शास्त्री जी जो इस विधेयक को इस सदन में स्वीकृत कराने के लिए जा रहे हैं, आज इसके साथ साथ अपने मन में और सरकार अपने कार्यों में इस प्रकार का व्रत ले, प्रतिज्ञा करे कि जो उपेक्षा और अकर्मण्यता पिछले पन्द्रह वर्षों में रही है, राज भाषा के संबंध में, उस प्रकार की उपेक्षा वृत्ति और नहीं रहेगी ।

अंग्रेजों ने मध्य में आ कर के हिन्दी और भारतीय भाषाओं को आपस में लड़ाया । मैं अब यह चाहता हूं कि गृह मंत्रालय और भारत सरकार इसके संबंध में भी कुछ उदार निर्णय ले और इसके लिए सही कदम के रूप में यही हो सकता है कि जैसे सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने एक मत से यह निर्णय लिया है कि बहुत सी भारतीय भाषायें इस प्रकार की हैं कि जिन में शब्दों का साम्य है लेकिन लिपि की दीवार बीच में होने से उनके एक दूसरे के निकट आने में बहुत कठिनाई हो रही है, इनके लिए समान लिपि अपनाई जाए लेकिन उसके साथ ही साथ उनकी अपनी जो लिपियां है, उनको सुरक्षित रखा जाए । एक सामान्य लिपि यदि सब के लिए स्वीकार कर ली जाए जिस में सभी भाषायें लिखी जा सकें, जैसा कि साहित्य अकादमी ने प्रयास आरम्भ किया है, तो मैं समझता हूं कि भारतीय भाषायें जो एक ही परिवार की सदस्य हैं, उनके आपस में एक दूसरे के निकट आने में बहुत कुछ मदद मिल सकती है ।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं आपकी आज्ञा से विशेष रूप से आपके सामने रखना चाहता हूं । मैं इससे सर्वथा सहमत हूं कि हिन्दी को कभी राजनीतिक शस्त्र नहीं बनाया जाना चाहिये, न निर्वाचन के नाम पर, न प्रान्तों के नाम पर और न ही बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के नाम पर और न ही मैं देश के उन नेताओं से सहमत हूं जिन्होंने अंग्रेजी को राजनीतिक हथियार बनाया है । बल्कि मैं तो इस विषय में कुछ और भी कड़ा निर्णय लिये जाने के पक्ष में हूं । मैं तो यहां तक कहने के लिए तैयार हूं कि जिस प्रकार से आपने एक यह निर्णय लिया है कि भारत के अन्दर रहते हुये भारत के विभाजन

की मांग करने वाले जिस प्रकार संविधान की व्यवस्थाओं का उल्लंघन करने के अपराधी माने जाते हैं, उसी प्रकार से हिन्दी को राजनीतिक हथियार बना करके हिन्दी जैसे कोमल और पवित्र प्रश्न को एक दूषित वातावरण में फेंकना चाहते हैं, उसको भी राजनीतिक दृष्टि से अपराध स्वीकार किया जाना चाहिये । इस विषय में सरकार जो भी कड़ा निर्णय लेना चाहती है वह ले ।

एक बात विशेष रूप से मैं गृह मंत्री जी से कह कर अपना स्थान ग्रहण कर लूंगा । गांधी जी की प्रार्थना सभाओं में कई बार मुझे भी शामिल होने का अवसर मिला है और शास्त्री जी भी कई बार सम्मिलित हुए हैं । सारी प्रार्थना में बापू हाथ जोड़े बैठ रहते थे, मुह से कोई उच्चारण नहीं करते थे । लेकिन जब ये शब्द आते थे :

रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम

ो गांधी जी अपनी आंखें खोल देते थे और बहुत देर तक सब के साथ मिल कर इसकी ध्वनि करते रहते थे । जब गांधी जी गए, इस संसार से विदा उन्होंने ली तो अंतिम समय में उनके मुख पर दो ही शब्द थे, "हे राम" "हे राम" । गांधी जी के राम कौन से थे, जो रघुपति थे, जो राघव थे, जो सीता के राम थे । दूसरे शब्दों में यों कह सकते हैं कि उनके राम वही राम थे जो तुलसी के राम थे । इसलिए यदि गांधी को जीवित रखना है तो गांधी के राम को जीवित रखना होगा और गांधी के राम को जीवित रखना है तो तुलसी को जीवित रखना होगा और तुलसी को जीवित रखना है तो तुलसी के साहित्य की भाषा हिन्दी को जीवित रखना होगा, उसको विकसित करना होगा । यही मेरा निवेदन है ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : जो अहिन्दी भाषा भाषियों से संबंधित है, उसको अंग्रेजी में कह लीजिए और बाकी कुछ हिन्दी में कह दीजिये ।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : आप की अनुमति से मैं पहले हिन्दी में बोलूंगा और फिर अंग्रेजी में ।

मुझे इस बात का दुःख है कि कुछ आज इस सदन में ऐसी बातें कही गई हैं जिस से बाहर देश में बड़ा भ्रम फैल सकता है और एक गलत फहमी पैदा हो सकती है कि हम प्रधान मंत्री जी की बातों को पूरा नहीं कर रहे हैं । दूसरी बात यह कही गई है कि प्रधान मंत्री जी एक तरफ जा रहे हैं और गृह मंत्री दूसरी तरफ और उन दोनों में कोई समन्वय नहीं है, कोई मेल नहीं है । साथ ही साथ इतनी कुछ गर्म बातें हमारे साथी एंथोनी साहब ने कहीं कि जिन को सुन कर मुझे आश्चर्य हुआ । हमारे कामत साहब जिन्होंने इस बिल का आखिर में समर्थन किया जिस के लिए मैं उसका मशकूर हूं, उनको धन्यवाद देता हूं, उन्होंने भी कई ऐसी बातों पर अपनी राय इस तरह जाहिर की जिसमें एक कड़वापन पैदा होने की बात थी । मैं तो समझता हूं कि मुझ को उनके मुकाबले में कानून आदि के बारे में बहुत कम जानकारी है, अपने को बहुत कम जानकार मानता हूं––करीब करीब वह तो ज्ञानी है और मैं अपने को अज्ञानी अगर कहूं तो ठीक है––लेकिन जिस तरह से उन्होंने संविधान के आर्टिकल्ज और धाराओं के संबंध में अपनी राय दी, उसको सुन कर मुझे थोड़ा ताज्जुब हुआ । और ऐसा लगा मुझे कि मैं भी कुछ थोड़ा बहुत समझ सकता हूं आर्टिकल्ज को और कांस्टिट्यूशन की बातों को । खैर, यह तो हुआ । मेरी इच्छा यह है कि हम इस सम्बंध में कोई ऐसी बात न करें, इस पालियामेंट में, क्योंकि पालियामेंट को इस का ध्यान रखना है कि हम ४०, ४५ करोड़ आदमियों का नेतृत्व करते हैं यहां बैठ कर । यह मैं मानता हूं कि पालियामेंट में बैठ कर हर एक को अपनी बात कहने का मौका है और उसका आजादी है । कहना भी चाहिये । मगर जहां सवाल ऐसा हो, जो सवाल सारे राष्ट्र से बंधा हुआ हो, जिससे ४०, ४५ करोड़ आदमियों का संबंध हो, ताल्लुक हो, उसमें कोई ऐसी बात कहे जिस से बाहर

भ्रम फैले, आपस में एका में कमी हो, बजाय मेल के हमारे अन्दर विरोध और एख्तलाफ पैदा हो, तो उसका परिणाम, उसका नतीजा कभी अच्छा नहीं हो सकता। इसलिए मैं आशा करता हूं कि जो भी बिल पास हो रहा है उसके बाद हम इन बातों को भूल कर, सब एक साथ मिल कर, कन्धे से कंधा मिला कर आगे बढ़ेंगे। तभी हम अपनी क्षेत्रीय भाषाओं को और अपनी आफिशल लैंग्वेज हिन्दी को एक सही और उचा स्थान दे सकते हैं।

मैं निवेदन करूंगा, हिन्दी के क्षत्र से आने वाले भाइयों से खास तौर पर, कि अगर हम सहिष्णुता से, वर्दाश्त से, काम नहीं लेंग तो इनमें कोई सन्देह नहीं कि हमारे उद्देश्य को हानि पहुंचेगी। मैं इसको मानने के लिए तैयार हूं कि मेरी राय पार्लियामेंट से आने से पहले कुछ भिन्न थी, कुछ दूसरो थी। लेकिन पार्लियामेंट में आ कर मैंने अनुभव किया, क्योंकि मेरा सम्पर्क हुआ और प्रदेशों के, और सूबों के भाईयों से, सारे देश की स्थिति को हमें देखने का और समझने का मौका मिला कि यह बात सही है। मैं मानने के लिये तैयार हूं कि मेरी राय कुछ बदली, और वह यह है कि हर काम में हिन्दी को ले आने में जल्दी नहीं कर सकते और हमें इस को धीरे धीरे ही सारे देश में फैलना होगा। अगर हम जल्दी करेंगे तो टकरायेंग और गिरेंगे।

मैं श्रद्धेय टंडन जी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन प्रकाशवीर जी ने उन का नाम लिया। आज वह हैं नहीं और न मैं उन की किसी बात को कह कर कोई फायदा उठाना चाहता हूं, लेकिन इतना आप से निवेदन करना चाहता हूं कि टंडन जी ने पिछले पांच छः वर्षों में, अपनी बीमारी के बीच में और आखीर में, जिस समय मैंने एलान कर दिया था कि हम ऐसा कानून लायेंगे, उस के बाद भी कई बार टंडन जी से मिला हूं, अनेक बातों में वे मेरी और गवर्नमेंट की बातों की समालोचना किया करते थे, मैं नहीं जानता क्यों उन्होंने एक शब्द भी मुझ से आखीर तक नहीं कहा कि यह जो कानून का मस्विदा तुम ला रहे हो या पेश करने जा रहे हो, वह अनुचित है, ऐसा नहीं करना चाहिये, तुम बहुत गलत काम कर रहे हो। सिर्फ इसलिए मैंने कहा कि उन्होंने मुझ से कुछ कहा नहीं। लेकिन मैं उन के साथ अन्याय नहीं करना चाहता क्यों कि वह बहुत बड़े आदमी थे और जवर्दस्त राय रखते थे। लेकिन मुझे ताज्जुब हुआ उन्होंने कभी इसके विरुद्ध राय नहीं दी जब कि दस बातों में राय और सम्मति देते रहे। कभी इसके सम्बंध में उन्होंने कुछ नहीं कहा। खैर, उन की बात को बिल्कुल छोड़ दिया जाय क्योंकि वे हैं नहीं। मैं उन के नाम की चर्चा नहीं करता अगर प्रकाशवीर जी न कहते इस तरीके पर। लेकिन इस सदन में आप ने देखा कि जितना हम जोर लगाते हैं, जितनी हम जल्दी करने की कोशिश करते हैं, उस की प्रतिक्रिया, उस का कुछ उल्टा असर दूसरे भाइयों पर, दूसरे साथियों पर होता है। यही नहीं, चाहे इस तरफ की बेंच पर बैठे हुए भाई हों चाहे मद्रास से आये हुये हों, चाहे आन्ध्र से या केरल से या आसम या बंगाल से आये हुये हों, यह सच्ची ढंग की भावना है कि हिन्दी हमारी आफिशल भाषा हो, लेकिन फिर भी वह भाई बार बार कहते हैं कि आप ऐसा कोई कदम न उठायें जिस से उन का काम मुश्किल हो जाय और एक विरोधी पैदा हो, और उस को हमें बचाना चाहिये निस्संदेह।

मैं अंग्रेजी के पक्ष का नहीं। मैं अंग्रेजी जानता भी नहीं। बहुत साधारण जानता हूं। मुझे कोई लज्जा नहीं इस को स्वीकार करने में, लेकिन अंग्रेजी के गुण को न मानना उस से इनकार करना, यह बात ठीक नहीं है। अंग्रेजी एक भाषा है जो भरी हुई है बहुत सी बातों से, बहुत से गुणों से, जिसमें से हम बहुत सी बातें ले सकते हैं, सीख सकते हैं। मगर यह बात मैं भी मानता हूं कि उस हालत में भी अंग्रेजी कभी हमारे देश की मातृ भाषा नहीं बन सकती, या हमारे देश की मातृ भाषा तो छोड़िये, प्रमुख भाषा भी नहीं हो सकती। हमारी भाषाओं में, कांस्टिट्यूशन में जो भाषायें हैं, उनके अन्दर अंग्रेजी को एक भाषा मान लिया जाय, मैं नहीं समझता कि यह कभी सम्भव हो सकता है और देश उसे कबूल

कर सकता है उस माने में। लेकिन दो नातों से अंग्रेजी का ज्ञान जितना आदमी प्राप्त कर सके हमारे देश में वह अच्छा है। एक तो वह अन्तर्राष्ट्रीय भाषा है, दूसरी तरफ जब तक अंग्रेजी चले, जब तक हिन्दी उसकी जगह न ले ले तब तक अगर आप अंग्रेजी के रास्ते में बाधा डालेंगे तो, जैसा प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, कोई कामन लिंक नहीं रहती, कोई एक भाषा नहीं रहती जो एक कोने से दूसरे कोने तक देश को जोड़े। इस दृष्टि से अंग्रेजी को चलने देने में हमारे मन में कोई विरोध आये या हम समझें कि हम हिन्दी को गिरा रहे हैं, दबा रहे हैं तो मुझे इस पर ताज्जुब होता है। इस कानून के जरिये हिन्दी को हमेशा के लिये पीछे फेंक रहे हैं और हिन्दी की कोई जगह नहीं रखते हैं, अंग्रेजी को ही प्रश्रय दे दिया गया है, अंग्रेजी हमेशा के लिये आ जायेगी, मैं नहीं जानता कि किस तरीके पर यह बात कही जाती है कि बिल्कुल इसके विपरीत दूसरे भाई कहते हैं कि हम तो हिन्दी को ही स्थान देना चाहते हैं। जो हमारे दक्षिण के भाईयों को मानना है, जो दक्षिण और बंगाल के अहिन्दी भाषी हैं और जो हिन्दी भाषाभाषी हैं, उन दोनों को जो एक बात माननी है, वह यह है कि हिन्दी को हमारे संविधान में एक खास जगह दी गई है और वह जगह कायम रहे, हम सब इस को स्वीकार करते हैं, मानते हैं। दूसरी बात यह है कि जब तक हिन्दी अंग्रेजी का स्थान नहीं लेती तब तक अंग्रेजी को सहूलियत के साथ और सुविधापूर्वक चलने देना चाहिए। इस में कोई बाधा नहीं डालनी चाहिये, और हलके हलके हमें कोशिश करनी चाहिये कि हम दूसरे प्रदेशों में हिन्दी का प्रचार करें, प्रसार करें। मैं इस को मानता हूं जैसा कि श्री दासप्पा ने कहा या और लोगों ने कहा, कि हिन्दी के लिये ज्यादा खर्च होना चाहिये उन प्रदेशों में जहां हिन्दी नहीं जानी जाती करना पड़ेगा और जगह भी खर्च लेकिन वहां ज्यादा खर्च करना चाहिये जहां हिन्दी नहीं जानी जाती। काफी रुपया भारत सरकार को देना चाहिये। चाहे शिक्षा विभाग दे या गृह विभाग दे, लेकिन देना चाहिये।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो प्रदेश आज हिन्दी भाषाभाषी हैं वे क्यों नहीं शत प्रतिशत १०० फी शदी, अपना काम हिन्दी में करते। उन को यह करना चाहिये। यह अत्यन्त आवश्यक है। मैंने पहले भी कहा था कि वे रास्ता दिखलाय। जैसा भक्त दर्शन जी ने कहा, यह एक आश्चर्य की बात है कि वहां उन के पत्रों का उत्तर हिन्दी में नहीं मिला। अगर उत्तर प्रदेश या बिहार या मध्य प्रदेश या राजस्थान इस तरफ रास्ता दिखलायेंगे तो और प्रदेशों को भी मद्द करेंगे और सारे देश को मद्द करेंगे। इस से अधिक समय मैं आप का नहीं लेना चाहता इस में। इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे खुशी है कि प्रकाशवीर जी ने कहा कि इस को राजनीतिक प्रश्न न बनाया जाय। उस से उठ कर हम कोशिश करें कि हिन्दी को तरक्की मिले, हिन्दी को हम बढ़ायें और साथ ही जब तक एक भाषा, एक भाषा, एक कामन लिंक देश को जोड़ने वाली चीज नहीं बनती तब तक आज की जो स्थिति है उस को हमें मंजूर करना चाहिये ।

†मुझे खेद है कि श्री रंगा और श्री ऐन्थनी ने यह विचार फैलाने का प्रयत्न किया कि यदि प्रधान मंत्री अपने पुराने आश्वासन पर दृढ़ नहीं हैं और वे संभवतः मुझे भी अंशतः किसी तरह से उत्तरदायी समझते हैं कि मैं प्रधान मंत्री का आश्वासन पूरा करने का प्रयत्न नहीं कर रहा।

प्रधान मंत्री ने इसमें पहले एक विधेयक पर बोलते हुए कहा था कि अहिन्दी भाषी लोगों की अनुमति के बिना अंग्रेजी के प्रयोग के बारे में कोई बड़ा परिवर्तन न करने का उन्होंने आश्वासन दिया था और यह मत सरकार का भी था और अधिकांशतः सभा की अनुमति से आश्वासन दिया गया था। हम उस पर पूर्णतः दृढ़ हैं। उस में तनिक भी अन्तर नहीं और देश की स्थिति भी कुछ इसी दिशा में है।

इस मामले में प्रधान मंत्री तथा सरकार का रवैया स्वयं प्रधान मंत्री के शब्दों के अतिरिक्त और

---

†मूल अंग्रेजीं में

[श्री लाल बहादुर शास्त्री]

किसी चीज में अधिक स्पष्ट नहीं हो सकता । मुझे इस बात से आश्चर्य हुआ कि फ्रैंक ऐन्थनी ने प्रधान मंत्री तथा मेरे वक्तव्य के बीच कोई अन्तर निकाला क्यों कि मैं "may" के स्थान पर "shall" को रखने के पक्ष में नहीं हूं । इन दो शब्दों के बारे में श्री ऐन्थनी ने प्रधान मंत्री से पूछा कि अहिन्दी भाषी जनता से परामर्श कैसे किया जायेगा तथा "may" का अर्थ कैसे "may not" नहीं होगा? प्रधान मंत्री ने उत्तर में बताया कि इस विधेयक का अहिन्दी भाषी जनता से परामर्श लेने से कोई संबंध नहीं । श्री एन्थनी के 'क्यों नहीं?' प्रश्न के उत्तर में प्रधान मंत्री ने कहा कि यह सर्वथा अनुचित तथा असंवैधानिक है । श्री ऐन्थनी ने इसके असंवैधानिक होने का कारण पूछा तो प्रधान मंत्री ने कहा कि संसद की एक सभा द्वारा इस विधेयक के पारित होने से आश्वासन का कोई संबंध नहीं है । समूची बात बेकार है क्योंकि वह संसद की शक्तियों को सीमित करने का प्रयत्न करती है । उस आश्वासन को अन्य आयों द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा । समय आने पर राज्यों के विधान मंडलों से परामर्श करने की बात समझ में आती है । किन्तु इस सभा में यह कहना है कि भावी विधान केवल ५० प्रतिशत या दो तिहाई लोगों द्वारा पारित किया जाए, असाधारण बात है । "मे" शब्द का इस संबंध में सदा अंग्रेजी में प्रयोग किया जाता है । 'मे' का अर्थ "मे नाट" नहीं होता ।

मैंने इसी विचार को बड़े नम्र रूप में पेश किया है अतः यह कहना सर्वथा गलत है कि मैं प्रधान मंत्री के मार्ग से भिन्न मार्ग अपना रहा हूं ।

इस समिति की स्थापना को कुल प्रपंच का प्रयत्न कहा गया । और हमारे द्वारा सभा को धोखा देने की बात भी कही गई । जब समिति बनी थी तो उसने अपनी प्रक्रिया को चलाने के नियम अपनाये थे । जिनमें एक नियम यह था कि उस की बैठकें गुप्त होंगी । श्री ऐन्थनी ने इस बात में भी हमारे इरादों पर संदेह प्रकट किया । यह नियम समिति का था न कि हमारा । सत्तारूढ़ तथा विरोधी दोनों पक्षों के सदस्य इससे सहमत थे, केवल श्री एन्थनी विरोध में थे ।

मतदान हुआ । श्री ऐन्थनी ने कहा कि सदस्यों को अपना स्वतंत्र मत देने नहीं दिया गया । यह भी गलत है । चार अवसरों पर चर्चा के दौरान विस्तार के बारे में मतदान हुआ और श्री ऐन्थनी को छोड़कर सब सदस्यों का एकमत था । कांग्रेस दल के सदस्यों ने भी विमति टिप्पण दिये थे, श्री ऐन्थनी डा० रघुवीर, श्री हरिश्चन्द्र शर्मा, श्री भंज देव ने भी तथा श्री पु० दा० टंडन और डा० गोविन्द दास ने कहा था कि वे बहुमत के निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं । अतः श्री ऐन्थनी का कथन गलत है । मद्रास सरकार ने समिति की रिपोर्ट से सामान्यतः सहमति प्रक्ट की और श्री ऐन्थनी के विमति टिप्पण से असहमति प्रक्ट की ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

विविध मामलों में लोग सामान्यतः सहमत थे । निस्संदेह कुछ मामलों में मतभेद था किन्तु प्रयत्न यह था कि समूचे देश के लिये स्वीकार्य बात निकाली जाए ।

अब ५०,६० या १०० सदस्यों की समिति की बात की गई है । इतने महत्वपूर्ण मामले पर ऐसी बड़ी समिति नहीं बन सकती, क्योंकि यह समिति देश के विभिन्न भागों से संबंध रखने वाले नाजुक विषयों पर विचार करेगी, जिनमें राज भाषा का प्रमुख विषय है । अतः ३० सदस्यों की छोटी समिति ही ऐसी चीज़ बना सकती है तो सामान्यतया समूचे देश को स्वी तः विधयक द्वारा प्रस्तावित रूप में समिति की स्थापना ठीक होगी । हो सकता है मैंने संसदीय समिति का नाम लिया हो किन्तु श्री कामत और श्री ऐन्थनी ने इस का उल्लेख किया है । यदि मैंने इस शब्द का प्रयोग भी किया होगा, तो इसके अर्थों को पूर्णतया न समझते हुए किया होगा । मेरा उद्देश्य था कि यह संसद की समिति होगी ।

†**श्री हजरनवीस** : मैंने ऐसी बात की जो किसी वकील को नहीं कहनी चाहिये, अर्थात् पुस्तकों को देखे बिना एक मत प्रकट किया और मैंने यह कह कर कि मैं निश्चय से नहीं कह सकता, अपनी स्थिति की रक्षा की। अब पुस्तकों को देख कर तथा प्रश्न पर विचार करने के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर आया हूं कि इसे संसदीय समिति नहीं कहा जा सकता। मैंने कहा था कि यह संसदीय समिति जैसी होगी। मैं अपनी गलती मानता हूं।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मत मिला अवश्य है किन्तु हमारा इरादा यह रहा है। श्री ऐन्थनी का हमारी नियतों पर संदेह करना सर्वथा अनुचित है। यह सही है कि ऐसे मामलों में सरकार अपने ढंग से काम करती है और किसी पर नहीं छोड़ सकती। सरकार को राज्य सरकारों तथा संसद के विचार अवश्य लेने होते हैं। किन्तु इस की कार्यान्विति सरकार द्वारा की जाती है। श्री ऐन्थनी ने बड़ी सख्त भाषा का प्रयोग किया। किन्तु मैंने उन को उत्तर में कोई ऐसी बात नहीं कही और न ही मैं कह सकता हूं। किन्तु इस समिति की स्थापना इस विधेयक का एक बड़ा महत्वपूर्ण उपबंध है और उद्देश्य यह है कि सरकार द्वारा इस मामले पर कोई निर्णय किया जाने से पहले संसद के सदस्यों की समिति इस मामले पर विचार करे।

मैं श्री रंगा के संबंध में अधिक कुछ कहना नहीं चाहता। प्रधान मंत्री द्वारा कही हुयी बात मैंने पढ़कर सुनायी है। श्री रंगा ने जो बात कही उससे मैं एक बार, दो बार नहीं अपितु तीन बार अचम्भित रह गया। उन्होंने प्रधान मंत्री की कही हुई बातों का उल्लेख करते हुये कुछ ऐसा कहा था कि आश्वासन पूरे नहीं किये जा रहे। उन्होंने "हिन्दू" पत्र में प्रकाशित एक विज्ञापन भी दिखाया। मैं इस को अस्वीकार नहीं करता। यह विज्ञापन सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित करवाया गया था। श्री रंगा की बात सुन कर मैं स्तब्ध रह गया। यदि वह जो कुछ मैंने अभी पढ़ कर सुनाया उसे शून्यशः 'हिन्दू' में प्रकाशित विज्ञापन से मिला कर देखें तो उन्हें यह प्रतीत होगा कि दोनों में कोई भिन्नता नहीं। यदि प्रधान मंत्री की कही हुई बात का पालन न किया गया, यदि उन की बातों को पूरा नहीं किया गया तो फिर हम कहां रहेंगे और हमारी सरकार कहां र गी।

अतः यह विषय अत्यन्त गम्भीर है। मैं गंभीरतापूर्वक यह बात कहना चाहता हूं कि उनके सहयोगी और मंत्रिमंडल के सदस्य होने के नाते यह हमारा कर्तव्य हो जाता है कि ऐसे महत्वपूर्ण मामलों के संबंध में उन की इच्छाओं का पूर्णरूप से पालन करें। श्री ऐन्थनी के साथ एक कठिनाई यह है कि वह शब्दों को देखते हैं किन्तु अर्थ पर ध्यान नहीं देते। उन्हें इस बात की परवाह नहीं होती कि उनके भाषण अथवा उनके कथन का अर्थ क्या है। प्रधान मंत्री ने अपने भाषण में जो कुछ कहा था उससे अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के लोगों को काफी सन्तोष हुआ था। किन्तु उसके उपरान्त भी "may" ['कर सकेगा'] के स्थान पर "shall" ["करेगा"] नहीं रखने के विभिन्न अर्थ लगाये गये हैं। यह मेरे कहने की बात नहीं, सभा स्वयं इस बात का निश्चय कर सकती है कि श्री रंगा और श्री ऐन्थनी ने जो दृष्टिकोण अपनाया, वह कहीं तक उचित था। किन्तु सबसे अधिक आश्चर्य तो मुझे उस समय हुआ जब श्री रंगा ने पुरानी मुस्लिम लीग के साथ हुये विवाद का उल्लेख करते हुये कहा कि उस समय हमने उत्तर प्रदेश की मुस्लिम लीग के साथ कोई समझौता नहीं किया और इसीलिए देश का विभाजन हुआ। इस से मुझे अत्यन्त विस्मय तथा कष्ट हुआ। मुझे मालूम नहीं था कि स्वतंत्र दल की नीति देश का विभाजन करने की है।

†**श्री रंगा** : यह नीति देश में एकता स्थापित करने की है।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : श्री रंगा ने इसी प्रकार की बात कही थी और मैं समझता हूं कि यह अच्छा होगा यदि वह दुबारा अपने भाषण को पढ़ कर देखें। मुझे इस में कोई संदेह नहीं कि उन्होंने

†मूल अंग्रेजी में

[श्री लाल बहादुर शास्त्री]

अपने बाहर के अन्य सहयोगियों को अत्यन्त उल्लझनपूर्ण स्थिति में डाल दिया है। आखिर उनके दल में ऐसे सदस्य भी हैं जो आंध्र के नहीं हैं और उन्हें इस बात की पूर्व चेतावनी मिल गई होगी कि देश की एकता और संगठन के विषय में स्वतंत्र दल के नेता का क्या दृष्टिकोण है।

किन्तु मैं स्वीकार करता हूं कि सब मिला कर सामान्यरूप से सदस्यगण इससे सहमत हैं और सभा ने आश्चर्यजनक भावना का परिचय दिया है। कुछेक भाषणों को छोड़ कर सभा इस उपाय के महत्व को स्वीकार करती है। कुल ४ अथवा ५ सदस्यों ने, इस बात के लिये सराहना करने के स्थान पर कि विधेयक को २६ जनवरी के काफी दिनों बाद प्रस्तुत किया था, इस विधेयक की आलोचना की है। हमने जैसा कि प्रधान मंत्री कह चुके हैं, अहिन्दी भाषी क्षेत्रों से आये हुये लोगों की आशंकाओं को दूर करने के लिए ही ऐसा किया है।

आखिर हमें व्यावहारिक बातों को भी देखना है। हिन्दी को तुरन्त सब प्रयोजनों के लिये अथवा कुछ विशेष प्रयोजनों के लिये लागू करना असंभव है। हम ऐसा किस प्रकार कर सकते हैं। एक अतिबादी दृष्टिकोण तो यह है कि इसे तुरन्त लागू कर दिया जाये और दूसरा अतिवादी दृष्टिकोण यह है कि इसे कभी भी लागू नहीं किया जाये और कुछ लोगों का यह भी अभिमत है, चाहे इन लोगों की संख्या अधिक नहीं है, कि भाषा से संबंधित संविधान के उपबंध को ही समाप्त कर दिया जाये। इन अतिबादी दृष्टिकोणों के बीच हमें एक ऐसा मार्ग खोजना है, जिससे जहां तक राजभाषा बनाये जाने का संबंध है, देश हम से सहमत हो सके।

संविधान में हिन्दी का उपबंध है किन्तु अन्य प्रादेशिक भाषाओं की प्रगति और उन्नति होना आवश्यक है और ऐसा हो भी रहा है। साथ ही हिन्दी की उन्नति होना भी आवश्यक है। किन्तु इस अन्तरिम काल के लिये अंग्रजी को भी जारी रखना है। मैंने मद्रास राज्य के ज्ञापन से कुछ उद्धरण पढ़ कर सुनाये थे। उस में कहा गया था कि अंग्रेजी अवश्य रहेगी और यह एक प्रकार का दीर्घकालीन द्विभाषाबाद होना चाहिये। मैं समझता हूं कि यह स्थिति उपयुक्त है। यदि हम व्यवहार कुशल व्यक्ति हैं, और हमें वास्तव में ऐसा ही होना है, तो हमें इसी मार्ग पर अग्रसर होना चाहिये। तभी हिन्दी की तथा सारे देश की प्रगति हो सकेगी। मैं स्वीकार करता हूं कि यह एक महत्वपूर्ण अवसर है और जैसा कि कुछ सदस्यों ने कहा इसका कुछ एतिहासिक महत्व भी है।

मेरा प्रयत्न यही रहा है कि इन दो चरमावस्थाओं के बीच का मार्ग चुनूं। मैं विवाद से बचना चाहता था। मैं निरन्तर विभिन्न दृष्टिकोणों के संपर्क में रहा हूं। मैं फिर अपील करूंगा कि इस राष्ट्रीय समस्या के प्रश्न पर हम राजनैतिक और दलबंदी के दृष्टिकोण से ऊपर उठ कर विचार करें। हमें व्यावहारिक पग उटाने चाहियें। मैं इससे सहमत हूं कि एक सामान्य भाषा हमारे देशवासियों के बीच सामान्य संबंध उत्पन्न करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। इसलिए हम सब को भारत को बलवान और संगठित राष्ट्र बनाने के लिये सम्मिलित प्रयत्न करने चाहियें।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"विधेयक को संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ।

पक्ष में १८८ ; विपक्ष में १५।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, इस के विरोध में मैं वाक आउट करता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : आर्डर, आर्डर।

(इस समय श्री बागड़ी सभा भवन से उठ कर बाहर चले गये)

श्री बड़े : अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट चाहता हूं।

अनिवार्य जमा योजना विधेयक—जारी

खण्ड ४

†**अध्यक्ष महोदय** : अब ५ बज रहे हैं। गैर सरकारी कार्य को २.३० बजे आरम्भ करना था। अब हम उस कार्य को आरम्भ करें या अनिवार्य जमा योजना विधेयक को।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : इस विधेयक को सोमवार को आरम्भ किया जाये।

†**श्री अ० प्र० जैन** (तुमकुर) : इसे आज ही आरम्भ किया जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : जहां तक विधेयक के गुण दोषों का सम्बन्ध है हम उस पर सोमवार को विचार करेंगे ; किन्तु उस दिन उठाई गई आपत्ति का निर्णय करने के लिये आज इस पर ५ मिनट लगाये जायेंगे।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : (कानपुर) : हमें और भी आपत्तियां उठानी हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह जब उठाई जायेगी तभी उन पर विचार किया जायेगा। इस समय तो केवल एक ही आपत्ति पर निर्णय करना है।

एक आपत्ति उठाई गई थी और श्री अ० प्र० जैन ने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया था कि सभा सरकार को यह सलाह देती है कि महान्यायवादी को इस विधेयक के सम्बन्ध में अपना मत अभिव्यक्त करने के लिये सभा में बुलाया जाये।

वित्त मंत्री ने यह आपत्ति उठाई थी कि इस प्रक्रम में ऐसे प्रस्ताव पर विचार करना सभा की शक्ति के बाहर है। उन्होंने यह भी पूछा था कि ऐसा किस नियम के अधीन किया जा रहा है।

जहां तक पहली आपत्ति का सम्बन्ध है, इस सभा को सिफारिश देने की शक्ति है। हो सकता है कि महान्यायवादी को बुलाना केवल सरकार का ही कार्य हो। मैं इस बात के ऊपर कोई निर्णय नहीं दे रहा। किन्तु ऐसा हो तब भी सभा एक प्रस्ताव अथवा संकल्प के द्वारा सरकार से ऐसा करने के लिये कह सकती है, सलाह दे सकती है, प्रार्थना कर सकती है और सिफारिश कर सकती है। वह ऐसा करने की शक्ति रखती है। यह सब संकल्पों अथवा प्रस्तावों के रूप है जिन के द्वारा सभा अपना मत व्यक्त कर सकती है। "सभा की यह राय है", "यह सभा सरकार से सिफारिश करती है," "यह सभा सरकार से प्रार्थना करती है", यह सब रूप दिये हुए हैं। इसलिये सभा हमेशा अपना मत अभिव्यक्त कर सकती है और सरकार को एक विशेष तरह से काम करने के लिये कह सकती है। यह अलग बात है कि सरकार इसे स्वीकार करती है अथवा नहीं अथवा इस का परिणाम क्या होता है। इसलिये इस प्रकार के प्रस्ताव पर राय प्रकट करने में सभा में कोई बन्धन नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[अध्यक्ष महोदय]

अब मैं दूसरी बात पर आता हूं। हम इस समय इस प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं कि "खंड ४ विधेयक का अंग बने"। सभा के सम्मुख एक प्रस्ताव है। इसलिए एक ही समय म दो प्रस्तावों पर चर्चा नहीं की जा सकती। नियमों के अधीन केवल यही उपबन्ध है कि जब किसी विधेयक पर चर्चा हो रहो हो तब उस चर्चा के दौरान किसी अन्य बात के आरम्भ करने के पूर्व केवल नियम १०९ के अधीन एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है जिस में यह कहा गया है कि :

"सभा में चर्चाधीन विधेयक के किसी प्रक्रम पर अध्यक्ष की सम्मति से यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकेगा कि विधेयक पर वाद-विवाद स्थगित किया जाये।"

सभा में अन्य किसी प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान केवल यही एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है अन्य कोई नहीं। इसलिए जबकि सभा के सम्मुख यह प्रस्ताव है "कि खंड ४ विधेयक का अंग बने", तब जब तक उस पर चर्चा स्थगित न की जाये और तत्सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जाये तब तक कोई अन्य प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। इसलिये श्री अ० प्र० जैन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के विषय में यह सभा न कोई प्रश्न रख सकती है न उस प्रश्न पर विचार कर सकती है। उन सब मामलों में जब महान्यायवादो को विधेयकों पर राय व्यक्त करने के सम्बन्ध में बुलाया गया था, ऐसा हा किया गया था। पशु संरक्षण विधेयक के सम्बन्ध में भी ऐसा ही किया गया था। सरकार से प्रार्थना की गई थी और उसे स्वीकार भी कर लिया गया था। तब विधेयक पर चर्चा स्थगित कर दी गई थी। पंडित ठाकुर दास भार्गव ते एक नियमित प्रस्ताव रखा था जिसे स्वीकार कर लिया गया था। इस के बाद उस विधेयक पर चर्चा स्थगित कर दी गई थी और इस के बाद महान्यायवादी के विषय में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था।

इसलिये जहां तक श्री अ० प्र० जैन के उस रूप में प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव का प्रश्न है उस पर उस समय तक विचार नहीं किया जा सकता जब तक हम इस प्रस्ताव पर "कि खंड ४ विधेयक का अंग बने" चर्चा कर रहे हैं। इसलिये जो कुछ किया जा सकता था वह यही थी कि, यदि सभा की इच्छा होती, तो नियम १०९ के अधीन चर्चा को स्थगित करने के लिये एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता। क्योंकि वह मेरे सम्मुख नहीं है, इसलिये ये . . . .

श्री अ० प्र० जैन : मैं अब वह प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस विधेयक के खंड ४ पर चर्चा स्थगित की जाये।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि इस विधेयक के खंड ४ पर चर्चा स्थगित की जाये।"

जो पक्ष में हों वह 'हां' कहें और जो विपक्ष में हो वह 'न' कहें।

†**कुछ माननीय सदस्य** : 'हां'।

†**कुछ माननीय सदस्य** : 'न'।

†**अध्यक्ष महोदय** : विपक्ष में अधिक हैं।

†मूल अंग्रेजी में

†**कुछ माननीय सदस्य** : पक्ष में अधिक हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस पर मत विभाजन किया जाये ।

†**श्री अ० प्र० जैन** : यहां पर मतयाचना न की जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : सचेतकों को चाहिये कि बिना किसी के जाने हुए ही जो कुछ कहना हो वह कहें ।

प्रश्न यह है :

"कि इस विधेयक के खंड ४ पर चर्चा स्थगित की जाये ।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।

पक्ष में ७६ ; विपक्ष में १२५ ।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : खंड ४ पर चर्चा जारी रहेगी ।

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : मैं इस सम्बन्ध में एक निवेदन करना चाहूंगा । गत रात्रि मुझे यह जान कर अत्यन्त दुःख हुआ था कि लोगों में यह सामान्य धारणा फैली हुई है कि हम महान्यायवादी का अभिमत सभा के सम्मुख इसलिये प्रकट करना नहीं चाहते क्योंकि वह विधेयक के विरोध में हैं । मैं ने यह कहा था कि महान्यायवादी का मत इसलिये नहीं कि लिया गया कि सरकार इसे विधेयक की वैधता के विषय में पूर्ण रूप से विश्वस्त है । ऐसी भावना दूर करने के लिए मैं महान्यायवादी का अभिमत प्राप्त करने और उसे सभा के सम्मुख प्रस्तुत करने के लिये तैयार हूं ।

†**श्री अ० प्र० जैन** : महान्यायवादी का अभिमत प्राप्त कर के उसे सभा के सम्मुख रखना मेरे प्रस्ताव का स्थानापन्न नहीं है । कई बार वह सभा में आया और यहां भाषण दिया । यह सभा का विशेषाधिकार है । मेरी मांग है कि महान्यायवादी को सभा में बुलाया जाये और यह मांग उचित है । मैं प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री से अपील करता हूं कि वह औचित्य का ध्यान रखें ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या अब हम खंड ४ पर चर्चा आरम्भ करें ?

†**श्री हरि विष्णु कामत** : इसे स्थगित किया जाये या गैर-सरकारी कार्य आरम्भ किया जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : हम सोमवार को इस विधेयक पर चर्चा करेंगे ।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : हमें माहान्यायवादी का अभिमत कब तक प्राप्त हो जायेगा ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं कह नहीं सकता ।

†**श्री त्यागी** : विधेयक पारित होने के पश्चात् उस के आने का क्या लाभ होगा ?

†**श्री मोरार जी देसाई** : मैं सोमवार तक उसे प्राप्त करने का प्रयास करूंगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा में गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों पर विचार होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

बीसवां प्रतिवेदन

†**श्री कृष्णमूर्ति राव** (शिमोगा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के बीसवें प्रतिवेदन से, जो २४ अप्रैल, १९६३ को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के बीसवें प्रतिवेदन से, जो २४ अप्रैल, १९६३ को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

बैंकों का राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प

†**अध्यक्ष महोदय** : अब श्रीमती सुभद्रा जोशी द्वारा २९ मार्च, १९६३ को प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा आरम्भ होगी । कितने सदस्य बोलना चाहते हैं ? मैं समझता हूं लगभग १० सदस्य होंगे । समय केवल एक घंटा और है ।

†**श्रीमती सुभद्रा जोशी** (बलरामपुर) : समय एक घंटा और बढ़ा दिया जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : तब सभा को ६ बजे के बाद तक बैठना होगा । इस के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये ।

†**श्रीमती सुभद्रा जोशी** : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि इस संकल्प के लिये निर्धारित समय का एक घंटा और बढ़ा दिया जाये ।"

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : मैं इस का समर्थन करता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह स्वीकार कर लिया गया । सभा की यही इच्छा है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : मैं प्रस्ताव करता हूं ।

"कि अब सभा स्थगित कर दी जाये ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : इस के लिए इस संकल्प पर चर्चा स्थगित करनी होगी । और एक नियमित प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री दी० चं० शर्मा** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि श्रीमती सुभद्रा जोशी द्वारा २९ मार्च १९६३ को प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों के लिये आगामी दिवस के लिये स्थगित कर दी जाये ।"

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि श्रीमती सुभद्रा जोशी द्वारा २९ मार्च १९६३ को प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों के लिए आगामी दिवस के लिये स्थगित कर दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

भारत प्रतिरक्षा अधिनियम के बारे में संकल्प

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री गोपालन । वह अब १० मिनट ले सकते हैं और फिर आगामी सत्र में इसे जारी रख सकते हैं ।

†**श्री अ० क० गोपालन** (कासरगोड) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"इस सभा की यह राय है कि साम्यवादी दल और अनेक मजदूर संघों तथा अन्य संगठनों पर प्रहार करने की दृष्टि से भारत प्रतिरक्षा अधिनियम के अधीन प्राप्त शक्तियों का दुरुपयोग किया गया है और यह सरकार से अनुरोध करती है कि भारत प्रतिरक्षा नियमों के अधीन निरुद्ध किये गये सब राजनैतिक तथा जनता के नेताओं को रिहा कर दिया जाये ।"

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए ।]

मैं इस समय भारत प्रतिरक्षा अधिनियम के अधीन प्राप्त शक्तियों के दुरुपयोग और जेल में निरुद्ध व्यक्तियों के साथ किये जाने वाले व्यवहार के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं । श्री लाल बहादुर शास्त्री ने गृह-कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर हुए वाद-विवाद का उत्तर देते समय कहा था कि :

"विरोधी दल के सदस्य हृदय पर हाथ रख कर कहें कि इन शक्तियों का दुरुपयोग हो रहा है । कुछ गलतियां हो सकती हैं । किन्तु किसी राजनैतिक दल से इस का कार्य बन्द करने के लिये नहीं किहा गया ।"

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : मैं ने यही समझा था कि वह केवल अपना संकल्प प्रस्तुत करेंगे और चर्चा आगामी दिन आरम्भ की जायेगी । सभा की इच्छा भी ऐसी थी ।

†**श्री अ० क० गोपालन** : अध्यक्ष महोदय ने १० मिनट के लिये कहा था ।

†**उपाध्यव महोदय** : क्या माननीय सदस्य अपना भाषण अगले दिन जारी रखना चाहते हैं ?

†**श्री अ० क० गोपालन** : हां ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह अगले दिन अपना भाषण जारी रख सकते हैं ।

इसके बाद लोक सभा सोमवार, २९ अप्रैल, १९६३/९ वैशाख, १८८५ (शक) के ११ बजे तक के स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

दैनिक संक्षेपिका

[शनिवार, २७ अप्रैल १९६३/७ वैशाख १८८५ (शक)]

विषय	पृष्ठ
राज्य सभा से संदेश—	५३५९
सचिव ने राज्य सभा से प्राप्त एक सन्देश की सूचना दी कि राज्य सभा को वित्त विधेयक, १९६३ के बारे में जो लोक सभा द्वारा २० अप्रैल, १९६३ को पारित किया गया था लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।	
विधेयक पारित—	५३६४—५४१७
राज भाषायें विधेयक, १९६३ पर अग्रेतर खंडवार चर्चा जारी रही। चर्चा समाप्त हुई तथा विधेयक संशोधित रूप में, पारित किया गया।	
विधेयक विचाराधीन—	५४१७-१९
अनिवार्य जमा योजना विधेयक, १९६३ के खंड ४ पर अग्रेतर चर्चा जारी रही। श्री अ० प्र० जैन ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि विधेयक के खंड ४ पर चर्चा स्थगित कर दी जाये। प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।	
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन-स्वीकृत—	
बीसवां प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ।	५४१९
गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प विचाराधीन—	५४१९—२१
(१) श्रीमती सुभद्रा जोशी द्वारा २९ मार्च, १९६३ को प्रस्तुत बैंकों के राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी संकल्प पर अग्रेतर चर्चा।	
गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों के लिये नियत आगामी दिवस तक के लिये स्थगित कर दी गई।	
(२) श्री अ० क० गोपालन ने भारत प्रतिरक्षा अधिनियम के अधीन प्राप्त शक्तियों का दुरुपयोग करने सम्बन्धी संकल्प प्रस्तुत किया। चर्चा समाप्त नहीं हुई।	

सोमवार, २९ अप्रैल, १९६३/९ वैशाख, १८८५ (शक) के लिये कार्यावलि—

(१) बंगाल वित्त (बिक्री कर) (दिल्ली संशोधन) विधेयक, १९६३ पर चर्चा तथा उन का पारित किया जाना।

(२) अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) १९६०-६१ पर चर्चा तथा इन का पारित किया जाना।

(३) अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे), १९६३-६४ पर चर्चा तथा इन का पारित किया जाना।

(४) विनियोग (रेलवे) संख्या ४ विधेयक, १९६३ पर चर्चा तथा इस का पारित किया जाना।

(५) संविधान (पन्द्रहवां प्रतिवेदन विधेयक, १९६३, पर संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, चर्चा तथा इस का पारित किया जाना।

GMGIPND—LS III—579 (ai) LSD—15-6-63—160.

PLS. 41. XVIII. 53. 63.
160

© १९६३ प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त ।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम (पांचवां संस्करण) के नियम ३७९ और ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशित और भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली की संसदीय शाखा में मुद्रित ।